

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**  
**सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

क्रमांक/एफ-3/81/2016/10-11/12/556  
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/01/2024

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
 इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
 जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

**विषय:-** सागर जिले के अन्तर्गत कडान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-11/2018-FC दिनांक 18.06.2018

—0—

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

S.No.	Conditions	Compliance																											
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट-1																											
(ii)	The State Government shall arrange to get the land proposed for diversion and for CA, vacated by encroachers if any, as pointed out in the report created by DSS cell of this ministry and also at Regional officer Bhopal;	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर एवं वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि को अतिक्रमण मुक्त एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है, उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।																											
(iii)	The such land shall be inspected by Regional office Bhopal and Nodal officer jointly and their report shall be submitted along with compliance prior to obtaining Stage II clearance;	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 20.12.2023 को किया गया है, निरीक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।																											
(iv)	The Compensatory afforestation shall be done over equal non-forest land (NFL) to the forest area proposed to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 248.76 Ha (248760 Plants). If this is not possible to plant these many	परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थलों की योजनाएं निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>वनमण्डल</th><th>ग्राम</th><th>खसरा नं.</th><th>रक्खा</th><th>राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दक्षिण सागर</td><td>मुडेरी</td><td>47/1</td><td>47. 00</td><td>25168000</td></tr> <tr> <td rowspan="3">उत्तर सागर</td><td>मृगावली</td><td>1/1/2</td><td>96. 00</td><td>29377291</td></tr> <tr> <td>मृगावली</td><td>1/1/1/2</td><td>21. 00</td><td>8563556</td></tr> <tr> <td>मसवासी ग्रांट</td><td>37/2</td><td>50. 00</td><td>10081500</td></tr> <tr> <td>कोलुआ अमरसा</td><td>385/1/2/S</td><td>35. 00</td><td>19944601</td></tr> </tbody> </table> सुलभ संदर्भ हेतु वृक्षारोपण योजनाएं मय तकनीकी	वनमण्डल	ग्राम	खसरा नं.	रक्खा	राशि	दक्षिण सागर	मुडेरी	47/1	47. 00	25168000	उत्तर सागर	मृगावली	1/1/2	96. 00	29377291	मृगावली	1/1/1/2	21. 00	8563556	मसवासी ग्रांट	37/2	50. 00	10081500	कोलुआ अमरसा	385/1/2/S	35. 00	19944601
वनमण्डल	ग्राम	खसरा नं.	रक्खा	राशि																									
दक्षिण सागर	मुडेरी	47/1	47. 00	25168000																									
उत्तर सागर	मृगावली	1/1/2	96. 00	29377291																									
	मृगावली	1/1/1/2	21. 00	8563556																									
	मसवासी ग्रांट	37/2	50. 00	10081500																									
कोलुआ अमरसा	385/1/2/S	35. 00	19944601																										

S.No.	Conditions	Compliance
	seedlings in the identified NFL, the balance seedlings will be planted in degraded forest land as per the prescriptions of the Working plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in the CAF managed by CAMPA;	स्वीकृति सहित एवं संबंधित जिला कलेक्टर के हस्तांतरण आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।
(v)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale	आवेदक विभाग द्वारा गैर वनभूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर चिन्हित कर प्रस्तुत किया गया है, टोपोशीट परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।
(vi)	The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of The Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section (s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under Section-4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the local forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record.	वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर एवं वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को अधिसूचित करने कार्यवाही प्रचलित है।
(vii)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति बनीकरण हेतु राशि रूपये 9,31,34,948/-ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की गई है।
(viii)	The User Agency shall provide additionally 25 % of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the amount may be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State	क्षतिपूर्ति बनीकरण क्षेत्र में मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि रूपये 2,32,83,737/- आवेदक विभाग द्वारा ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की जा चुकी है।

S.No.	Conditions	Compliance
	through online e-portal only;	
(ix)	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	आवेदक विभाग द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि 15,57,23,760/- ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की गई है।
(x)	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State Forest Department account, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred through online portal Ad-hoc CAMPA account of the State concerned;	आवेदक विभाग द्वारा सभी राशियां ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की गई हैं।
(xi)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance:	आवेदक विभाग द्वारा सभी राशियां ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की गई हैं।
(xii)	At the time of payment on the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish as undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme Court of India:	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
(xiii)	The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be implemented at the cost of user agency. The commensurate cost of CAT plan will be deposited in the CAMPA account through e-portal;	आवेदक विभाग द्वारा CAT Plan की राशि 1,23,26,244/- ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की गई है।

S.No.	Conditions	Compliance
(xiv)	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government;	क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 20.12.2023 को किया गया है, निरीक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
(xv)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1462/SEIAA/2019 दि. 03.07.2019 से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृति की प्रति संलग्न है, जो परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।
(xvi)	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 Meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	सहमत है।
(xvii)	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।
(xviii)	The User Agency shall Provide free water for the forestry related projects;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-9 पर संलग्न है।
(xix)	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-10 पर संलग्न है।
(xx)	No labour camp/huts shall be established on the forest land;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।
(xxi)	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-12 पर संलग्न है।
(xxii)	Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;	मान्य है।
(xxiii)	The State Government ensure that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-13 पर संलग्न है।

S.No.	Conditions	Compliance
(xxiv)	User Agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whole nesting tress area to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the projects;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-14 पर संलग्न है।
(xxv)	State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.)dated 03.08.2009 read with 05.05.2013 in support thereof	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि FRA प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर सागर के पत्र दिनांक 08.03.2017 द्वारा प्रदाय किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट-15 पर संलग्न है।
(xxvi)	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-16 पर संलग्न है।
(xxvii)	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the projects cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित वनभूमि की सीमा को चार फीट उचे कंक्रीट खंभे खड़े करके चिन्हित कर दिया गया है।
(xxviii)	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation projects and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-17 पर संलग्न है।


S.No.	Conditions	Compliance
(xxix)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।
(xxx)	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly;	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-19 पर संलग्न है।
(xxxi)	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र परिशिष्ट-20 पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार शर्तवार प्राप्त पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार, की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक / एफ-3 / 81 / 2016 / 10-11 / 12 / 557  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
  2. वनमंडलाधिकारी, (सा०) वन मण्डल, उत्तर/दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
  3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र.-1 जिला सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अप्रेषित।

भवदीय  
  
 (एच.एस.मोहन्ता)  
 भोपाल, दिनांक 24/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
 मध्यप्रदेश, भोपाल

## **KADAN MEDIUM IRRIGATION PROJECT**

S. No.	Questions	Answers	Page No.
1.	Legal Status of the diverted forest land shall remain unchanged.	User agency undertakes that the legal status of the forest land shall remain unchanged.	Attached as annexure-I
2.	The State Government shall arrange to get the land proposed for diversion and for CA, vacated by encroachers if any, as pointed out in the report created by DSS cell of this ministry and also at Regional officer Bhopal;	There is no any encroachment on the land proposed for diversion for CA.	
3.	The such land shall be inspected by Regional office Bhopal and Nodal officer jointly and their report shall be submitted along with compliance prior to obtaining Stage II clearance	The land for CA has been inspected by the Nodal officer Bhopal.	Attached as annexure-II
4.	The Compensatory afforestation shall be done over equal non-forest land (NFL) to the forest area proposed to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the user agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 248.76 Ha (248760 Plants). If this is not possible to plant these many seedlings in the identified NFL, the balance seedlings will be planted in degraded forest land as per the prescriptions of the Working plan at the cost of the User agency. In such case CA cost will be revised and duly approved by competent authority and deposited online in the CAF managed by AD-HOC CAMPA;	<p><b>1</b> Yes, Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 248.76 ha non Forest land (khasra No. 1/1/2, village- Mrigawali, Khasra No. 402/1/2 Village Bhilaiyan Tehsili-Malthone, Khasra no. 37/2 village Maswasi grant, Tehsil Sagar, Khasra no. 47/1 Village Muder, Tehsil Deori, Khasra no. 88/2 village Bhardi, Khsra No. 1/3 Village Kharkhari Tehsil Kesli, Khsra No. ¼ Village Sahjpuri kalan Tehsil Rehli , District Sagar) at the cost of the User Agency.</p> <p><b>2</b> The Forest Department shall ensure to plant at least 1,000 plant per ha in proposed CA land. In case it is not possible to plant such number of trees at proposed site then remaining plant shall be planted in other degraded forest area and such details is of area shall be intimated to Central Government along with KML file.</p>	Attached as annexure-III  Attached as annexure-IV

5.	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale:	The CA land has already been depicted on a Survey of India Toposheet of 1:50,000.	Attached as annexure-V Page 1 to 7
6.	The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising Compensatory Afforestation shall be notified as reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of The Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section (s) of the local Forest Act. The Nodal officer must report compliance within a period of 6 month from the date of grant of final approval and send a copy of the notification declaring the non-forest land under Section-4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the local forest Act as the case may be, to this Ministry for information and record	<p>The non-forest land has already been transferred and mutated in favour of Forest Department by Collector Sagar vide order no 8416/Re.Collector/17 Sagar, dtd 06-07-2017</p> <p>As per instructions the DFO South &amp; North Sagar, ensure that the revenue land which is transferred and mutated in favour of the state forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or protected Forest under Section-29 of the Indian forest act. 1927 or under the relevant Section(s) of the state Forest Act. The Nodal Officer, Forest (conservation) Act. 1980, Govt of Madhya Pradesh must report compliance within a period of 6 months from the date of grant of final approval and send a copy of the original notification declaring the non-forest land under section 4 or section 29 of the Indian Forest Act. 1927 or under the relevant section of the state Forest Act. as the case may be to this office for information and record.</p>	Attached as annexure-VI
7.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of Ad-hoc AD-HOC CAMPA of the concerned State through online portal. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	<p>1. As per demand given by the DFO North Sagar vide his memo no.1708 dtd.04-07-2018 the cost of compensatory afforestation including cost of erection of permanent pillars amounting to Rs. 51866204.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no. W330538894 dtd 07-08-2018 by the user agency.</p> <p>2. As per demand given by the DFO South Sagar vide his memo no. 2918 dtd. 27-07-2018 the cost of</p>	

		compensatory afforestation including cost of erection of permanent pillars amounting to Rs. 44420663.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no. W330549913 dtd 02/09/2020 by the user agency.	
8.	The User Agency shall provide additionally 25 % of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement and the amount may be deposited in the account of Ad-hoc AD-HOC CAMPA of the concerned State through online e-portal only;	<p>1. As per demand given by the DFO North Sagar vide his memo no.1708 dtd.04-07-2018 the additional 25 % of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement amounting to Rs. 12966551.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no.W330549908 dtd 26/08/2020 by the user agency.</p> <p>2. As per demand given by the DFO South Sagar vide his memo no. 2918 dtd. 27-07-2018 the additional 25 % of the CA cost towards Soil and Moisture Conservation measures in the proposed CA area as per site requirement amounting to Rs. 11105165.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no.W330549913 dtd 02/09/2020 by the user agency.</p>	
9.	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc AD-HOC CAMPA account of the State Concerned;	As per demand given by the DFO North Sagar vide his memo no. 1708 dtd. 04-07-2018 the cost of Net Present Value (NPV) for the 248.76 ha forest area to be diverted. Rs.152723760.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no. W330538894 dtd 07-08-2018 Total amt (CA + NPV). Rs. 207589964.00 by the user agency.	


10.	Any fund received from the user agency under the project and deposited in the State Forest Department account, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred through online portal Ad-hoc AD-HOC CAMPA account of the State concerned;	The State Forest Department undertakes that the all fund received from the user agency under the project shall be deposited to Ad-hoc AD-HOC CAMPA only through E portal.	Attached as annexure-VII
11.	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance	The user Agency has already deposited (CA cost, NPV & 25% additional cost etc.) through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank.	
12.	At the time of payment on the Net Present Value (NPV) at the prevailing rate, the User Agency shall furnish as undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble supreme Court of India:	The user Agency undertakes that the additional amount of Net Present Value (NPV) at the prevailing rate, if so determined shall be paid by the user agency as per the final decision of the Hon'ble supreme Court of India.	Attached as annexure-VIII
13.	The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be implemented at the cost of user agency. The commensurate cost of CAT plan will be deposited in the AD-HOC CAMPA account through e-portal;	As per demand given by the DFO North Sagar vide his memo no.1708 dtd.04-07-2018 the cost of CAT plan amounting to Rs.12326244.00 has been deposited in the AD-HOC CAMPA by the E-Chaque no. W330549908 dtd 26/08/2020 by the user agency.	
14.	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government;	Yes, the site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrance. Certificate attached.	Attached as annexure-IX
15.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required;	The user agency has already obtained the Environment Clearance accorded from EPCO Bhopal vide memo no. 1462/SEIAA/2019 Bhopal on dtd. 03-07-2019.	Attached as annexure-X Page 1 to 13
16.	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 Meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	The Forest Department ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 Meters shall be afforested by planting appropriate indigenous tree species.	Attached as annexure-XI

17.	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	The user Agency undertakes that the afforestation shall be done along the periphery of the reservoir.	Attached as annexure-XII
18.	The User Agency shall Provide free water for the forestry related projects;	The user Agency undertakes that the water shall be provided free of cost for the forestry related projects.	Attached as annexure-XIII
19.	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government	The user Agency undertakes that the Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	Attached as annexure-XIV
20.	No labour camp/huts shall be established on the forest land;	User Agency undertakes that no labour camp/huts shall be established on the forest land.	Attached as annexure-XV
21.	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person	The user Agency undertakes that the forest land specified in the proposal shall not be used for any purpose and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.	Attached as annexure-XVI
22.	Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department	The State Forest Department undertakes that Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department	Attached as annexure-XVII
23.	The State Government ensure that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	The user Agency undertakes that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	Attached as annexure-XVIII

24.	User Agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whole nesting tress area to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the projects;	The user Agency undertakes to create and maintained the alternate habitat/home for the avifauna, whole nesting tress area to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the projects with the consultation of State Forest Department;	Attached as annexure-XIX
25.	State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.)dated 03.08.2009 read with 05.05.2013 in support thereof	The settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, has been followed for the forest land to be diverted and documentary evidence as prescribed by the MoEF vide letter No. 11-9/1998-FC (pt.)dated 03.08.2009 read with 05.05.2013 is attached issued by the competent authority collector Sagar.	Attached as annexure-XX
26.	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	The user Agency undertakes to provide the alternate fuels to the labourers and working staff.	Attached as annexure-XXI
27.	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the projects cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates	The user agency has already been demarcated the boundary of the forest land proposed to be diverted on the ground by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates and verified by the state forest department.	
28.	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation projects and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future	The user Agency undertakes that the character of the project shall be maintain as an irrigation projects and ensure continued benefit to the farmers in the command area and no any diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.	Attached as annexure-XXII

29.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	The user agency undertakes that Any other condition that the concerned Regional Office of MoEF may stipulate, from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife will be complied by user agency.	Attached as annexure-XXIII
30.	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly;	The user agency undertakes that the self-compliance report shall be submitted annually at the end of March of every year regularly in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and MoEF.	Attached as annexure-XXIV
31.	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	The user agency undertakes to ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	Attached as annexure-XXV

Divisional Forest Officer  
North Division Sagar  
District - Sagar (M.P.)



Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)



Annexure-I

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

Govt. of M.P. Water Resources Department undertakes to keep the legal status of diverted forest land unchanged.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

कार्यालय वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल (सा.) जिला सागर म.प्र.

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का रोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :— कड़ान मध्यम परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के तहत प्रभावित वनभूमि रकवा 248.76 हे. के विरुद्ध कलेक्टर सागर द्वारा हस्तांतरित भूमियों का विवरण निम्नानुसार है :—

Forest Range	Tehsil	Village	Kh.No.	Area (hac.)
Malthone	Malthone	Mirgawali	1/1	96.00
Malthone	Malthone	Vhilaniya	402/1	30.00
N. Sagar	Sagar	Maswasi	37/2	50.00
	Total :-		-	176.00

प्रस्तावित गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त है, एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है। वन प्रबंधन की दृष्टि से क्षेत्र वन सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्त उल्लेखित गैर वनभूमि रकवा 176.00 हे. पूर्व में किसी अन्य परियोजना/प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नहीं की गयी है।

उपरोक्त हेतु 3 फूलकत है।  
 Kh. No. 37/2

*babu*  
 वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 मालथौन

*m/w*  
 वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 उत्तर सागर

*m/w*  
 उप वन मंडल अधिकारी  
 उत्तर सागर

*m/w*  
 उप वन मंडल अधिकारी  
 बण्डा

*m/w*  
 ८/१  
 वन मंडल अधिकारी  
 उत्तर सागर वन मंडल

## प्रमाण पत्र

१०

### वनमंडलाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता हैं, कि कड़ान मध्यम परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि रकवा 248.760 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर जिला सागर द्वारा गैर वन भूमि, वन विभाग के पक्ष में महानकोल लिमिटेड सिंगरौली के माध्यम से गैर वनभूमि रकवा 967.65 हे. का पूर्व में नामांतरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। इस आवंटित रकवा 967.65 हे. गैर वनभूमि में से कड़ान मध्यम परियोजना में दक्षिण सागर वनमंडल के अंतर्गत रकवा 72.760 हे. दिया जाना प्रस्तावित है। ग्राम मुडेरी खसरा नंबर 47/1 रकवा 47.000 हे., ग्राम भरदी खसरा नंबर 88 का भाग रकवा 14.380 हे., ग्राम खरखरी खसरा नंबर 1 का भाग रकवा 4.680 हे. एवं ग्राम सहजुपरी खसरा नंबर 1/2 का भाग रकवा 6.700 हे. इन समस्त चार ग्रामों के कुल रकवा 72.760 हे. गैर वन भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त हैं। योजना से प्रभावित क्षेत्र के बदले प्राप्त वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण स्वयं मेरे द्वारा दिनांक 22.1.2018 को किया गया है।

  
(क्षितिज कुमार)  
भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सागर वनमंडल

(2)

67

## बिंदु क्रमांक -05

### प्रमाण-पत्र

#### उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि देवरी तहसील के अंतर्गत ग्राम मुंडेरी प.ह.न.

70 खसरा न 47/1 ( नया खसरा न 47/32 ) रकवा 47.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में वन विभाग को हस्तानांतरण के पूर्व कैफियत चर्नोई दर्ज रही है। उक्त ग्राम की कुल 47.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है , प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

तहसीलदार  
तह.देवरी, झ.सगर (म.प्र.)  
देवरी

(2)

19

//प्रमाण पत्र//

(वन विभाग)

उक्त भूमि हेतु वन प्रबंधन की दृष्टि से सक्षम वन अधिकारी द्वारा दिया गया

### उपयुक्ता प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि कड़ान मध्यम परियोजना जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकवा 248.76 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अंतर्गत ग्राम मुंडेरी पटवारी हल्का नम्बर-70 खसरा नम्बर-47/1 (नया खसरा नं. 47/32) रकबा 47.00 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि राजस्व भूमि हैं। उक्त भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

उप वनमण्डल अधिकारी,  
देवरी

(1)  
वन परिक्षेत्र अधिकारी,  
देवरी

## बिंदु क्रमांक -05

### प्रमाण-पत्र

#### उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र


सागर जिले के अंतर्गत ज़ुल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कडान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब छेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि मालथौन तहसील के अंतर्गत ग्राम मृगावली प.ह.न. 027 खसरा न 1/1/2 रकवा 96.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में वन विभाग को हस्तानांतरण के पूर्व कैफियत चरनोई दर्ज रही है। उक्त ग्राम की कुल 96.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।



राजस्व निरीक्षक  
उत्तर-मालथौन  
प्रमाण पत्र



अ. श.



तहसील सचिव  
मालथौन गांव  
प्रमाण पत्र

सीमांकन उपरांत वन विभाग के आधिपत्य में लेने का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/  
निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय  
कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक/20अ/19(3) वर्ष 2016-17  
पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई 2017 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मृगावली, प.  
ह.न. 27 तहसील मालथौन खसरा नंबर 1/1/2 का रकवा 96.00 हेक्टेयर वन  
विभाग को हस्तांतरित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का दिनांक 11/02/2014 को  
संयुक्त सीमांकन किया गया, सीमांकन उपरांत राजस्व विभाग से सीमांकित भूमि  
रकवा 96.00 हेक्टेयर का मौका कब्जा दिनांक 4/04/2014 को प्राप्त किया गया,  
सीमांकित भूमि वन विभाग के आधिपत्य में ली जा चुकी है।

  
उप वनभूमि अधिकारी  
उत्तर सागर

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन



बिन्दु कमांक-10

## वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक/20अ/19(3) वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई 2017 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मृगावली, प.ह.नं. 27 तहसील मालथौन खसरा नंबर 1/1/2 का रकवा 96.00 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित है। उक्त भूमि वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब छेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि मालथौन तहसील के अंतर्गत ग्राम मृगावली प.ह.न. 027 खसरा न 1/1/1 रकवा 33.62 हेक्टेयर में से 21.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में वन विभाग को हस्तानांतरण के पूर्व कैफियत चरनोई दर्ज रही है। उक्त ग्राम की कुल 33.62 हेक्टेयर में से 21.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

राजस्व विभाग  
को-प्रमाणित  
नं. - अलूकुन


7-8

तहसीलदार  
तहसीलदार  
मालथौन  
खसरा घाराब

सीमांकन उपरांत वन विभाग के आधिपत्य में लेने का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित /  
निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय  
कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक /0029 /अ-20(3) वर्ष 2021-22  
पारित आदेश दिनांक 17 मई 2022 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मृगावली, प.ह.  
नं. 27 तहसील मालथौन खसरा नंबर 1/1/1 का रकवा 21.00 हेक्टेयर वन  
विभाग को हस्तांतरित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का दिनांक 17/08/2022 को  
संयुक्त सीमांकन किया गया, सीमांकन उपरांत राजस्व विभाग से सीमांकित भूमि  
रकवा 21.00 हेक्टेयर का मौका कब्जा दिनांक 17/08/22 को प्राप्त किया गया,  
सीमांकित भूमि वन विभाग के आधिपत्य में ली जा चुकी है।

  
उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

## वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर ज़िला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक / 0029 / अ-20(3) वर्ष 2021-22 पारित आदेश दिनांक 17 मई 2022 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मृगावली, प.ह.नं. 27 तहसील मालथौन खसरा नंबर 1/1/1 का रकवा 21.00 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित है। उक्त भूमि वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब छेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि सागर तहसील के अंतर्गत ग्राम मसवासी ग्रंट प.ह.न. 041 खसरा न 37/2 रकवा 50.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख खसरा पांचसाला में वन विभाग को हस्तानांतरण के पूर्व कैफियत चर्नोई दर्ज रही है। उक्त ग्राम की कुल 50.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।



प.ह.नं..... 41.....  
तहसील सागर जिला सागर



फॉरेस्ट ऑफिसर  
एलेगेंस



तहसीलदार  
राजस्व विभाग  
सागर  
सागर प्रभाग

## बिन्दु कमांक - 08

### सीमांकन उपरांत वन विभाग के आधिपत्य में लेने का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित /  
निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय  
कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण कमांक/20अ/19(3) वर्ष 2016-17  
पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई 2017 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मसवासी  
ग्रंट, प.ह.नं. 41 तहसील सागर खसरा नंबर 37/2 का रकवा 50.00 हेक्टेयर वन  
विभाग को हस्तांतरित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का दिनांक 22/01/2014 को  
संयुक्त सीमांकन किया गया, सीमांकन उपरांत राजस्व विभाग से सीमांकित भूमि  
रकवा 50.00 हेक्टेयर का मौका कब्जा दिनांक 22/01/2014 को प्राप्त किया गया,  
सीमांकित भूमि वन विभाग के आधिपत्य में ली जा चुकी है।

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

## बिन्दु क्रमांक-10

### वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक/203/19(3) वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 06 जुलाई 2017 से हस्तांतरित गैर वनभूमि ग्राम मसवासी ग्रांट, प.ह.नं. 41 तहसील सागर खसरा नंबर 37/2 का रकवा 50.00 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित है। उक्त भूमि वन विभाग में वृक्षारोपण हेतु प्रचलित मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र

सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि सागर तहसील के अंतर्गत ग्राम कोलुआ अमरसा प.ह.न. 28 खसरा न 385/1 कुल रकवा 120.010 हेक्टेयर में से 35.00 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख खसरा पांच साला में वन विभाग को हस्तानांतरण के पूर्व कैफियत चरनोई दर्ज रही है। उक्त ग्राम की कुल 120.010 हेक्टेयर में से 35.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी है, प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

करनस्त्रीग जाट  
प.ह.नं. २८ .....  
तहसील सागर (म.प्र.)

पंपरगढ़ ५८ २०/१०/२३ अ.४८१८

तहसीलदार  
सागर दाट  
सागर आमीर




बिंदु क्रमांक -08


### प्रमाण-पत्र

(राजस्व विभाग)

उक्त भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित करने ( आधिपत्य सौंपने ) सम्बन्धी

प्रमाणित किया जाता है सागर जिले के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन कडान मध्यम सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में 248.76 हेक्टेयर वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि सागर तहसील के अंतर्गत ग्राम कोलुआ अमरसा प.ह.न. 28 खसरा न 385/1 कुल रकवा 120.010 हेक्टेयर में से 35.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तानांतरित की गयी हैं। उक्त भूमि का आधिपत्य\_राजस्व निरीक्षक , पटवारी द्वारा वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 30.10.2023 को सौंपा गया।

  
करनसाग ज्ञाट  
प.ह.न. ....  
तहसील सागर (म.प.)

  
तहसीलदार  
सागर जिला  
सागर जारीण

## वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कड़ान मध्यम परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि ग्राम कोलुआ अमरसा, तहसील सागर, जिला सागर के खसरा नंबर 385/1/2 में से रकवा 35.00 हेक्टेयर क्षेत्र बीट जेरई के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ.367 एवं बीट पगारा के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ.366 से लगा हुआ है। उक्त भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उपवनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

## बिन्दु क्रमांक-10

## वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कड़ान मध्यम परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि ग्राम कोलुआ अमरसा, तहसील सागर, जिला सागर के खसरा नंबर 385/1/2 में से रकवा 35.00 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित व नामांतरित है तथा वन विभाग के आधिपत्य में है, वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उपवनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वन मण्डल, जिला सागर म.प्र.

E-mail :- dfotnsagar@mp.gov.in Phone & Fax No. :- 07582-236337

कमांक / मा.चि. / 2023 / ५१९७  
प्रति,

सागर, दिनांक - २०/१२/२३

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(कक्ष भू-प्रबंध)  
वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

**विषय—** सागर जिले के अंतर्गत कड़ान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

**संदर्भ :-** आपका पत्र कमांक / एफ-३ / ८१ / २०१६ / १०-११ / १२ / ५३२५, दिनांक १९.१२.२०२३

— ० —

विषयांकित में निवेदन है कि परियोजना में प्रभावित वनभूमि की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक / ८-११/२०१८-एफसी दिनांक १८ जून २०१८ से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक-२(iii) के पालन में आज दिनांक २०.१२.२०२३ को श्री एच.एस. मोहन्ता (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा प्रवास के समय निरीक्षण किये गये स्थलों के संबंध में निरीक्षण टीप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

✓  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर वनमंडल

पृ.कमांक / मा.चि. / २०२३ /

सागर, दिनांक —

प्रतिलिपि :— १. मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. डी.जी.एम. (टी.एल.एम.) Power Grid Corporation of India Limited बीना जिला सागर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


३. परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सिन्धु  
ठाणा

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर वनमंडल

४१२८



Ann-3

**श्री एच.एस. मोहन्ता (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रवास दिनांक 20.12.2023 की निरीक्षण टीप**

1. कड़ान मध्यम परियोजना अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का विवरण:-

क्रं.	वन परिक्षेत्र	वनखण्ड	वन कक्ष कमांक	प्रभावित रकवा (हेक्टेयर)
1	उत्तर सागर	71 ललक पाटन आरक्षित	367	55.86
			368	174.34
			369	18.56
			योग -	248.76

उपरोक्त वनभूमि का आंशिक निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात् बांध स्थल का निरीक्षण किया।

2. कड़ान मध्यम परियोजना प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु हस्तांतरित गैर वनभूमि:-

क्रं	वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा नंबर	हस्तांतरित रकवा(हेक्टेयर)	हस्तांतरण आदेश कमांक / दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर सागर	कोलुआ अमरसा	385 / 1 / 2 (S)	35.00	0094 / अ-20(3) वर्ष 2022-23, दिनांक 09.05.2023	ग्राम भिलैया खसरा नंबर 402 / 1 रकवा 30.00 हेक्टेयर एवं वनमंडल दक्षिण सागर में हस्तांतरित गैर वनभूमि अतिक्रमण ग्रसित होने के कारण नवीन गैर वनभूमि हस्तांतरित

उपरोक्त भूमि का सम्पूर्ण निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गये:-

- मुख्य बांध स्थल से 500 मीटर लंबाई की पाईप लाईन वृक्षारोपण क्षेत्र तक जल संसाधन विभाग द्वारा बिछाई जावेगी।
- क्षेत्र निरीक्षण के दौरान वन्य प्राणीयों के पद चिन्ह व विष्ठा मौके पर पाई गई। जिसके संबंध में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कराने के निर्देश दिए गए।
- हस्तांतरित भूमि की नोईयत राजस्व अभिलेखों में बड़ा झाड़ दर्ज है। वनभूमि घोषित कराने हेतु वनमंडल कार्यालय से प्रेषित की गई अधिसूचना की प्रति भू-प्रबंध शाखा को भेजी जावे।
- हस्तांतरित रकवा 35.00 हेक्टेयर में से लगभग 40 प्रतिशत ढलानी क्षेत्र है। क्षेत्र में लेंडिया, अचार, पलाश, तेन्दू साज इत्यादि मिश्रित प्रजाति के वृक्ष मौजूद हैं। वृक्षारोपण योजना अंतर्गत सिंगलिंग / सी.बी.ओ. कार्य किया जावे।
- वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक नाला मौजूद है। वृक्षारोपण कार्य क्षेत्र तैयारी अंतर्गत नाले पर स्टॉप डेम निर्माण कराया जावे।
- वृक्षारोपण क्षेत्र अंतर्गत लगभग 0.5 हेक्टेयर में बागड़ लगाकर अतिक्रमण पाया गया। बागड़ हटाकर अतिक्रमण को तत्काल रिक्त करावे।
- बण्डा बांध परियोजना से प्रभावित पावर ग्रिड की विद्युत लाईनों के शिफिटिंग हेतु आवेदित वनभूमि रकवा 162.05 हेक्टेयर का आंशिक निरीक्षण किया गया। सीमांकित वनभूमि में खड़े वृक्षों की मार्किंग का परीक्षण किया गया। मौके पर आवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को वन विभाग के साथ विद्युत लाईन से प्रभावित अति आवश्यक वृक्षों की पुनः मार्किंग करने बावजूद निर्देशित किया गया।

*[Signature]*  
वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर वनमंडल

# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रक्रमांक- 20 अ/19(3) वर्ष 2016-17

मौजा— मृगावली, भिलेया, मसवासीग्रन्त, मुडेरी, भरदी,  
खरखरी, सहजपुरीकलां जिला सागर

*Anu-4*

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्रमांक—एक सागर  
जिला सागर (म.प्र.)

विस्तृत

आवेदक

म.प्र.शासन  
वन विभाग

अनावेदक

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक 6/7/2017)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—एक सागर म.प्र. ने ज्ञापन क्रमांक—137 ए/कार्य/वन भूमि/2017-18 सागर दिनांक 12.05.17 में कडान मध्यम परियोजना घे ढूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गई प.ह.नं. 101 ग्राम पड़रिया तहसील सागर की भूमि के स्थान पर जल संसाधन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई 250.08 हे. गैर वन भूमि में से 248.70 हे. वन भूमि के बदले वन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने से हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार मालथौन/सागर/देवरी/केसली/रहली से निम्नानुसार भूमि का हस्तांतरण का प्रस्ताव मंगाया गया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर से प्रस्तावित भूमि में से शेष रकवा 1.32 हे. छोडे जाने के संबंध में अग्रिमत मंगाया गया। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक—1 सागर ने अपने पत्र क्रमांक—631/कार्य/वन भूमि/2017-18 सागर दिनांक 03.06.17 के द्वारा ग्राम सहजपुरी तहसील रहली की भूमि ख0नं0 1/2 भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार मालथौन रकवा 8.02 हे. में से रकवा 6.70 हे. भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार लागर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.06.17 में ग्राम मसवासी ग्रन्त की भूमि ख0नं0 37/2 तहसीलदार लागर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.06.17 में ग्राम मसवासी ग्रन्त की भूमि ख0नं0 37/2 तहसीलदार लागर द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.06.17 के द्वारा ग्राम सहजपुरीकलां की भूमि ख0नं0 1/2 रकवा 8.02 हे. में से 6.70 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार देवरी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 12.06.17 के द्वारा ग्राम मुडेरी तहसील देवरी की भूमि ख0नं0 47/1 रकवा 47.00 हे. वन विभाग को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार केसली ने अपने पत्र दिनांक 03.07.17 के द्वारा ग्राम भरदी की भूमि ख0नं0 88 में से 14.38 हे. ग्राम खरखरी की भूमि ख0नं0 1 में से रकवा 4.68 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक—एक सागर के ज्ञापन क्रमांक—137 ए/कार्य/वन भूमि/2017-18 सागर दिनांक 12.05.17 एवं क्रमांक—631 सागर दिनांक 03.06.17 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण स्वीकार करते हुए निम्नानुसार ग्रामों की शासकीय भूमि जो जल संसाधन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित है का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत म.प्र.शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है।

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि ख0नं0	कुल रकवा (हे.मे.)	कडान मध्यम परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित रकवा (हे. मे.)
01	मृगावली	मालथौन	1/1/2	96.00	96.00
02	भिलेया	मालथौन	402/1/2	30.00	30.00
03	मसवासीग्रन्त	सागर	37/2	50.00	50.00
04	मुडेरी	देवरी	47/1	47.00	47.00
05	भरदी	केसली	88/2	14.38	14.38
06	खरखरी	केसली	1/3	4.68	4.68
07	सहजपुरीकलां	रहली	1/4	8.02	6.70
कुल योग—				250.08	248.76

*Alay* 6D1/617  
(आलोक कुमार सिंह)  
कलेक्टर  
जिला—सागर



पृ.कं/४४।६/री०कले०/१७  
प्रतिलिपि:-

सागर, दिनांक ०६/०८/२०१७

- १- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- २- सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- ३- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- ४- प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
- ५- मुख्य वन संरक्षक दृत्त सागर जिला सागर
- ६- वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर/दक्षिण सागर वन मंडल सागर
- ७- अनुविभागीय अधिकारी सागर/देवरी/रहली/खुरई जिला सागर
- ८- कोर्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-एक सागर
- ९- तहसीलदार सागर/मालथौन/देवरी/केसली/रहली की ओर आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती एवं आधिपत्य देकर पालन प्रतिवेदन दस्तावेजों सहित भेजे जाने हेतु।



४४  
कलेक्टर ६/८/२०१७<sup>१८</sup>  
जिला-सागर

## न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.- 0029/अ-20(3)/वर्ष 2021-22

मौजा- मिरगावली प.ह.नं. 27

तहसील मालथौन जिला सागर (म.प्र.)

!! आदेश !!

(पारित दिनांक | ७ / ०५ / २०२२)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सचिन इन्द्रवाल पद प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि ग्राम मिरगावली रा.नि.म. मालथौन तहसील मालथौन स्थित भूमि ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.620 हे. में से 21.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अॉनलाइन पावती सहित प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त आवेदन पत्र जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी मालथौन को प्रेषित किया गया अनुविभागीय अधिकारी मालथौन द्वारा तहसीलदार मालथौन को भेजा गया।

तहसीलदार मालथौन द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया एवं इश्तहार प्रकाशन कराया गया इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार मौजा मिरगावली प.ह.नं. 27 रा.नि.म. मालथौन स्थित भूमि ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। ग्राम का भौगोलिक रकवा निम्नानुसार है:-

क्र.	भौगोलिक जानकारी	रकवा
1.	ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल	601.68 हे.
2.	ग्राम का मकबूजा रकवा	356.84 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकवा	244.84 हे.
4.	ग्राम का चरनोई का रकवा	71.29 हे.
5.	2 प्रतिशत चरनोई का रकवा	7.13 हे.
6.	ग्राम का 2 प्रतिशत से अधिक चरनोई का रकवा	64.16 हे.

उक्त संबंध में तहसीलदार मालथौन द्वारा राजस्व निरीक्षक मालथौन से प्रतिवेदन मय नक्शा लिया गया। राजस्व निरीक्षक ने ग्राम मिरगावली की भूमि ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. में से 21.00 हे. प्रस्तावित की गई। अतः आवेदक प्रोजेट डायरेक्टर पता प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बीना पीएमयू सागर को ग्राम मिरगावली की भूमि ख.नं. ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. में से 21.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने बाबत प्रतिवेदन जांच उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी मालथौन को प्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी मालथौन द्वारा तहसीलदार मालथौन के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम मिरगावली की भूमि ख.नं. ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. में से 21.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर विभागीय अधिसूचना एफ 6-75/2019/सात/शा.3 दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित दिशा निर्देशों के अधीन भूमि आवंटन हेतु नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक में रखे जाने हेतु नजूल अधिकारी सागर जिला सागर को प्रेषित किया गया।

// 2 //

रा.प्र.क्र.- 0029/अ-20(3)/वर्ष 2021-22

नजूल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मालथौन के द्वारा कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि तहसील मालथौन स्थित प.ह.नं. 27 डबडेरा के ग्राम मिरगावली स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. में से 21.00 हे. भूमि “म.प्र नजूल निर्वतन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कांडिका 17 के अनुसार “राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा”, वन मण्डल अधिकारी उत्तर वनमंडल सागर को उक्तानुसार भूमि हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदित भूमि कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मण्डल सागर को शून्य प्रब्याजि पर हस्तांतरित किये जाना प्रस्तावित कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः तहसीलदार मालथौन/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव के आधार पर प.ह.नं. 27 डबडेरा के ग्राम मिरगावली स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 1/1/1 रकवा 33.62 हे. में से 21.00 हे भूमि कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मण्डल सागर को शून्य प्रब्याजि पर हस्तांतरित की जाती है।

उक्त भूमि के आबंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(दीपक आर्य)

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक १७/०५/२०२२

पृ०क्र०/३४१२ /री०कल०/२०२२

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मण्डल, सागर की ओर सूचनार्थ।
2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर की ओर सूचनार्थ।  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालथौन जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने एवं आवंटित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
3. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परियोजना प्रशासक बीना पीएमयू जल संसाधन विभाग सागर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सागर

238  
24-15-122

# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

444-4  
५५

रा.प्र.क्र.- 0094/अ-20(3)/वर्ष 2022-23  
मौजा- कोलुआ अमरसा प.ह.नं. 28  
तहसील य जिला सागर (म.प्र.)

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक ०९/०५/२०२३)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.) द्वारा मौजा कोलुआ अमरसा तहसील सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 28 ख.नं. 385/1 रकवा 120.010 है, में से 35.00 है, मद शासकीय भूमि बांध निर्माण हेतु (फ़ड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना) हेतु आवंटित किये जाने चाहत आवेदन पत्र ऑनलाइन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त आवेदन पत्र जांच प्रतिवेदन हेतु अनुबिभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया अनुबिभागीय अधिकारी सागर द्वारा तहसीलदार सागर-ग्रामीण को भेजा गया।

तहसीलदार सागर-ग्रामीण द्वारा प्रकरण दर्ज कर, इश्तहार प्रकाशन कराया गया, इश्तहार प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। पंचायत से प्रस्ताव लिया गया एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार भूमि ख.नं. 385/1 रकवा 120.01 है, भूमि मध्यप्रदेश शासन दर्ज है, भूमि की प्रस्तावित स्थिति निम्नानुसार है- ख.नं. 385/1/1 रकवा 70.51 है, म.प्र. शासन दर्ज है, ख.नं. 385/1/2 रकवा 14.50 है, मद म.प्र. शासन तथा ख.नं. 385/1/3 रकवा 35.00 है, मद वन विभाग के नाम से दर्ज है, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1992-93 अनुसार ख.नं. 385 रकवा 122.71 है, (बड़ाझाड़) मध्यप्रदेश राज्य सरकार दर्ज है एवं वर्तमान खसरा अनुसार ख.नं. 285/2 रकवा 2.70 है, वन विभाग दर्ज है, ख.नं. 385 का कुल रकवा 122.71 है, है।

तहसीलदार सागर-ग्रामीण एवं अनुबिभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रारूप-2 में प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम कोलुआ अमरसा रा.नि.वृत्त सागर-1 तहसील सागर स्थित भूमि ख.नं. 385/1 रकवा 120.01 है, में से रकवा 35.00 है, भूमि आवंटन की जाना है, सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन दिनांक 01.02.2023 को दैनिक समाचार पत्र "आखरण" एवं "देशबंधु" में कराया गया प्रकाशन उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, उक्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है, प्रस्तावित भूमि का उपयोग बांध निर्माण हेतु किया जाना है, लैण्ड बैंक की प्रविष्टि अनुसार भूमि आवंटन योग्य है, आवेदित भूमि विकास योजना खेत्र में स्थित नहीं है, आवेदित भूमि संहिता की धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकार के प्रयोग के लिये पृथक नहीं रखी गई है, आवेदित भूमि संहिता की धारा 233-के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिये पृथक नहीं रखी गई है, मौके पर भूमि रिक्त है, आवेदक को भूमि ख.नं. 385/1 रकवा 35.00 है, भूमि आवंटन किया जाना उचित है प्रस्तावित कर प्रकरण अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

प्रकरण प्राप्त होने पर विभागीय अधिसूचना एन 6-75/2019/सात/शा.3 दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित दिशा-निर्दशों के अधीन भूमि आलंटन हेतु जिला नजूल निर्वतन समिति की बैठक में रखे जाने हेतु नजूल अधिकारी सागर जिला सागर को प्रेषित किया गया।

जिला नज़ूल निर्वतन समिति की बैठक दिनांक 28.04.2023 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से याम कोलुआ अमरसा प.ह.न. 28 तहसील सागर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 385/1 रक्कवा 120.01 हे. गे.रो 35.00 हे. भूमि म.प्र. नज़ूल निर्वतन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कोडिका 17 के अनुसार "राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नज़ूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के दूब क्षेत्र से प्रभावित वनभूमि के बदले ऐकलिपक यूक्तारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि वन मण्डल अधिकारी उत्तर वनमंडल सागर (वन विभाग म.प्र. शासन) को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नज़ूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि हस्तांतरित किये जाने बाबत प्रकरण अनुशासा सहित प्रेषित किया गया।

अतः तहसीलदार सागर-मारीण/अनुविभागीय अधिकारी सागर, नज़ूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नज़ूल निर्वतन समिति के निर्णय के आधार पर निमानुसार भूमि:-

क्र.	याम/तहसील	प.ह.न.	ख.न०	कुल रक्कवा	हस्तांतरित रक्कवा	मद	भूमि का उपयोग
1.	कोलुआ अमरसा/सागर	28	385/1	120.01 हे.	35.00 हे.	शासकीय	कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु
कुल योग-						35.00 हे.	

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की घारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र. नज़ूल निर्वतन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कोडिका 17 के अनुसार "राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नज़ूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के दूब क्षेत्र से प्रभावित वनभूमि के बदले ऐकलिपक यूक्तारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि वन मण्डल अधिकारी उत्तर वनमंडल सागर (वन विभाग म.प्र. शासन) को हस्तांतरित की जाती है।

उक्त भूमि के हस्तांतरण से याम का आम निस्तार का रक्कवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अधवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(दीपक आर्य)  
कलेक्टर  
जिला-सागर

पृष्ठा ०३६४९ / दिनांक ०९/०५/२०२३

सागर दिनांक ०९/०५/२०२३

प्रतिलिपि:-

- वनमंडल अधिकारी, उत्तर सागर वनमंडल जिला सागर को सूचनार्थ।
- नज़ूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रगारी अधिकारी भू-अर्जन शास्त्र जिला सागर की ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को भूमि प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अग्निलेश में युलस्ती कार्यालय जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य विलाये जाने तथा संशोधित अग्निलेश की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिरिक्त इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।

०८

// 3 //

रा.प्र.क्र.- 0094/अ-20(3)/वर्ष 2022-23

5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार, सागर-ग्रामीण जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परियोजना प्रशासक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कलेक्टर  
जिला-सागर

18701/08

४-३० अप्रैल १९६८ विजय नाथ राय

卷之三

卷之二

एकांकी

卷之三

ग्राम ०८६मसवासी ग्राम

वर्ष २०१७-२०१८.

हल्का ०४४गड्हपहरा मुहाल रा. नि. नं सागर-१

तहसील सागर.

वर्ष २०१७-२०१८.

क्रमांक	क्षेत्रफल (आरे यादि भूमि खाते में समिलित न हो तो उसका बर्णन)	कल्जेदार का नाम, का या पाति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो ओर देश राजसंघ का लगान	किसी भूमिकामी या पट्टदार का या किसी मौलिक काशतकार के उप पट्टदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पेट की रकम और उस पहुंच पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	किसी भूमिकामी या पट्टदार का या किसी मौलिक काशतकार के उप पट्टदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पेट की रकम और उस पहुंच पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते का भूमि क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दोरान में फसल का नाम फसल का नाम	खाते का भूमि क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दोरान में फसल का नाम फसल का नाम	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई कॉफियत
१	२	३	४	५	६	७	८
खसरा क्र.३७/२:निरंतर							
xw							

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर:  
**कल्जेदार यशोरती  
ताहरील लाल**

नाम, पद एवं दिनांक:







मध्य प्रदेश कम्पटरीकृत भू-अभियान  
फार्म पी - ॥  
खुमरा

ग्रामःमुंडरी	हस्का : 70 भूमि (मुख्यालय)	रा.नि. : महाराजपुर	तहसीलःदेवी	जिला : माराठ	क्रमांक 2019-2020
देवीताळ (और गढे भूमि खाती ने स्पर्शनिर्दि न हो तो उसका कर्नन)	कधेदरां चा नाम उसके पिता का या पति कधेदरां का नाम निवास स्थान, अधिकार विस्तर अनुसार भूमि धारण की गई हे आणे लेण गजेदर का लालान गेहे भागा का देवीताळ	किंवा भूमिकानी या पैदेताळ का या किंवा पैदेताळी कालाकार के उप- पैदेताळ विस्तरे वर्बे के दोग्रन मे पासल जाई गई	देवीताळ विस्तरे वर्बे के दोग्रन मे पासल जाई गई	खाते की पूर्णि पूर्णी का देवीताळ	खाते के बाहर के हीं जे ने बैट्टा ईं पासल का नाम तथा देवीताळ
1	2	3	4	5	6
47/32	47,000 0	(शासकीय)			कलेक्टर आदेश संख्या 203/9(3)वर्ष 01-06-17 /दिनांक 06/07/2019 के अनुस र नाया खासरा नवर दर्ज किया गया। या, कलेक्टर नाया जिला सार के रा.प्र. के 203/19 3 दर्ज 2016-17 आदेश दिन 01-06-2017 के 06.07.2017 के द्वारा रक्खा 47 .00, भूमि वन विभाग को हस्तांतरित क र्ती जाती है।

21 May 1970

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01  
Date: 2019-11-21 18:03:25 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy  
CLR No. : 1110070200070254000150





મધ્યપ્રદે� કાન્પટાઈકત પ્ર-આપિલેખ

卷之三

અધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન એન્ડ રિસર્ચ કોર્પોરેશન (અધ્યવિરુદ્ધ) છદ્રાંગનાથ, 2020

CLR No.: 1109247149



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2024.01.24 15:23:23 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy  
S.R. No.: 1102471149

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.रो.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर

- आदेश -

आदेश क्रमांक/मा.चि./3-18-1/2018/259

सागर दिनांक 25/07/2018

वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2018/1038 दिनांक 25.07.2018  
द्वारा सागर जिले के कड़ान मध्यम परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण योजना का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के  
उपरांत कार्या.आदेश क./व्यय/2018/22 दिनांक 29.01.2018 द्वारा परिक्षेत्र केसली के खसरा क.-47/1 रकम  
47.00 हे.के संबंध में जारी की गई तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

25/07/18  
(व्ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक  
सागर वृत्त, सागर


- आदेश -

आदेश क्रमांक/मा.चि./3-18-1/2018/260

सागर दिनांक 25/07/2018

वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2018/1038 दिनांक 25/7/2018 द्वारा  
प्रस्तुत सागर जिले के अंतर्गत कड़ान मध्यम परियोजना का संशोधित प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने एवं अपर  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा उक्त योजना के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन,  
वित्त विभाग के ज्ञाप क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दि. 3.9.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश  
में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1— चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन, एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
- 2—कार्यों में मित्तव्ययता बरती जावे, कौप्या मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जावे।
- 3— कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन अनुसार तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया  
जावे।
- 4— कथ की जाने वाली सामग्री में भंडार कथ नियमों का पालन किया जावे एवं जी.एस.टी. की राशि का तत्काल  
भुगतान किया जावे।
- 5— रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण किया जावे। रोपण क्षेत्र में क्षेत्र की उपयुक्तता अनुसार पौधों का  
रोपण कराया जावे। प्रत्येक कार्य टाईम प्लान अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जावे। रोपण क्षेत्र में बेर, बबूल,  
प्रोसेप्रिस, बड़, पीपल, गूलर, नीम, महुआ व आम प्रजाति की के पौधों का रोपण कराया जावे।
- 6— कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मु.व.सं.(भू-सर्वक्षण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/भू-सर्व/बजट/10/1445  
दिनांक 24.02.2004 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
- 7— प्रधान मुख्य वन संरक्षक(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/168 दिनांक 18.05.18 एवं अपर  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/10-3/2013/3410 दिनांक 13/11/2013 द्वारा  
वृक्षारोपण क्षेत्रों का कराये जाने वाले मूल्यांकन कराना तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के साफ्टवेयर में प्रविष्टि  
रोपण क्षेत्र में कुल रोपित पौधों की संख्या, पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटोग्राफ्स अपलोड करना होगा।
- 8— वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML File तैयार कर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने का  
उत्तरदायित्व संबंधित वनमण्डल अधिकारी का होगा।
- 9— प्राक्कलन में उल्लेखित आस्थामूलक कार्यों की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अनिवार्य  
रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 10— प्रत्येक कार्य की सक्षमता अनुसार पृथक-पृथक तकनीकी स्वीकृति जारी कर ही कार्य कराया जावे।
- 11— यदि कराये गये कार्य प्राक्कलन में उल्लेखित निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो उसके लिए  
कार्य को सत्यापन करने वाले व भुगतान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।



परिक्षेत्र का नाम	खसरा कमांक	कार्य का नाम	पटवारी हल्का नंबर	रकदा है ० में	तकनीकी स्वीकृति राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7
1 केसली	47/1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	-	47.00	2,51,68000/- (रु. दो करोड़ इक्यावन लाख, अड्डसठ हजार, रु. मात्र)	

उक्त स्वीकृति केम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्र SS-10 के अनुकगांक 126 पर दर्ज की गई है।

१०७/१८  
(व्ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक  
सागर वृत्, सागर  
सागर दिनांक २५/०७/२०१८

पृष्ठाक्रमांक/मा.चि./2018/137।

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./06/2018/1038 दिनांक 25/7/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत केम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करायें जावे। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य केम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रारंभ नहीं कराये जाते हैं और कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिए संबंधित वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


संलग्न - अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

१०७/१८  
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक


सागर वृत्, सागर

# SOUTH DIVISION SAGAR

## Range Deori



*Kadan Mediyam Yojna -  
Project Report  
Year 2018-19 to 2027-28  
Campa Plantation*



Villege

Muderi

Khasra No.

47/1

Area

47h.



Scanned with OKEN Scanner

प्रोजेक्ट रिपोर्ट  
कड़ान भव्याग योजना के दूसरे सेव में प्रगतिशील परामर्शदाता नियमित उपचार  
कालिकान गुदामोरण-गुड़ी  
ए.न.-47/1, रक्षा 47 है।

(4)

दर 281.73 प्रति रु.रु.

प्रयग वर्ष 2018-19 (शेव तीयारी)	कार्य विवरण	कार्य की गामा	इकाई	दर गामा	दर	राशि	विवरण
1 शेव का संवेदन एवं सीमांकन		47,000	हे.	0.45	126.78	5959	CCF Job Rate
2 शेवकीय सेव में पक्के गुड़ा नियम		45	भग	0	5000.00	225000	SANCTION RATE
3 शेव सर्वोच्च कर्म-वित्त सेव		40,000	हे.	4	1126.92	45077	CCF Job Rate
4 कैंसिन हेतु गुड़ा इलाइनेट अंतराल 2.5 मी.		1250	हजार	2.5	704.33	880	CCF Job Rate
5 फेसिंग हेतु गुड़ा छुदाई 45x45x45cm		1250	सेकड़ा	5	1408.65	17608	CCF Job Rate
6 आर.सी.सी. पोल्स क्षय 2.30 मी. लंबे		1250	पोल्स	0	320.00	400000	LUMI
7 बारवेड बायर क्षय 2750 र.मी. x 3 लाईन 8250 र.मी. (1 र.मी. = 225 ग्र. लागत)	=	1858	फिल्म	0	87.98	163467	LUMI
8 वेनिलिंग सेविंग क्षय- 1.80 मी. लंबी मेस साइज 75 x 75 mm (3 inch x 3 inch) 2.50 mm (12 SWG) DIGI WIRE APPROX. WEIGHT PER SQ. MTR, 1.20 KG Item ID SMM 300104		4950	वर्गमी.	0	92.04	455598	LUMI
9 लोहाय को कसने हेतु वी.आई.तार		160	फिल्म	0	43	6880	MARKET RATE
10 सीमेंट क्षय		475	बोरी	0	285.44	135584	MARKET RATE
11 रेत क्षय		60	घ.मी.	0	1344	80640	MARKET RATE
12 शिल्पी क्षय		121	घ.मी.	0	724.48	87662	MARKET RATE
13 पोल्स बैनिंग कैंसिन जाती , सीमेंट, रेत, निहटी एवं अन्य सामग्री को संग्रहण स्थल तक परिवहन करने पर		1 Ls		Ls	Ls	25000	MARKET RATE
14 आर.सी.सी. पोल्स 1:4:8 सीमेंट कोंक्रीट के भसाले से गढ़ों में छड़ा को किस्त करना साईंज $0.30 \times 0.30 \times 0.50 \text{ mtr}^3 = 0.045 \times 1250$ Poles=56.25 घ.मी., (-) गाड़े जाने वाले पोल्स का आयतन $0.10 \times 0.10 \times 0.50 \text{ mtr} = 0.005 \times 1250 \text{ Poles}=6.25$ , NET QTY .50.00 cent		1250.000	पोल्स	0	45	56250	MARKET RATE
15 पोल्स किस करने एवं तरह हेतु धानी क्षय		60,000	टेकर	0	325	19500	MARKET RATE
16 बैनरिंग बौती कसना एवं खट्टीयार तार को 3 लाईन में छीधकर कसना		2750	र.मी.	0.096	27.04608	74377	CCF Job Rate
17 रोपण हेतु गढ़ा छुदाई						0	
अ-गढ़ा इलाइनेट- अंतराल 3 x 2 मी.		75200	हजार	2.5	704.33	52965	CCF Job Rate
ब-गढ़ा छुदाई 60x60x60 सेमी.		75200	सेकड़ा	10	2817.30	2118610	CCF Job Rate
18 उपचाल निर्दिष्टी का संकलन एवं परिवहन (गढ़ा का आयतन का 25 प्रतिशत)		4060,000	घ.मी.	0	219.91	892835	MARKET RATE
19 गोबर खाद क्षय/परिवहन (गढ़ा का आयतन का 25 प्रतिशत)		4060,000	घ.मी.	0	600	2436000	MARKET RATE
20 धूप धूपी के संरचना क्षय 25 ग्राम प्रति गढ़ा		1880	फिल्म	0	16.39	30813	MARKET RATE
21 धूप क्षय 20: गेनुजारी सीलिंग दो दर आमु धूपे साथीन 70 प्रतिशत और 10 प्रतिशत धूप 05 प्रतिशत और 05 प्रतिशत महुआ 05 प्रतिशत		90240	plants	0.00	25.00	2256000	Market Rate
22 क्षय रोपणी से रोपण स्थल तक क्षय परिवहन		90240	plants	0.00	5.00	451200	MARKET RATE
23 क्षय धूपी के संरचना हेतु सिलिंग व्यवस्था 3 माह टेकर धारा		800	Tankar	0.00	325.00	260000	MARKET RATE
24 गढ़ों से उपचाल निर्दिष्टी एवं साधारणिक खाद का प्रियाण तिपार करे भवना		75200	pit	1.50	4.23	317791	CCF Job Rate
25 लौंग धूप स्थल स्थर नियोग कर प्रियाण सहित		1	LS	0	LS	50000	Market Rate
26 नियोग पथ/स्थुप मार्ग नियोग		5	फि.मी.	30	8452	42260	CCF Job Rate
27 इलाइन देव में नियोग हेतु सेलर नियोग स्थल		1	संख्या	0	Ls	100000	MARKET RATE
28 योजना क्षियानवयन दो दस-(प्रति दस 2 श्रेणी) 9 माह X 2		18	प्रति माह	0	7325	131850	COLLECTOR RATE
29 अन्य व्यय- जी.एम.टी. टेकर, मजदूरी युद्धि/ रस्ती, धूता, बोर्ड एवं सामग्री परिवहन एवं अन्य आवार्सामिक व्यय			LS	0	LS	50195	
30 प्रयग दर्ता की धारा का 20 प्रतिशत, रहीं से भू. जल राशन कार्ब					Total	10990000	
म-परस्परेशन टेक नियोग		1	भग	0.00	LS	2198000	AS PER ESTIMATE
	योग:-					13188000	

वनपारसंवाधिकारी,

देवरी

उपवनगडलउपरियारी,

देवरी

यनमण्डलउपरियारी,

देवरी

1 जून 2019 तक (रोपण करते)

दर 309.90 रुपये प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	मात्रा	लागत (लागत)
1 नीति वालवाल (रोपण कार्य पर एक साथ पर लागत की ओर को पहुंची तरह दर्शाया)	75200	सेकड़ा	0.40	123.96	93218	CCF Job Rate
2 नीति वालवाल 60+60+60 रोपण गे	75200	सेकड़ा	2.00	619.80	466690	CCF Job Rate
3 नीति की पायाज नियम	75200	सेकड़ा	1.24	384.28	288976	CCF Job Rate
4 नीति की बोलीय नियम	75200	सेकड़ा	0.90	278.91	209740	CCF Job Rate
5 नीतिगतक कर्य एवं फिरवान	75200	सेकड़ा	0.10	30.99	23304	CCF Job Rate
6 नीतिगत कर्य भारत में 01 वार याह अश्वद्वार से मार्च - 06 मार्च भारत के हिसाब से 06 वार = 250 देक्टर प्रति नियाई , पानी कर एवं पानी परिवहन टेकर मात्रा 1 टेकर बरतवर 3000 रुपये	1500	टेकर	0.00	350.00	525000	Market Rate
7 नीतिगत कर्य भारत में 01 वार याह अश्वद्वार से मार्च - 06 मार्च भारत के हिसाब से 06 वार = 250 देक्टर प्रति नियाई , पानी कर एवं पानी परिवहन टेकर मात्रा 1 टेकर बरतवर 3000 रुपये	451200	पीपा	1.25	387.38	1747836	CCF Job Rate
8 नीतिगत पीपों की मुडाई भारत में 01 वार मुडाई लेतु पीपा मुडाई कार्य मात्र अश्वद्वार से मार्च - 06 मार्च में 01 वार के हिसाब से 06 वार मुडाई = 554880 पीपा	451200	पीपा	0.90	278.91	1258442	CCF Job Rate
9 देवल कियावन दो दल-(प्रति दल 2, शिख) 12 मात्र X 2	24	प्रति माह	0	8057	193378	COLLECTOR RATE
10 अन्य लग्ज- जी.एस.टी. ईवेस, मनमूरी वूलिं/ सामग्री परिवहन एवं अन्य आवश्यक लग्ज	LS		0.00	0.00	4017	
		दोग:-				4810000

तृतीय वर्ष 2020-21 (रोपण पश्चात् रखरखाव प्रथम वर्ष)

दर 340.89 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	मात्रा	लागत (लागत)
1 20 % दूत पीपों को बदलने हेतु पीपा लग्ज, परिवहन	15040	प्रति	0.00	25.00	376000	CCF Job Rate
2 पीपा परिवहन (रोपणी से रोपण स्थल तक)	15040	प्रति	0.00	5.00	75200	CCF Job Rate
3 दूत पीपों के स्थान पर नवे पीपा सामग्रा गद्दा खुदाई सहित	15040	सेकड़ा	1.50	511.34	76905	CCF Job Rate
4 पीपों की प्रदान नियाई	60160	सेकड़ा	1.24	422.70	254298	CCF Job Rate
5 पीपों की द्वितीय नियाई	75200	सेकड़ा	0.90	306.80	230714	Market Rate
6 रासायनिक खाद/ नीतिगतक अन्य	LS	0.00	0.00	0.00	20000	
7 दूसरोंपाल में आवश्यकतानुसार रासायनिक खाद बालना एवं नीतिगतक का डिफिक्युल्ट						
अ- मुडाई कर मिली में मिलना	75200	सेकड़ा	0.50	170.45	128175	CCF Job Rate
ब- रखरखावक कर डिफिक्युल्ट	75200	सेकड़ा	0.10	34.09	25635	CCF Job Rate
8 देवल कियावन दो दल-(प्रति दल 2 शिख) 12 मात्र X 2	24	प्रति माह	0	8863	212715	COLLECTOR RATE
9 अन्य लग्ज- जी.एस.टी. ईवेस, मनमूरी वूलिं/ अन्य आवश्यक लग्ज	LS		0.00	0.00	10357	
	दोग:-					1410000

देवरी  
देवरी

उपवनगंडलगंडपकारी,  
देवरी

दनमांडलभविकारी,  
देवरी

मुद्रा रात्रि 2021-22 (रोपण पश्चात् रखरखाव दृतीय वर्ष)

दर 304.97 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	राशि	विशेष विवरण
10% गृह घीरों को बदलने हेतु घीरा कर्य, परिवहन	7520	प्रति	0.00	27.00	203040	CCF Job Rate
घीरा परिवहन (रोपण से रोपण स्थल तक)	7520	रोपड़ा	0.00	5.00	376	CCF Job Rate
2 घीरों वर्ष प्रथम निर्दाइ	67680	रोपड़ा	1.24	84.96	314687	CCF Job Rate
3 घीरों वर्ष द्वितीय निर्दाइ	75200	सेफ़ड़ा	0.90	337.47	253780	CCF Job Rate
4 अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मीटर घीरों लाईन कटाई, सफाई, जलाई कार्य	5	कि.मी.	3.35	1256.15	6281	CCF Job Rate
7 सेवना किञ्चनबन से दर-(प्रति दर 1 अभिक) 12 माह X 2	24	प्रति माह	0	9749	233981	COLLECTOR RATE
8 अन्य व्यय:- जी.एस.टी. टैक्स, मजदूरी वृद्धि/ अन्य आकर्षित व्यय	LS		0.00	0.00	7855	
योग:-					1020000	

पंचम वर्ष 2022-23 (रोपण पश्चात् रखरखाव तृतीय वर्ष)

दर 412.46 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	राशि	विशेष विवरण
1 घीरों वर्ष प्रथम निर्दाइ	75200	सेफ़ड़ा	1.24	511.45	384611	CCF Job Rate
2 अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मीटर घीरों लाईन कटाई, सफाई, जलाई कार्य	5	कि.मी.	3.35	824.92	4125	CCF Job Rate
3 सेवना किञ्चनबन से दर-(प्रति दर 1 अभिक) 12 माह X 2	24	प्रति माह	0	10724	257375	COLLECTOR RATE
4 अन्य व्यय:- जी.एस.टी. टैक्स, मजदूरी वृद्धि/ अन्य आकर्षित व्यय	LS		0.00	0.00	3890	
योग:-					650000	

षष्ठम वर्ष 2023-24 (रोपण पश्चात् रखरखाव चतुर्थ वर्ष)

दर 453.70 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	राशि	विशेष विवरण
1 अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मीटर घीरों लाईन कटाई, सफाई, जलाई कार्य	5	कि.मी.	3.35	1519.9	7599	CCF Job Rate
2 सेवना किञ्चनबन से दर-(प्रति दर 1 अभिक) 12 माह X 2	24	प्रति माह	0	11796	283109	COLLECTOR RATE
3 अन्य व्यय:- जी.एस.टी. टैक्स, मजदूरी वृद्धि/ अन्य आकर्षित व्यय	LS	हे.	0.00	0.00	9292	
योग:-					300000	

सप्तम वर्ष 2024-25 (रोपण पश्चात् रखरखाव पंचम वर्ष)

दर 499.07 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	राशि	विशेष विवरण
1 अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मीटर घीरों लाईन कटाई, सफाई, जलाई कार्य	5	कि.मी.	3.35	1671.9	8359	CCF Job Rate
2 सेवना किञ्चनबन से दर-(प्रति दर 1 अभिक) 12 माह X 2	24	प्रति माह	0	12976	311420	COLLECTOR RATE
3 अन्य व्यय:- जी.एस.टी. टैक्स, मजदूरी वृद्धि/ अन्य आकर्षित व्यय	LS	हे.	0.00		2221	
योग:-					322000	

अष्टम वर्ष 2025-26 (रोपण पश्चात् रखरखाव षष्ठम वर्ष)

दर 548.97 प्रति मा.दि.

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	दर मा.दि.	दर	राशि	विशेष विवरण
1 अग्नि सुरक्षा हेतु 6 मीटर घीरों लाईन कटाई, सफाई, जलाई कार्य	5	कि.मी.	3.35	1839.0	9195	CCF Job Rate
2 सेवना किञ्चनबन से दर-(प्रति दर 1 अभिक) 12 माह X 2	24	प्रति माह	0	14273	342557	COLLECTOR RATE
3 अन्य व्यय:- जी.एस.टी. टैक्स, मजदूरी वृद्धि/ अन्य आकर्षित व्यय	LS	हे.	0.00	0.00	8247	
योग:-					360000	

वनपरिवहनाधिकारी,

देवरी

उपवनमंडलाधिकारी,

देवरी

वनपरिवहनाधिकारी,  
देवरी

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100
101	102	103	104	105
106	107	108	109	110
111	112	113	114	115
116	117	118	119	120
121	122	123	124	125
126	127	128	129	130
131	132	133	134	135
136	137	138	139	140
141	142	143	144	145
146	147	148	149	150
151	152	153	154	155
156	157	158	159	160
161	162	163	164	165
166	167	168	169	170
171	172	173	174	175
176	177	178	179	180
181	182	183	184	185
186	187	188	189	190
191	192	193	194	195
196	197	198	199	200
201	202	203	204	205
206	207	208	209	210
211	212	213	214	215
216	217	218	219	220
221	222	223	224	225
226	227	228	229	230
231	232	233	234	235
236	237	238	239	240
241	242	243	244	245
246	247	248	249	250
251	252	253	254	255
256	257	258	259	260
261	262	263	264	265
266	267	268	269	270
271	272	273	274	275
276	277	278	279	280
281	282	283	284	285
286	287	288	289	290
291	292	293	294	295
296	297	298	299	300
301	302	303	304	305
306	307	308	309	310
311	312	313	314	315
316	317	318	319	320
321	322	323	324	325
326	327	328	329	330
331	332	333	334	335
336	337	338	339	340
341	342	343	344	345
346	347	348	349	350
351	352	353	354	355
356	357	358	359	360
361	362	363	364	365
366	367	368	369	370
371	372	373	374	375
376	377	378	379	380
381	382	383	384	385
386	387	388	389	390
391	392	393	394	395
396	397	398	399	400
401	402	403	404	405
406	407	408	409	410
411	412	413	414	415
416	417	418	419	420
421	422	423	424	425
426	427	428	429	430
431	432	433	434	435
436	437	438	439	440
441	442	443	444	445
446	447	448	449	450
451	452	453	454	455
456	457	458	459	460
461	462	463	464	465
466	467	468	469	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480
481	482	483	484	485
486	487	488	489	490
491	492	493	494	495
496	497	498	499	500
501	502	503	504	505
506	507	508	509	510
511	512	513	514	515
516	517	518	519	520
521	522	523	524	525
526	527	528	529	530
531	532	533	534	535
536	537	538	539	540
541	542	543	544	545
546	547	548	549	550
551	552	553	554	555
556	557	558	559	560
561	562	563	564	565
566	567	568	569	570
571	572	573	574	575
576	577	578	579	580
581	582	583	584	585
586	587	588	589	590
591	592	593	594	595
596	597	598	599	600
601	602	603	604	605
606	607	608	609	610
611	612	613	614	615
616	617	618	619	620
621	622	623	624	625
626	627	628	629	630
631	632	633	634	635
636	637	638	639	640
641	642	643	644	645
646	647	648	649	650
651	652	653	654	655
656	657	658	659	660
661	662	663	664	665
666	667	668	669	670
671	672	673	674	675
676	677	678	679	680
681	682	683	684	685
686	687	688	689	690
691	692	693	694	695
696	697	698	699	700
701	702	703	704	705
706	707	708	709	710
711	712	713	714	715
716	717	718	719	720
721	722	723	724	725
726	727	728	729	730
731	732	733	734	735
736	737	738	739	740
741	742	743	744	745
746	747	748	749	750
751	752	753	754	755
756	757	758	759	760
761	762	763	764	765
766	767	768	769	770
771	772	773	774	775
776	777	778	779	780
781	782	783	784	785
786	787	788	789	790
791	792	793	794	795
796	797	798	799	800
801	802	803	804	805
806	807	808	809	810
811	812	813	814	815
816	817	818	819	820
821	822	823	824	825
826	827	828	829	830
831	832	833	834	835
836	837	838	839	840
841	842	843	844	845
846	847	848	849	850
851	852	853	854	855
856	857	858	859	860
861	862	863	864	865
866	867	868	869	870
871	872	873	874	875
876	877	878	879	880
881	882	883	884	885
886	887	888	889	890
891	892	893	894	895
896	897	898	899	900
901	902	903	904	905
906	907	908	909	910
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930
931	932	933	934	935
936	937	938	939	940
941	942	943	944	945
946	947	948	949	950
951	952	953	954	955
956	957	958	959	960
961	962	963	964	965
966	967	968	969	970
971	972	973	974	975
976	977	978	979	980
981	982	983	984	985
986	987	988	989	990
991	992	993	994	995
996	997	998	999	1000

01/01/2018/21/7/2018 KADAN PLANTATION 2018-19 PROJECT PATAHAR JALSEY

01/01/2018/21/7/2018 KADAN PLANTATION 2018-19 PROJECT PATAHAR JALSEY

# आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //


क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2023 / । 3।

सागर दिनांक : ।।।/12/2023

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / व्यय / 11 दिनांक 27/01/2018 द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कड़ान मध्यम परियोजना के निर्माण में प्रभावित वन भूमि 248.76 हे. के बदले में प्राप्त गैरवनभूमि ग्राम भिलैया खसरा नं. 402/1 रकवा 30.00 हेक्ट की राशि रूपये 12407413/- की तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। वनमंडल उत्तर सागर के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 856 दिनांक 12/12/2023 एवं पत्र क्रमांक / मा.चि. / 863 दिनांक 13/12/2023 द्वारा कड़ान मध्यम परियोजना अंतर्गत प्राप्त ग्राम भिलैया खसरा नं. 402/1 रकवा 30.00 हेक्ट गैरवनभूमि का सम्पूर्ण भूमि अतिक्रमण ग्रसित होने के कारण भौका कब्जा प्राप्त नहीं होने के कारण, कलेक्टर सागर द्वारा ग्राम कोलुआ अमरसा खसरा नं. 385/1 रकवा 35.00 हेक्ट. वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का 11 वर्षीय प्राक्कलन (वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक) एवं ग्राम मृगावली खसरा नं. 1/1/1/2 रकवा 21.00 हेक्ट. में संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का 11 वर्षीय प्राक्कलन (वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक) तकनीकी स्वीकृत हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम / चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना / कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकवा है.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	कड़ान मध्यम परियोजना	उत्तर सागर	कोलुआ अमरसा	385/1	35.00	19944601.00
2				मृगावली	1/1/1/2	21.00	8563556.00
				Total		56.00	28508157.00

- मुख्यालय द्वारा स्थल स्वीकृत प्राप्त होने के उपरांत CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे. व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में .KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
- कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- क्य की जाने वाली सामग्री में भंडार क्य नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भगतान किया जाने। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) प.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
- यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते हैं तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
- वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय कर्जने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।



- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु. /168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ़स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
  13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
  14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में कुछुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
  15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
  16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
  17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
  18. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत बोल्डर चंकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू-जल संरक्षण संरचनाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS..... के अनुक्रमांक 3.1..पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)  
मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/२२६७  
प्रतिलिपि :—

सागर दिनांक : १५/१२/२०२३

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  4. वन मण्डल उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./856 दिनांक 12/12/2023 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./863 दिनांक 13/12/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
  5. प्रभारी मानविकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- संलग्न :— उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

वनप्रण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर वनप्रण्डल  
D.M.Baz/Campaa /TS 2023

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

# प्रोजेक्ट रिपोर्ट

कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण  
कोलुआ अमरसा

योजना अवधि वर्ष 2024–25 से 2034–35



योजना — कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण  
कोलुआ अमरसा

मद का नाम — केम्पा मद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

वन परिक्षेत्र — उत्तर सागर

परिक्षेत्र सहायक वृत्त — उत्तर सागर

बीट का नाम — जेरई

खसरा नं. — 385 / 1

क्षेत्रफल — 35 हेए

योजना की राशि रूपये में — 19944601.00

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

**प्रोजेक्ट-रिपोर्ट वन परिषेत्र उत्तर सागर**  
**कडान मध्यम सिंचाई परियोजना क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण कोलुआ अमरसा**

दृष्टि क्रमांक  
वाट का नाम  
वृक्षारोपण का कुल रकवा (हेक्टेयर में)  
ग्राम वन समिति का नाम  
वृक्षारोपण क्षेत्र की चर्तुसीमा

: खसरा क.- 385/1  
जेरई  
: 35 हेक्टेयर  
ग्राम वन समिति बेरखेडी सुवंश  
: 5000 र.मी. (क्षेत्र घेराव हेतु 5000 र.मी. में चेनलिंक फेसिंग कार्य प्रस्तावित है)

**क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष-2024-25**

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस / दर	दर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	35	ha	0.45	प्रति हेतु	15.75	6316	जाँबदर
2	मुनारा निर्माण कार्य	40	नग	6500/मुनारा	प्रति नग	648.38	260000	जाँबदर
3	क्षेत्र सफाई कार्य							मुद्रा / आवेदन/09 टिकटक-11/01/2023 ग स्थीरित
	(i) 20 सेमी से कम गोलाई की आड़ी-तेढ़ी विकृत पीढ़ी कटाई रख सफाई	15	हे.	10.256	प्रति हेक्ट	153.84	61690	जाँबदर
	(ii) अनुपयोगी झाड़ियों की कटाई सफाई	15	हे.	4.000	प्रति हेक्ट	60.00	24060	जाँबदर
4	लेन्टाना उन्मूलन कार्य							
	(सघन)	20	ha	22.00	प्रति हेक्ट	440.00	176440	जाँबदर
	(मध्यम)	10	ha	12.50	प्रति हेक्ट	125.00	50125	जाँबदर
	(विवर)	5	ha	8.00	प्रति हेक्ट	40.00	16040	जाँबदर
5	सुरक्षा घेराव (चेनलिंक जॉली एवं वारवेड वायर द्वारा 5000 र.मी.)							
	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव के लिए सीमेट पोल, चेनलिंक जॉली, वारवेड वायर, यूनेल्स कथ आदि कथ एवं पोल्स गाड़ने हेतु गड़ा खुदाई, एवं पोल्स गड़ों में सीमेट कालीट मिश्रण से फिक्स करने के उपरात तराई एवं चेनलिंक जॉली एवं वारवेड वायर को खन्नों में मजदूरी से फिक्स करने का कार्य एवं अन्य कार्य किये जावेंगे।	5000	र.मी.	2.400	प्रति र.मी.	12000	4812000	मुद्रा स सागर गृह समाज का पत्र क्रमांक/6306 दिनांक-16/10/2019 से अनुमोदित दर
6	पोधा रोपण हेतु गड़ा खुदाई कार्य							
	पोधा रोपण हेतु (2X2 मीटर एवं 3x3 मीटर) अतराल पर गड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग कार्य	35000	गड़डे	2.5	प्रति हजार	87.50	35088	जाँबदर
7	रोपण हेतु गड़ा खोदाई संख्या (जे.सी.बी. मशीन द्वारा खुदाई कार्य)							
	1. 0.60x0.60x0.60 cm.(2X3) मीटर के अतराल पर	17500	गड़डे	8	प्रति सेकड़ा	1400.00	561400	मुद्रा स सागर का पत्र का दर पर 22.40/2023
	2. 0.60x0.60x0.60 cm.(2X2) मीटर के अतराल पर	17500	गड़डे	8	प्रति सेकड़ा	1400.00	561400	
	3. जे.सी.बी. मशीन से खोदे गये गड़ों का मजदूरी द्वारा फिक्सिंग कार्य	35000	गड़डे	1	प्रति सेकड़ा	350	140350	
8	गड़ों में उपजाऊ मिट्टी भरने हेतु कुल आयतन का 50% मिट्टी कथ करना	3780	घ.मी.	1.5	प्रति घ.मी.	5670.00	2273670	जाँबदर
9	पोधा कम्पोस्ट कथ प्रति पोधा	35000	पोधा	0	2.5 प्रति पोधा	218.20	87500	मुद्रा / पत्र/ 2023 / 1021 दिनांक-21/04/2023 से लाइसेंस
10	नीम खली कथ 30 ग्राम प्रति गड़ा	1050	कि.ग्रा.	0	52 प्रति कि.ग्रा	136.16	54600	जाँबदर
11	नीम खली एवं वर्षी कम्पोस्ट मिट्टी में मिलाकर गड़ों में डालना	35000	गड़डे	1.5	प्रति सेकड़ा	525.00	210525	
12	निरीक्षण वायर निर्माण नीमा के घासे और एवं रोपण क्षेत्र के मह्य में	6	कि.मी.	20000/-	कि.मी.	299.25	120000	अनुमोदित
13	लोहा मेट कथ मय फिक्सिंग सहित	2	नग	0.00	एल.एस.	99.75	40000	मुद्रा स सागर का पत्र पर 22.40/2023 पर 1580 दि-24/03/2023
14	लोहे का थोड़ा निर्माण मय फिक्सिंग सहित	2	नग	0.00	एल.एस.	24.94	10000	अनुमोदित
15	लेवर कंपीग हेतु कराचा हट (झोपडी) निर्माण कार्य	2	प्रति नग	25000/ प्रति नग	प्रति नग	124.69	50000	मुद्रा स सागर का पत्र पर 1580 दि- 24/03 2023
16	अन्य वायर गेली कावडा तरसला, छुना, रस्ती वार्निस मेट आदि कथ	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	121.69	48797	अनुमोदित
					योग:-	23940	9600000	
17	भू-जल सरकाण कार्य हेतु कुल राशि का 25 प्रतिशत	0	0	0	0	5985.04	2400000	अनुमोदित
18	रोपण हेतु पोधा कथ							
	प्रथम रोपण हेतु पोधा कथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित	38500	पोधा	13	13/पोधा	1248	500500	वाजार दर
					महायोग-	25188	10100500	

वन परिषेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

**योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26**

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमांड
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
2	3	4	5	6	7	8	9
1 पौधों का परिवहन (सख्ता)							
द्रक / ट्रैक्टर द्वारा	38500	पौधे	1.5	प्रति सेकंडा	578	245438	जाँबदर
डम्पिंग स्थल से गढ़ो तक सिरबोझ द्वारा 1 किमी 10 तक पौधा परिवहन	38500	पौधे	0.4	प्रति सेकंडा	154	65450	जाँबदर
2 लैटाना मापिंग अप आपरेशन	20	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	160	68000	जाँबदर
3 नीम खाली एवं बर्मी कम्पोस्ट मिट्टी में मिलाकर गढ़ो में डालना	35000	गढ़ो	1.5	प्रति सेकंडा	525	223125	जाँबदर
4 रोपण कार्य							
1- 0.60x0.60x0.60 cm.	35000	गढ़ो	2	प्रति सेकंडा	700	297500	जाँबदर
5 निर्दाई कार्य							
पौधों में प्रथम निर्दाई कार्य	35000	पौधे	1.25	प्रति सेकंडा	438	185938	जाँबदर
पौधों में द्वितीय निर्दाई कार्य	35000	पौधे	1	प्रति सेकंडा	350	148750	जाँबदर
पौधों में तृतीय निर्दाई कार्य	35000	पौधे	1	प्रति सेकंडा	350	148750	जाँबदर
6 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना							
1 पानी में गुडाई कर मिट्टी मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंडा	175	74375	जाँबदर
2 कीटनाशक का छिड़काव करना	35000	पौधे	0.1	प्रति सेकंडा	35	14875	जाँबदर
7 अग्नि सुरक्षा लाइन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	47	20000	अनुमानित
8 चेनलिंग फैसिंग मरम्मत दूर हुए खम्भों को पुनः काय कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खोचकर बादने का कार्य सहित कुल धरात-5000 रुपै हेतु	LS	LS	LS	LS	165	70000	अनुमानित
9 सिंचाई कार्य-पौधों की सिंचाई हेतु पानी काय एवं परिवहन टेकर द्वारा दूरी 0-05 कि मी. तक	800	टेकर	1.81	प्रति टेकर	1448	615400	जाँबदर
10 सिंचाई कार्य-टेकर से पानी डिव्हा बाल्टी आदि के द्वारा सरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधे तक सिंचाई करना	160	मादि	1.00	प्रति मादि	160	68000	जाँबदर
11 सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह जुलाई से	234	प्रति दिवस	2	प्रति दिवस	468	198900	जाँबदर
12 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का काय	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	66	28000	
13 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	70	29900	जाँबदर
				योग :-	5888	2502400	

वन परिषद अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमांड	
		इकाई	मानव दिवस					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 रोपणी कार्य मृत पौधों के स्थान पुनः रोपण हेतु 20 प्रतिशत पौधों कथ	7000	पौधे	13	13/प्रति पौधा	910	410410	दाजार दर	
2 पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	7000	पौधे	1.5	प्रति सेकड़ा	105	47355	जांबदर	
2 डम्पिंग स्थल से गढ़ो तक सिरबोझ द्वारा 1 किमी० तक पौधों परिवहन	7000	पौधे	0.4	प्रति सेकड़ा	28	12628	जांबदर	
3 निंदाई कार्य								
a पौधों में प्रथम निंदाई कार्य	35000	पौधे	1.25	प्रति सेकड़ा	438	197313	जांबदर	
b पौधों में द्वितीय निंदाई कार्य	35000	पौधे	1	प्रति सेकड़ा	350	157850	जांबदर	
4 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का कथ	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	44	20000	अनुमानित	
5 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकड़ा	175	78925	जांबदर	
2. कीटनाशक का छिड़काय करना	35000	पौधे	0.1	प्रति सेकड़ा	35	15785	जांबदर	
6 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	55	25000	अनुमानित	
7 चेनलिक फेसिंग मरम्मत दूरे हुए खम्बों को पुनः कथ कर लगाना वारयेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बादने का कार्य सहित कुल घेराव-5000 रु.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	222	100000	अनुमानित	
8 सिंचाई कार्य-पौधों की सिंचाई हेतु पानी कथ एवं परिवहन ट्रैक्टर द्वारा दूरी ०-०५ कि.मी. तक	270	ट्रैक्टर	1.81	प्रति ट्रैक्टर	489	220404	जांबदर	
9 सिंचाई कार्य-ट्रैक्टर से पानी डिब्बा, बाल्टी आदि के द्वारा सरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधे तक सिंचाई करना	270	मा.दि	1.00	प्रति मा.दि	270	121770	जांबदर	
10 सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा अभियान	312	12 माह	2	417	624	281424	अनुमानित	
11 अन्य व्यय,	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	71	32137	अनुमानित	
				योग:-	3815.96	1721000		

वन परिवेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

**योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28**

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क	
		इकाई	मानव दिवस					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 रोपणी कार्य मृत पौधों के स्थान पुनः रोपण हेतु 20 प्रतिशत पौधा कथ	7000	पौधे	13	प्रति पौधा	190	91000	याजार दर	
2 पौधों का परिवहन (संख्या) 1 ट्रक /ट्रैक्टर द्वारा	7000	पौधे	1.5	प्रति सेकड़ा	5	2197	जांबदर	
2 डिपिंग स्थल से गढ़ो तक सिरबोझ द्वारा 1 किमी 10 तक पौधा परिवहन	7000	पौधे	0.4	प्रति सेकड़ा	1	586	जांबदर	
3 निराई कार्य								
a पौधों में प्रथम निराई कार्य	35000	पौधे	1.25	प्रति सेकड़ा	19	9153	जांबदर	
b पौधों में द्वितीय निराई कार्य	0	पौधे	1	प्रति सेकड़ा	0	0	जांबदर	
4 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	10	5000	अनुमानित	
4 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर भिट्टी में मिलाना	0	पौधे	0.5	प्रति सेकड़ा	0	0	जांबदर	
2. कीटनाशक का छिड़काव करना	35000	पौधे	0.1	प्रति सेकड़ा	35	16730	जांबदर	
5 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	21	10000	अनुमानित	
घेनलिंक फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कथ कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खींचकर बादने का कार्य सहित कुल धेराय-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	84	40000	अनुमानित	
6 सुरक्षा समिति द्वारा /2 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	2	478	624	298272	अनुमानित	
7 सिंचाई कार्य-पौधों की सिंचाई हेतु पानी कथ एवं परिवहन टेकर द्वारा दूरी 0-05 कि.मी. तक	200	टकर	1.81	प्रति टकर	362	173036	जांबदर	
8 सिंचाई कार्य-टेकर से पानी डिब्बा, बाल्टी आदि के द्वारा सरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधे तक सिंचाई करना	200	मा.दि	1.00	प्रति मा.दि	174	83400	जांबदर	
9 अन्य व्यय	LS	LS	LS	LS	20	9627		
				योग:-	1546.03	739000		

**योजना का पंचम वर्ष 2028-29**

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
			इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 निराई कार्य								
a पौधों में प्रथम निराई कार्य	35000	पौधे	1.25	प्रति सेकड़ा	437.50	221813	जांबदर	
b रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	39.45	20000	अनुमानित	
3 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर भिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकड़ा	175.00	88725	जांबदर	
2 कीटनाशक का छिड़काव करना	35000	पौधे	0.1	प्रति सेकड़ा	35.00	17745	जांबदर	
4 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	19.72	10000	अनुमानित	
5 घेनलिंक फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कथ कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खींचकर बादने का कार्य सहित कुल धेराय-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	59.17	30000	अनुमानित	
6 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	5	km	20	प्रति कि.मी.	100.00	50700	जांबदर	
7 सिंचाई कार्य-पौधों की सिंचाई हेतु पानी कथ एवं परिवहन	150	टकर	1.81	प्रति टकर	272	137651	जांबदर	
8 सिंचाई कार्य-टेकर से पानी डिब्बा, बाल्टी आदि के द्वारा	150	मा.दि	1.00	प्रति मा.दि	150	76050	जांबदर	
9 सुरक्षा समिति द्वारा /2 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	2	507	624	316368	अनुमानित	
10 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	39.45	20000	अनुमानित	
11 अन्य व्यय	LS	LS	LS	LS	18.05	9149	अनुमानित	
				योग:-	1968.84	998200		

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

**योजना का षष्ठम वर्ष 2029-30**

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमांक	
		इकाई	मानव दिवस					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंड़ा	6.07	3259	जीवदर	
2. कीटनाशक का छिड़काव करना	0	पौधे	0.1	प्रति सेकंड़ा	0.00	0	जीवदर	
2 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	18.62	10000	अनुमानित	
3 धेनलिक फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खींचकर बादने का कार्य सहित कुल घेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	0.00	0	अनुमानित	
4 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	5	km	20	प्रति कि.मी.	100.00	53700	जीवदर	
सिंचाई कार्य-पौधों की सिंचाई हेतु पानी कय एवं परिवहन टैंकर द्वारा दूरी 0-05 कि.मी. तक	120	टकर	1.81	प्रति टकर	217	116636	जीवदर	
सिंचाई कार्य-टैंकर से पानी डिब्बा, बाल्टी आदि के द्वारा सरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधे तक सिंचाई करना	120	माहि	1.00	प्रति माहि	120	1080	जीवदर	
5 सुरक्षा समिति द्वारा 2 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	2	497	624	335088	अनुमानित	
6 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	9.87	5300	अनुमानित	
7 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	9.38	5037	अनुमानित	
				योग:-	987.15	530100		

**योजना का सप्तम वर्ष 2030-31**

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमांक
			इकाई	मानव दिवस				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंड़ा	175.00	99575	जीवदर	
2. कीटनाशक का छिड़काव करना	35000	पौधे	0.1	प्रति सेकंड़ा	35.00	19915	जीवदर	
2 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	43.94	25000	अनुमानित	
3 धेनलिक फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खींचकर बादने का कार्य सहित कुल घेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	131.81	75000	अनुमानित	
4 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	0	km	20	प्रति कि.मी.	0.00	0	जीवदर	
5 सुरक्षा समिति द्वारा 2 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	2	526	624	355056	अनुमानित	
6 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	43.94	25000	अनुमानित	
7 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	87.27	49654	अनुमानित	
				योग:-	1140.95	649200		

**योजना का अष्टम वर्ष 2031-32**

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमांक
			इकाई	मानव दिवस				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंड़ा	175.00	105525	जीवदर	
2. कीटनाशक का छिड़काव करना	0	पौधे	0.1	प्रति सेकंड़ा	0.00	0	जीवदर	
2 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	24.88	15000	अनुमानित	
3 धेनलिक फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारवेड वायर एवं जाली को पुनः खींचकर बादने का कार्य सहित कुल घेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	91.21	55000	अनुमानित	
4 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	0	km	20	प्रति कि.मी.	0.00	0	जीवदर	
5 सुरक्षा समिति द्वारा 2 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	2	558	624	376272	अनुमानित	
6 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	24.88	15000	अनुमानित	
7 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	25.21	15203	अनुमानित	
				योग:-	965.17	582000		

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

योजना का नवम वर्ष 2032-33

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना	3	4	5	6	7	8	639
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंड़ा	175.00	111825	जाँबदर
2. कीटनाशक का छिड़काय करना	0	पौधे	0.1	प्रति सेकंड़ा	0.00	0	जाँबदर
2 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	23.47	15000	अनुमानित
3 चेनलिंग फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारयेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बादने का कार्य सहित कुल धेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	57.90	37000	अनुमानित
4 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	4	km	20	प्रति कि.मी	73.99	47280	जाँबदर
5 सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा अभिक	312	12 माह	2	591	624	398736	अनुमानित
6 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	23.47	15000	अनुमानित
7 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	24.04	15359	अनुमानित
				योग:-	1001.88	640200	

योजना का दशम वर्ष 2033-34

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
			इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	677
1 रासायनिक खाद एवं कीटनाशक डालना								
1. पौधों में गुडाई कर मिट्टी में मिलाना	35000	पौधे	0.5	प्रति सेकंड़ा	175.00	118475	जाँबदर	
2. कीटनाशक का छिड़काय करना	0	पौधे	0.1	प्रति सेकंड़ा	0.00	0	जाँबदर	
2 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	14.77	10000	अनुमानित	
3 चेनलिंग फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारयेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बादने का कार्य सहित कुल धेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	36.93	25000	अनुमानित	
4 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	5	km	20	प्रति कि.मी	100.00	67700	जाँबदर	
5 सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा अभिक	312	12 माह	2	626	624	422448	अनुमानित	
6 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	22.16	15000	अनुमानित	
7 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	77.37	52377	अनुमानित	
				योग:-	1050.22	711000		

योजना का एकादशम वर्ष 2034-35

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
			इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	718
1 अग्नि सुरक्षा लाईन जलाई कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	34.82	25000	अनुमानित	
2 चेनलिंग फेसिंग मरम्मत दूटे हुए खम्बों को पुनः कय कर लगाना वारयेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बादने का कार्य सहित कुल धेराव-5000 र.मी. हेतु	LS	LS	LS	LS	208.91	150000	अनुमानित	
3 निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS		70000	जाँबदर	
4 सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा अभिक	312	12 माह	2	718	624	448032	अनुमानित	
5 चौकीदार हट मरम्मत कार्य	LS	LS	LS	LS	41.78	30000	अनुमानित	
6 अन्य व्यय, कीटनाशक दवा कय	LS	LS	LS	LS	66.81	47968	अनुमानित	
				योग:-	1073.82	771000		

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

कड़ान मध्यम परियोजना वृक्षारोपण

वीट - जेरई कक्ष, खसरा नं. 385/1 रकवा 35 है।

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष	कुल मानव दिवस	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल राशि	प्रति हेव्य
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	2024-25	25188.28	401	10100500	288586
2	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2025-26	5888.00	425	2502400	71497
3	तृतीय वर्ष रख रखाव	2026-27	3815.96	451	1721000	49171
4	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	2027-28	1546.03	478	739000	21114
5	पंचम वर्ष रख रखाव	2028-29	1968.84	507	998200	28520
6	षष्ठम वर्ष रख रखाव	2029-30	987.15	537	530100	15146
7	सप्तम वर्ष रख रखाव	2030-31	1140.95	569	649200	18549
8	आठम वर्ष रख रखाव	2031-32	965.17	603	582000	16629
9	नवम वर्ष रख रखाव	2032-33	1001.88	639	640200	18291
10	दशम वर्ष रख रखाव	2033-34	1050.22	677	711000	20314
11	एकादशम वर्ष रख रखाव	2034-35	1073.82	718	771000	22029
योग-					19944601	


वन परिषेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मण्डल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल, सागर

१८१००७ के मादेश छाना | व्यूफ-५/२०२३/३१८८०७ । १९/१२/२३  
ज अनोखा टाने वाला व्यूफ

मुख्य लज संरक्षक  
सागर वन वृद्धि-सागर



Beat Jarai Khasra No. 385/1 35 ha. Year 2024-25 Kadan Pariyojana

*Sankar*  
वन परिवर्तन अधिकारी  
काशी सामूहिक

कड़ान मध्यम परियोजना वृक्षारोपण रकवा 35 हे. कोलुआ अमरसा

**Degree, Minute  
Second**

S N O	Latitude	Longitude	S NO	Latitude	Longitude
1	23°54' 16.6519"N	78°40' 10.9754"E	23	23°54' 1.6601"N	78°40' 5.8162"E
2	23°54' 12.8346"N	78°40' 9.2941"E	24	23°54' 5.6438"N	78°40' 2.6604"E
3	23°54' 12.7113"N	78°40' 7.173"E	25	23°54' 10.0691"N	78°39' 56.8993"E
4	23°54' 10.1871"N	78°40' 7.3975"E	26	23°54' 9.2103"N	78°39' 46.1789"E
5	23°54' 9.0263"N	78°40' 6.8728"E	27	23°54' 6.3685"N	78°39' 41.0462"E
6	23°54' 6.0018"N	78°40' 6.8636"E	28	23°54' 3.8751"N	78°39' 38.6043"E
7	23°54' 5.3100"N	78°40' 8.7700"E	29	23°54' 1.9439"N	78°39' 34.273"E
8	23°54' 5.0500"N	78°40' 10.4700"E	30	23°54' 4.1814"N	78°39' 33.8998"E
9	23°54' 5.0900"N	78°40' 11.6846"E	31	23°54' 9.0100"N	78°39' 34.4600"E
10	23°54' 4.5397"N	78°40' 12.2708"E	32	23°54' 12.8136"N	78°39' 35.9974"E
11	23°54' 4.197"N	78°40' 13.3958"E	33	23°54' 13.7398"N	78°39' 36.5494"E
12	23°54' 2.122"N	78°40' 14.8574"E	34	23°54' 16.8011"N	78°39' 40.276"E
13	23°54' 1.2756"N	78°40' 13.8825"E	35	23°54' 17.3288"N	78°39' 41.7081"E
14	23°54' 2.2031"N	78°40' 13.3003"E	36	23°54' 17.3972"N	78°39' 42.9399"E
15	23°53' 56.571"N	78°40' 11.7594"E	37	23°54' 17.6343"N	78°39' 43.2178"E
16	23°53' 52.0615"N	78°40' 6.9391"E	38	23°54' 17.424"N	78°39' 43.6519"E
17	23°53' 52.1204"N	78°40' 4.8289"E	39	23°54' 16.1486"N	78°39' 45.486"E
18	23°53' 48.9358"N	78°40' 3.2008"E	40	23°54' 16.0301"N	78°39' 48.924"E
19	23°53' 46.1763"N	78°40' 0.0111"E	41	23°54' 14.0786"N	78°39' 55.9939"E
20	23°53' 48.2195"N	78°39' 57.905"E	42	23°54' 14.6922"N	78°39' 56.7259"E
21	23°53' 55.9839"N	78°40' 3.1734"E	43	23°54' 15.4186"N	78°39' 59.5917"E
22	23°53' 57.8324"N	78°40' 5.8326"E	44	23°54' 16.0024"N	78°40' 8.6209"E

*Sain*  
(शुभम जैन)  
वनक्षेत्रपाल

वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर सागर

# मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



कडान मध्यम सिंचाई परियोजना

क्षतीपूर्ती वनीकरण योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण

(वर्ष 2023–2024 से 2033–2034)

## वृक्षारोपण स्थल का विवरण

ग्राम	— मृगावली
खसरा नंबर	— 1/1/1
रक्वा	— 21.00 हेक्टेयर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— बरौदियाकलाँ
वन परिक्षेत्र	— मालथौन

वनमंडल, उत्तर सागर वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

## —अनुक्रमणिका—

क्र.	विषय	पैज क्रमांक
01	02	03
1	सामान्य जानकारी भाग-01	01-02
2	निरीक्षण एवं स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र	03-04
3	योजना पर व्यय का विवरण	05-13
4	वर्षावार प्रस्तावित व्यय का विवरण	14
5	वर्तमान स्टाक मानचित्र	15
6	उपचार मानचित्र	16
7	गूगल मानचित्र	17

  
 वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 मालथौन

## भाग-1 सामान्य विवरण

### 1. परियोजना का विवरण

1. परियोजना का नाम	:- कड़ान मध्यम सिंचाई क्षतीपूर्ती वनीकरण परियोजना
2. जिला	:- सागर
3. वनमण्डल का नाम	:- उत्तर वनमण्डल सागर
4. परिक्षेत्र	:- मालथौन
5. तहसील	:- मालथौन
6. विकासखण्ड	:- मालथौन
7. विधानसभा	:- खुरई
8. स्थल का नाम	:- मृगावली
9. खसरा नं.	:- 1/1/1
10. रकवा	:- 21 हेक्टेयर
11. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:- बरौदियाकलॉ
12. क्षेत्रीय परिक्षेत्र वीट	:- इटवा

### 2/ स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति	:- ग्राम वन समिति मृगावली
3. रोपण योग्य क्षेत्रफल	:- 21 हेक्टेयर
4. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:- 11 कि.मी.
5. वृत्त मुख्यालय से कार्य स्थल की दूरी	:- 11 कि.मी.

### 3/. प्रस्तावित स्थल की विशेष जानकारी

1. गठित समिति का प्रकार	:- ग्राम वन समिति मृगावली
2. समिति का मुख्यालय	:- मृगावली
3. समिति में सम्मिलित गांव	:- मृगावली
4. समिति के अध्यक्ष का नाम	:- श्री हम्मीर सिंग
5. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	:- श्री लक्ष्मण सिंह पटेल
6. परिक्षेत्र सहायक का नाम	:- श्री अनुराग श्रीवास्तव
7. परिक्षेत्र अधिकारी का नाम	:- श्री बी.एन.सोलंकी

4/	1. योजना का उद्देश्य	:- प्रभावित वन भूमि के बदले प्राप्त राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कार्य
	2. क्षेत्रफल	:- 21.00 हेक्ट.
5/	रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेगे	:- अनुसंधान एवं विस्तार रोपणी अण्डेला एवं चकरा
6/	रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:-
	ए. ट्रक द्वारा	:- 15 कि.मी.
	बी. सिर बोझ द्वारा	:- 1.5 कि.मी.
7/	सिंचाई का विवरण	
	ए. जल स्रोत	:- निरंक
	बी. वृक्षारोपण से दूरी	:- निरंक
	सी. क्षेत्र में जल उपलब्धता	:- निरंक
	डी. बिजली उपलब्धता	:- नहीं है
10/	योजना की अवधि	:- 2023-24 से 2033-2034 तक

  
 वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 मालथौन

## प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर सागर एवं परिक्षेत्र अधिकारी मालथौन द्वारा निरीक्षण किया गया एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गयी है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/ वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती हैं।

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल उत्तर सागर

### अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति कमांक..... दिनांक..... द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

## प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण में लेन्टाना की सघन झाड़ियाँ (501–1500 झाड़ी/हे.) लगभग-15 हे. तथा मध्यम-05 हे. एवं विरल लेण्टाना-01 हे. में है। 21.00 हे. में लेन्टाना उन्मूलन कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित स्थल का वृक्षारोपण क्षेत्र पथरीला है। जिसमें 0.60x0.60x0.60 से.मी. के 4x4 मीटर के अंतराल पर 11000 गड्ढे खोदा जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का उपवनमण्डल अधिकारी उत्तर सागर एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी मालथौन के द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन



उप वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर सागर

स्थल को देखा एवं सहमत पाया गया, प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशासा की जाती है।



वनमण्डल अधिकारी  
उत्तर वनमण्डल सागर  
उत्तर सागर वनमण्डल

## अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक..... दिनांक..... द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

**प्रोजेक्ट-रिपोर्ट परिक्षेत्र मालथौन  
कड़ान मध्यम सिचाई परियोजना  
क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत**

वनमण्डल का नाम	:	उत्तर वन मण्डल सागर	जी०पी०एस रीडिंग
परिक्षेत्र का नाम	:	मालथौन	1 -N 24°15'27.73" 2-N 24°15'26.71" E 078°35'13.57" E 078°35'13.6"
वीट का नाम	:	इटवा	3 -N 24°15'27.9" 4-N 24°15'31.5" E 078°35'12.4" E 078°35'08.9"
सर्किल का नाम	:	बरौदियाकलॉ	5 -N 24°15'34.8" 6-N 24°15'28.00" E 078°35'46.0" E 078°35'42.1"
खसरा नं.	:	1 / 1 / 1	
वृक्षारोपण का कुल रकबा(हेक्टेयर में)	:	21 हे.	
रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	:	21 हे.	
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:	11000	
ग्राम वन समिति का नाम	:	मृगावली	

**क्षेत्र तैयारी वर्ष—योजना का प्रथम वर्ष**  
**वर्ष 2023—2024**

(असिंचित) मानव दिवस— 378.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य— क्षेत्रफल का सर्वेक्षण तथा 3 मीटर चोड़ी पट्टी में कटाई सफाई 3 मीटर चोड़ी पट्टी के समस्त वृक्षों में पट्टे लगाना तथा 200—200 मीटर की दूरी पर खूटी गाड़कर उस पर खांचा बनाकर लिखना	21	हेक्टेयर	0.45	प्रति हेक्टेयर	9.45	3572.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जाँबदर
2	पक्के मुनारो का निर्माण (सामर्गी सहित)	22	प्रति मुनारा	6500.00	प्रति मुनारा	378.31	143000.00	जाँबदर
3	क्षेत्र धेराव कार्य— वृक्षारोपण क्षेत्र का धेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फैसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75.30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	1900	र.मी.	2.4	प्रति र.मी.	4560.00	1723680.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जाँबदर
4	ट्रीटमेंट टाईप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हो	0	हेक्टेयर	1	प्रति हेक्टेयर	0.00	0.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जाँबदर
5	क्षेत्र सफाई कार्य—विरल क्षेत्र में 0 से 0.5 घनत्व वाले स्थल में 20 से.मी. से कम गोलाई की झाड़ी आड़ी टेड़ी विकृत पौध की कटाई एवं सफाई कार्य	6	हेक्टेयर	10.26	प्रति हेक्टेयर	61.54	23261.00	सी.सी.एफ जाँबदर वन वृत्त सागर
6	लेन्टाना उन्मूलन कार्य—लेन्टाना जड़ से खोदकर 100 मीटर तक नालों में या रिक्त स्थानों में जड़ ऊपर कर एकत्र करना							ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जाँबदर
	1.सघन क्षेत्र— 1500 झाड़ी से अधिक	15	हेक्टेयर	22.00	प्रति हेक्टेयर	330.00	124740.00	
	2.मध्यम क्षेत्र— 501-1500 झाड़ी	5	हेक्टेयर	12.50	प्रति हेक्टेयर	62.50	23625.00	
	3.विरल क्षेत्र— 500 झाड़ी	1	हेक्टेयर	8.00	प्रति हेक्टेयर	8.00	3024.00	

7	पोधा रोपण हेतु गड्डा खुदाई कार्य							
	1.स्टेकिंग – गड्डे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं चूने से गड्डे हेतु निशान बनाना	11000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	27.50	10395.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जाँबदर
	2.पथरीला क्षेत्र होने के कारण जे.सी.बी मशीन द्वारा गड्डा खुदाई कार्य। साईज 0.60x0.60x0.60 cm.(4X4) मीटर के अंतराल पर	11000	गड्डे	8	प्रति सैकड़ा	880.00	332640.00	
	3. जे.सी.बी. मशीन द्वारा खोदे गये गड्डों का मजदूरों द्वारा ड्रिसिंग कार्य	11000	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	110.00	41580.00	सी.सी.एफ जाँबदर वन वृत्त सागर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 10 प्रतिशत	119	घ0मी०	200	प्रति घ0मी०	62.96	23800.00	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 10 प्रतिशत	119	घ0मी०	600	प्रति घ0मी०	188.89	71400.00	
10	उपजाऊ मिट्टी, खोदी गई मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	11000	गड्डे	3.5	प्रति सैकड़ा	385.00	145530.00	सी.सी.एफ जाँबदर वन वृत्त सागर
11	निरीक्षण पथ निर्माण	4.5	कि.मी.					पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर आईटम नं.2.2 3.1.3.7
	1.Clearing and grubbing road land including uprooting rank vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings removal of stumps of trees cut earlier and disposal of unserviceable materials and stacking of serviceable material to be used or auctioned up to a lead of 1000 metres including removal and disposal of top organic soil not exceeding 150 mm in thickness. 1X4500X3.5=15750 वर्ग मीटर 1.575 हेक्टेयर	1.575	हेक्टेयर	22918	प्रति हेक्टेयर	95.49	36096.00	
	2.Excavation for roadway in soil including loading in truck for carrying of cut earth to embankment site with all lifts and lead upto 1000 metres as per clauses of section-300. 1X4500X3.5X20=3150 घन मी. का मात्र 15 प्रतिशत 472.50 घन मी.	472.5	घ0मी०	156	प्रति घ0मी०	195.00	73710.00	
	3.Removal of Unserviceable Soil with Disposal upto 1000 metres Removal of unserviceable soil including excavation, loading and disposal upto 1000 metres lead but excluding replacement by suitable soil which shall be paid separately as per clause 305. 1X4500X3.50X0.15=2362 घन मी.का मात्र 10 प्रतिशत 236.20 घन मी.	236.2	घ0मी०	50	प्रति घ0मी०	31.24	11810.00	
12	पक्की झोपड़ी निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	132.28	50000.00	अनुमानित
13	अन्य व्यय (लोहे का गेट, सूचना बोर्ड, पैट, चूना, सेक्टर बनवाई, सेक्टर बोर्ड, मृद्घा परीक्षण आदि)	L.S.	L.S.	L.S.	L.S.	182.90	69137.00	अनुमानित
	योग					7701.06	2911000.00	
14	(मू–जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत)							
	1.परकुलेशन टैक निर्माण कार्य	2	नग	250000	प्रति नग	1322.75	500000.00	आर.ई.एस. के एस.ओ. आर के प्राक्कलन अनुसार
	2.बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य	602	घ0मी०	1	प्रति घ0मी०	602.00	227556.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जाँबदर
	महायोग –					9625.81	3638556.00	

वन परिषेक्त्र अधिकारी

मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी

उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी

उत्तर वनमंडल सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2024-25

(असंचित) मानव दिवस - 401.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क	
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	रोपणी कार्य								
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	11000	पौधे	14	14.रुपये प्रति पौधा	384.04	154000.00	बाजार दर	
	मृत पौधों को बदलने हेतु परिवहन केजयूल्टी सहित पौधा संख्या 10 प्रतिशत	1100	पौधे	14	14.रुपये प्रति पौधा	38.40	15400.00	बाजार दर	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)								
	1. रोपणी से वृक्षारोपण स्थल तक ट्रक / ड्रैक्टर द्वारा 11 से 15 कि.मी. की दूरी	12100	पौधे	160	प्रति सैकड़ा	48.28	19360.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर	
	2. रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढो तक पहुंचाना (सिर बोझ द्वारा) 1 कि.मी।	11000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	44.00	17644.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
3	लेटाना मापिंग अप आपरेशन	10	हैक्टेयर	8	प्रति हैक्ट	80.00	32080.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
4	रोपण — पोलीथीन बैग के पौधे लगाई								
	1- 0.60x0.60x0.60 cm.	11000	गड्ढे	2	प्रति सैकड़ा	220.00	88220.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में निंदाई एवं गुडाई कार्य—								
	1. प्रथम निंदाई — पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास में खरपतवार साफ करके निंदाई गुडाई करना पौधों के चारों ओर 1.5 से.मी. गहरी खुदाई करना	11000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	137.50	55137.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
	2. द्वितीय निंदाई — पौधों के दोना ओर 1/2- 1/2 से.मी. की दूरी पर धास काटकर सफाई की जावेगी तथा पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास की गुलाई में गुडाई व मानिटिरिंग करना शामिल है। थाला बनवाई सहित	11000	पौधे	1.00	प्रति सैकड़ा	110.00	44110.00		
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	11000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	66.00	26466.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
	6 मीटर चौड़ी	6	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	20.10	8060.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
	3 मीटर चौड़ी	4	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी	9.00	3609.00		
8	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	234	प्रति दिवस	1	प्रति दिवस	234.00	93834.00	जॉबदर	
9	सिंचाई कार्य								
	1. माह में दो बार पौधों की सिंचाई हेतु पानी क्रय एवं परिवहन टैंकर द्वारा 0 से 05 कि.मी. तक माह अप्रैल, मई, जून, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च	577	टैंकर	1.81	प्रति टैंकर	1044.37	418792.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर	
	2. सिंचाई कार्य टैंकर से पानी डिब्बा, पाल्टी आदी के द्वारा सिरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधों तक सिंचाई करना	180	मा.दि.	1.00	मा.दि.	180.00	72180.00	जॉबदर	
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					योग:-	249.65	100108.00	अनुमानित
							2865.34	1149000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2025-26

(असिंचित) मानव दिवस— 425.00

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
			इकाई	मानव दिवस				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी कार्य							
	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा क्रय	1210	पौधे	15	15 रूपये प्रति पौधा	42.71	18150.00	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	1. रोपणी से वृक्षारोपण स्थल तक ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा 11 से 15 कि.मी. की दूरी	1210	पौधे	160	प्रति सैकड़ा	4.56	1936.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर
	2. रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्डो तक पहुंचाना (सिर बोझ द्वारा) 1 कि.मी. 0	1100	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	4.40	1870.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
3	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत पौधा रोपण कार्य	1100	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	22.00	9350.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
4	चेनलिंग फेसिंग मरम्मत दुटे हुए खंबों को लगाना वार बेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बांधना	L.S	L.S	L.S	L.S	70.59	30000.00	अनुमानित
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में निंदाई एवं गुडाई कार्य—							
	1. प्रथम निंदाई —पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास में खरपतवार साफ करके निंदाई गुडाई करना पौधों के चारों ओर 1.5 से.मी. गहरी खुदाई करना	11000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	137.50	58437.50	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	2. द्वितीय निंदाई — पौधों के दोनों ओर 1/2—1/2 से.मी. की दूरी पर धास काटकर सफाई की जावेगी तथा पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास की गुलाई में गुडाई व मानिटिरिंग करना शामिल है। थाला बनवाई सहित	11000	पौधे	1.00	प्रति सैकड़ा	110.00	46750.00	
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	11000	पौधे	0.6	प्रति सैकड़ा	66.00	28050.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	8542.50	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	3825.00	
8	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	132600.00	जॉबदर
9	सिंचाई कार्य							
	1. माह में दो बार पौधों की सिंचाई हेतु पानी क्य एवं परिवहन टेंकर द्वारा 0 से 05 कि.मी. तक माह अप्रैल, मई, जून, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च	577	टेंकर	1.81	प्रति टेंकर	1044.37	443857.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर
	2. सिंचाई कार्य टेंकर से पानी डिब्बा, पाल्टी आदी के द्वारा सिरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधों तक सिंचाई करना	180	मा.दि.	1.00	मा.दि.	180.00	76500.00	जॉबदर
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)	L.S	L.S	L.S	L.S	49.72	21132.00	अनुमानित
	योग:-					2072.94	881000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2026-27

(असिंचित) मानव दिवस— 450.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क	
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी कार्य								
	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत	1210	पौधा	16	16 रुपये प्रति पौधा	43.02	19360.00	बाजार दर	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)								
	1. रोपणी से वृक्षारोपण स्थल तक ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा 11 से 15 कि.मी. की दूरी	1210	पौधे	160	प्रति सैकड़ा	4.30	1936.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर	
3	2. रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्डो तक पहुंचाना (सिर बोझ द्वारा) 1 कि.मी.	1100	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	4.40	1980.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
	पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत पौधा रोपण कार्य	1100	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	22.00	9900.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
4	वृक्षारोपण क्षेत्र में निंदाई एवं गुडाई कार्य—								
	1. प्रथम निंदाई — पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास में खरपतवार साफ करके निंदाई गुडाई करना पौधों के चारों ओर 1.5 से.मी. गहरी खुदाई करना	11000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	137.50	61875.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
	2. द्वितीय निंदाई — पौधों के दोनों ओर 1/2—1/2 से.मी. की दूरी पर घास काटकर सफाई की जावेगी तथा पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास की गुलाई में गुडाई व मानिटिरिंग करना शामिल है। थाला बनवाई सहित	11000	पौधे	1.00	प्रति सैकड़ा	110.00	49500.00		
5	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई कार्य	11000	पौधा	0.60	प्रति सैकड़ा	66.00	29700.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन								
6	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	9045.00	ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर	
3	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	4050.00		
7	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	140400.00	जॉबदर	
8	सिंचाई कार्य								
	1. माह में दो बार पौधों की सिंचाई हेतु पानी क्षय एवं परिवहन टैंकर द्वारा 0 से 05 कि.मी. तक माह अप्रैल, मई, जून, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च	577	टैंकर	1.81	प्रति टैंकर	1044.37	469966.00	सी.सी.एफ जॉबदर वन वृत्त सागर	
	2. सिंचाई कार्य टैंकर से पानी डिब्बा, पालटी आदि के द्वारा सिरबोझ से ले जाकर प्रत्येक पौधों तक सिंचाई करना	180	मा.दि.	1.00	मा.दि.	180.00	81000.00	जॉबदर	
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					47.31	21288.00	अनुमानित	
	योग:-					2000.00	900000.00		

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथान

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का पंचम वर्ष 2027-28

(असिंचित) मानव दिवस- 477.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चेनलिंग फेसिंग मरम्मत टुटे हुए खंबों को लगाना वार बेड वायर एवं जाली को पुनः खीचकर बांधना	L.S	L.S	L.S	L.S	62.89	30000.00	अनुमानित
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में निंदाई एवं गुडाई कार्य-							
	1. प्रथम निंदाई -पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास में खरपतवार साफ करके निंदाई गुडाई करना पौधों के चारों ओर 1.5 से.मी. गहरी खुदाई करना	11000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	137.50	65587.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	2. द्वितीय निंदाई - पौधों के दोना ओर 1/2-1/2 से.मी. की दूरी पर घास काटकर सफाई की जावेगी तथा पौधों के चारों ओर 1 मी.व्यास की गुलाई में गुडाई व मानिटिरिंग करना शामिल है। थाला बनवाई सहित	11000	पौधे	1.00	प्रति सैकड़ा	110.00	52470.00	
3	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई कार्य	11000	पौधा	0.60	प्रति सैकड़ा	66.00	31482.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	9588.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	4293.00	
5	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	148824.00	जॉबदर
6	अन्य व्यय					100.12	47756.00	अनुमानित
	योग:-					817.61	390000.00	

योजना का षष्ठम वर्ष 2028-29

(असिंचित) मानव दिवस- 506.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	10170.00	ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	4554.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	157872.00	जॉबदर
3	अन्य व्यय					149.02	75404.00	अनुमानित
	योग:-					490.12	248000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का सप्तम वर्ष 2029-30

(असिंचित) मानव दिवस— 536.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							ए.पी.सी.सी. एफ भोपाल की जॉबदर
	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	10773.00	
	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	4824.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	167232.00	जॉबदर
3	अन्य व्यय	L.S	L.S	L.S	L.S	152.13	80171.00	अनुमानित
	योग:-					493.23	263000.00	

योजना का आष्टम वर्ष 2030-31

(असिंचित) मानव दिवस— 568.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जॉबदर
	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	11417.00	
	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	5112.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	177216.00	जॉबदर
3	अन्य व्यय					99.04	56255.00	अनुमानित
	योग:-					440.14	250000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथोन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का नवम वर्ष 2031-32

(असिंचित) मानव दिवस- 602.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जाँबदर
6	मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	12100.00	
3	मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	5418.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	187824.00	जाँबदर
3	अन्य व्यय					99.10	59658.00	अनुमानित
	योग:-					440.20	265000.00	

योजना का दशम वर्ष 2032-33

(असिंचित) मानव दिवस- 638.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जाँबदर
6	मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	12824.00	
3	मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	5742.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	199056.00	जाँबदर
3	अन्य व्यय	L.S	L.S	L.S	L.S	99.34	63378.00	अनुमानित
	योग:-					440.44	281000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

योजना का एकादशम वर्ष 2033-34

(असिंधित) मानव दिवस— 676.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	कुल राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							ए.पी.सी.सी.एफ भोपाल की जाँचदार
6	6 मीटर चौड़ी	6	किमी	3.35	प्रति किमी	20.10	13588.00	
3	3 मीटर चौड़ी	4	किमी	2.25	प्रति किमी	9.00	6084.00	
2	सुरक्षा कार्य 1 सुरक्षा श्रमिक	312	12 माह	1	प्रति दिवस	312.00	210912.00	जाँचदार
3	अन्य व्यय					101.07	67416.00	अनुमानित
	योग:-					442.17	298000.00	

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर

मध्यम सिचांई परियोजना  
स्थल - मृगावली खसरा नं. 1/1/1 रकवा 21 हे.

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष	कुल मानव दिवस	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल राशि	प्रति हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	2023-24	9625.81	378.00	3638556.00	173264.57
2	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2024-25	2865.34	401.00	1149000.00	54714.29
3	तृतीय वर्ष रख रखाव	2025-26	2072.94	425.00	881000.00	41952.38
4	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	2026-27	2000.00	450.00	900000.00	42857.14
5	पंचम वर्ष रख रखाव	2027-28	817.61	477.00	390000.00	18571.43
6	षष्ठम वर्ष रख रखाव	2028-29	490.12	506.00	248000.00	11809.52
7	सप्तम वर्ष रख रखाव	2029-30	490.67	536.00	263000.00	12523.81
8	अष्टम वर्ष रख रखाव	2030-31	440.14	568.00	250000.00	11904.76
9	नवम वर्ष रख रखाव	2031-32	440.20	602.00	265000.00	12619.05
10	दशम वर्ष रख रखाव	2032-33	440.44	638.00	281000.00	13380.95
11	एकादशम वर्ष रख रखाव	2033-34	440.83	676.00	298000.00	14190.48
योग-			20124.10		8563556.00	407788.38
	EPA	5%			0.00	
	HRD	1%			0.00	
	M&E	4%			0.00	
				TOTAL-	8563556.00	
	Monitroing	10%			0.00	
				GRAND TOTAL-	8563556.00	
			RATE/ HEC.		407788.38	

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल सागर


उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर सागर

वन परिषंक्त्र अधिकारी  
मालथौन

मा. ७४८०६ जामा ५८१७/८५३/२०२३/१३। ८७३।९।१२।२३

२००१८ वर्ष २०१८ अप्रैल २०२३।

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वन वृक्ष-सागर



ब्लॉक सं.	गाम	हल्का	तहसील	ज़िला
	सिरगावती	झड़ेरा	मालथीन	सागर
सर्वेक्षण सं.	सेरवफल	मुं-राजस्थ		
1(S)	21.0000(हेक्ट.)	0		
मापांक 1:4000			0	50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

भूस्वामी : (आसक्तीय) बन विभाग मध्यप्रदेश शासन आसक्तीय संस्था

- एवं प्रत्येक भूमि की जानकारी के लिये ।
- इसका उपरीन किसी भी व्यापारिय में साझे के स्वर में नहीं दिया जा सकता है ।
- किसीटो ताइट लॉन के लिए आई. टी. सेंटर से अपना ऑनलाइन अपेक्षन करें ।

बन परिक्षेत्र अधिकारी  
बन परिक्षेत्र मालथीन

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख


नक्शा की प्रतिलिपि



वर्ष: 2023-24

दिनांक: 30-10-2023 17:12:05

**1 (S)**



इलाके सं.	गाम	हल्का	तहसील	ज़िला
मिरगावती		डबडेरा	मालयौन	सागर
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	मध्यप्रदेश		
1(S)	21.0000(हेक्ट.)	0	मापांक 1:4000	0 50 100 150 200m

भूस्थानी: (शासकीय) बन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

- नोट:-  
 1. यह प्रस्तुत केवल प्राचीनी की जनकारी के लिये है।  
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में लाभित हो सकता है।  
 3. डिजिटल ताइप की द्वारा आई.टी.सेटर से अपना डिजिटल आवेदन करें।

(हस्ताक्षर)

बन परिधीत्र अधिकारी  
बन परिक्षेत्र मालयौन



**आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत, सागर**  
**- आदेश -**

आदेश क्रमांक / व्यय / 3-18-1/2018 / 15

सागर दिनांक 27/01/2018

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर के पत्र क्र/मा.चि/18/2018/01 दि. 02/1/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला में कड़ान मध्यम परियोजना डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के बदले रकवा 96.00 है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना का प्राक्कलन (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
- 2- कार्यों में मित्तव्यता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांभ कराया जाये।
- 3- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन करें एवं जी.एस.टी. का तत्काल भुगतान करें।
- 4- रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जावे। मृदा परीक्षण अनुसार रोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन करें व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
- 5- कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मु.व.सं. (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क/भू-सर्वे/बजट/10/1415 दि. 24.2.2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 168 दि. 18.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ़्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वीट का नाम	कार्य का नाम	खसरा नम्बर	रकवा है०में	तकनीकी स्वीकृति राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मालथोन	-	वैकल्पिक वृक्षारोपण	1/1 मृगावली	96.00	2,93,77,291/- (रु. दो करोड़ तेरानवे लाख सतहत्तर हजार दो सौ इकानवे मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक NS-6 के अ.क्र. 61 पर दर्ज की गई है।

(की.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक / पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत, सागर

सागर दिनांक 27/01/2018

पृष्ठा.क्रमांक / व्यय / 3-18-1/2018 / 178

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।  
2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।  
3- वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क/मा.चि./2018/01 दि. 02.1.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्राक्कलन में उल्लेखित कार्य कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रांभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्न - अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

4- मानचित्रकार शाखा प्रभारी, वृत्त कार्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेशित।

मुख्य वनसंरक्षक / पदेन वनसंरक्षक

सागर वृत, सागर

# मध्य प्रदेश शासन

## वन विभाग

परियोजना का नाम	: वैकल्पिक वृक्षारोपण, मृगावली (कड़ान मध्यम परियोजना )
वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष	: 2017–18 से 2026–27
वृक्षारोपण का रोपण	: 96 हे.
खसरा नंबर	: 1 / 1
वन परिक्षेत्र	: मालथौन
ग्राम	: मृगावली
तहसील	: मालथौन
पटवारी हल्का नंबर	: 121

वनमंडल उत्तर सागर  
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

## वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

### भाग – एक सामान्य विवरण

#### परियोजना का विवरण :

(अ)	परियोजना का नाम	:	वैकल्पिक वृक्षारोपण, मृगावली (बरोदिया कलौं)
(ब)	भारत सरकार का अनुमोदन	:	सैद्धान्तिक रवीकृति हेतु आवेदित
(स)	प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	:	248.76 हे. (आर 367, 368, 369)
1.	ज़िला	:	सागर
2.	वनमंडल	:	उत्तर सागर
3.	वन परिक्षेत्र	:	मालथैन
4.	तहसील	:	मालथैन
5.	विकास खण्ड	:	मालथैन
6.	विधान सभा क्षेत्र	:	खुरई
7.	ग्राम पंचायत	:	डबडेरा
8.	क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	बरोदिया कलौं
9.	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:	इटवा

#### २. स्थल विशेष जानकारी

1.	ग्राम वन समिति	:	मृगावली
2.	वनखण्ड एवं वन कक्ष क्रमांक	:	1/1
3.	वन कक्ष/खसरा का कुल क्षेत्रफल (हे.)	:	129.68 हे.
4.	वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	96 हे.
5.	उपचार श्रैणी/पातन श्रैणी	:	—
6.	उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू कूप	:	—
7.	स्थल की वन परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:	20 कि.मी.
8.	वन कक्ष में पूर्व में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी :		निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
—	—	—	—

9. ग्राम संसाधन की जानकारी : निरंक

गठित समिति का प्रकार	समिति का मुख्यालय	समिति में सम्मिलित सदस्य	समिति में सम्मिलित ग्रामों में पशुओं की संख्या	समिति क्षेत्र में उपलब्ध पड़त भूमि	ऊर्जा का स्रोत	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
—	—	—	—	—	—	—

समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की जानकारी : निरंक



	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आदिवासी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हरिजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पिछड़ा वर्ग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सामान्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

### 3. उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति)

रचना :

- (ए) टोपोग्राफी : पहाड़ी
- (बी) ढलान : अधिक
- (अ) पानी निकासी : पर्याप्त
- (ब) भू-क्षरण : मध्यम
- (सी) मिट्टी का प्रकार : मुरमीली एवं काली मिट्टी
- (डी) औसत वार्षिक वर्षा : 105 से.मी.
- (ई) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे.) : 40 प्रतिशत
- (एफ) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे.) : 60 प्रतिशत
- (जी) पथरीली मिट्टी (हे.) : —
- (एच) चट्टानी क्षेत्र : —

### 4. वन क्षेत्र का विवरण :

वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण : —

- (ए) वृक्षों की जानकारी : —

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं रोपित पौध का क्षेत्र	21 से.मी. से अधिक के वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र
—	—	—
योग	—	—

- (बी) साईट क्वालिटी : IV b
- (सी) धनत्व : रिक्त क्षेत्र
- (डी) पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र : 0.2

### ठूंठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	विभिन्न गोलाई में ठूंठों की संख्या 20 से.मी. तक की आड़ी-टेड़ी पौध का क्षेत्र (हे.)	विभिन्न गोलाई में ठूंठों की संख्या					
		21-30 से.मी.	31-45 से.मी.	46-60 से.मी.	61-90 से.मी.	91-120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8
शागवान	—	—	—	—	—	—	—
तेंदु	—	—	—	—	—	—	—
रोधा	—	—	—	—	—	—	—
धवा	—	—	—	—	—	—	—
महाआ	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	—	—	—	—	—

- (इ) वनवर्धन का क्षेत्र (हे.) : —
- (एफ) गेप वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : 96 हे.
- (जी) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)
- (अ) सघन : 20 हे.
  - (ब) मध्यम : 20 हे.
  - (स) विरल : —
- (एच) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : 96 हे.
- (आई) चारागाह विकास योग्य क्षेत्र (हे.) : —
- (जे) विकृत बांस के भिरे (संख्या)
- (कार्य आयोग्य)
- (के) जैविक दबाव (जैविक दबाव की जानकारी)
- हाँ या न में देना है : —

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी		औसत	
चराई		औसत	
मानव		औसत	

- ) (1) योजना का उद्देश्य : वैकल्पिक वृक्षारोपण
- (2) क्षेत्रफल : 96 हे.

) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

- कट बैक का क्षेत्र : —
- वृक्षारोपण का क्षेत्र : —
- (अ) मेप : —
  - (ब) पूर्ण : —
- भू-संरक्षण कार्य का क्षेत्र : —
- लेन्टाना उन्मूलन : —



रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किए जावेंगे	:	वन अनुसंधान रोपणी एवं बाजार से क्रय
रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	-
(ए) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	-
(बी) सिरबोझ द्वारा	:	-
(७) सिचाई का विवरण :	:	
(अ) जल स्रोत - नदी/नाला/तालाब	:	कुआ से
(ब) वृक्षारोपण से जल स्रोत की दूरी	:	-
(स) सिचाई का प्रकार	:	इंजिन एवं पाइप द्वारा
(१०) प्रति हे. प्राप्त होने वाले पौधों की संख्या :	:	
(अ) प्रति हेक्टेयर सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	-
(ब) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौध (20 से.मी. से अधिक)	:	-
(स) क्षेत्र में पौधे एवं स्थापित पौधे (20 से.मी. गोलाई से कम)	:	-
(द) रोपण में प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	चूनतम 1600 पौधे प्रति हे.
11. योजना की अवधि	:	2017-2018 से 2026-2027
12. 1. योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानवित्र पृथक से संलग्न है)	:	पृथक से संलग्न है
2. प्रति हेक्टेयर व्यय (रु. में)	:	-
3. अन्य विवरण	:	-



## भाग - 2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल के मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार  
वनमंडल अधिकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

C/3

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

प्रस्तावित राशि रूपये ————— हेतु अनुमोदित

तकनीकि स्वीकृति आदेश क्रमांक/————— दिनांक ————— द्वारा जारी की गई

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

## प्रोजेक्ट-रिपोर्ट

### कड़ान मध्यम परियोजना (केम्पा मद से)

क्षेत्र धेराव रकवा 96.00 हे. चुतुर्थ सीमा लंबाई 6500 र.मी., पटवारी हल्का नं. 121  
खसरा नंबर 1/1 मृगावली

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी — 2017–18

मा.दि. 274.00.

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर	इकाई	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1 सर्वे एवं सीमांकन कार्य।	96.00	0.45	123.30	प्रति हेक्ट.	11836.00	
2 3 मी. चौड़ाई में पट्टी सफाई कार्य।	7.500	1.5	411.00	प्रति कि.मी.	3083.00	
3 आर.सी.सी. पोल क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित।	3300	—	310.00	प्रति पोल	1023000.00	
4 चेनलिंक फेंसिंग क्रय। $7500 \times 1.5$ मी.=11250	11250	—	78.00	वर्ग मी.	877500.00	
5 कांटेदार तार क्रय। $7500 \times 2 = 15000 / 7 = 2143$ कि.ग्रा.	2143	—	60.00	प्रति कि.ग्रा.	128580.00	
6 यूनेल्स क्रय।	150	—	60.00	प्रति कि.ग्रा.	9000.00	
7 पोल फिकिसंग हेतु 2.5 मी. अंतराल पर गड्डा खुदाई $0.30 \times .30 \times .45$ से.मी.	3000	3.80	1041.20	प्रति सै.	31236.00	
8 आर.सी.सी. पोल्स को 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट क्रय सी.एस.आर. 4.1.1.4 पेज (4) फेंसिंग पोल फिक्स करने हेतु कुल आयतन $0.30 \times .30 \times .45$ से.मी. $\times 3300 = 133.65$ घ.मी. (—) कुल फेंसिंग पोल का आयतन जो गड्डे में फिक्स होना है। $10 \times 10 \times 45 \times 3300 = 14.85$ घ.मी. शुद्ध आयतन 118.80 घ.मी.	118.80	—	4629.00	प्रति घ.मी.	549925.00	
9 डंपिंग से मौका स्थल पर पोल सिरबोझ से परिवहन।	3300	—	30.00	प्रति पोल	99000.00	
10 डंपिंग से चेनलिंक एवं वायरवेड वायर परिवहन।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	20000.00	
11 वायर पोल्स में लगाकर खिचाई कार्य कर फिकिसंग करना।	7500	0.16	43.84	प्रति मी.	328800.00	
12 ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन कर मुनारा निर्माण। (सामग्री सहित)।	50.00	—	5000	प्रति नग	250000.00	
13 क्षेत्र सफाई :						
(1) कटीली झाड़ी कटाई सफाई।	20	4.00	1096	प्रति हे.	21920.00	
(2) जड भण्डारण कार्य हेतु 20 से.मी. से कम की कटाई सफाई ड्रेसिंग।	20	4.00	1096	प्रति हे.	21920.00	
(3) लेन्टाना उन्मूलन। (सघन)।	15	22.00	6028	प्रति हे.	90420.00	
(4) लेन्टाना उन्मूलन। (मध्यम)।	20	12.50	3425	प्रति हे.	68500.00	
14 आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाइन सह निरीक्षण पथ निर्माण :						
(1) फेंसिंग के भीतर फायर लाइन सह निरीक्षण मार्ग 6 मी. चौड़ा।	7.500	25	6850	प्रति कि.मी.	51375.00	
(2) फेंसिंग के बाहर 3 मी. चौड़ाई पर फायर लाइन का निर्माण।	7.500	25	6850	प्रति कि.मी	51375.00	
(3) रोपण क्षेत्र के भीतर 5 मी. चौड़ा मार्ग।	2	25	6850	प्रति कि.मी	13700.00	
15 गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट 153600 :	153600	2.50	685	प्रति हजार	38400.00	
2 मी. $\times$ 2 मी. = 76800						
4 मी. $\times$ 4 मी. = 76800						



## प्रोजेक्ट-रिपोर्ट

### कड़ान मध्यम परियोजना (केम्पा मद से)

क्षेत्र धेराव रकवा 96.00 हे. चतुर्थ सीमा लंबाई 6500 र.मी., पटवारी हल्का नं. 121  
खसरा नंबर 1/1 मृगावली

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी – 2017–18

मा.दि. 274.00.

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर	इकाई	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1 सर्व एवं सीमांकन कार्य।	96.00	0.45	123.30	प्रति हेक्ट.	11836.00	
2 3 मी. चौड़ाई में पट्टी सफाई कार्य।	7.500	1.5	411.00	प्रति कि.मी.	3083.00	
3 आर.सी.सी. पोल क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहित।	3300	—	310.00	प्रति पोल	1023000.00	
4 चेनलिंक फेंसिंग क्रय   $7500 \times 1.5$ मी.=11250	11250	—	78.00	वर्ग मी.	877500.00	
5 काटेदार तार क्रय   $7500 \times 2 = 15000 / 7 = 2143$ कि.ग्रा.	2143	—	60.00	प्रति कि.ग्रा.	128580.00	
6 यूनेल्स क्रय।	150	—	60.00	प्रति कि.ग्रा.	9000.00	
7 पोल फिक्सिंग हेतु 2.5 मी. अंतराल पर गड्डा खुदाई $0.30 \times .30 \times .45$ से.मी.	3000	3.80	1041.20	प्रति से.	31236.00	
8 आर.सी.सी. पोल्स को 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट क्रय सी.एस.आर. 4.1.1.4 पेज (4) फेंसिंग पोल फिक्स करने हेतु कुल आयतन $0.30 \times .30 \times .45$ से.मी. $\times 3300 = 133.65$ घ.मी. (—) कुल फेंसिंग पोल का आयतन जो गड्डे में फिक्स होना है। $10 \times 10 \times 45 \times 3300 = 14.85$ घ.मी. शुद्ध आयतन 118.80 घ.मी.	118.80	—	4629.00	प्रति घ.मी.	549925.00	
9 डंपिंग से मौका स्थल पर पोल सिरबोझ से परिवहन।	3300	—	30.00	प्रति पोल	99000.00	
10 डंपिंग से चेनलिंक एवं वायरवेड वायर परिवहन।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	20000.00	
11 वायर पोल्स में लगाकर खिचाई कार्य कर फिक्सिंग करना।	7500	0.16	43.84	प्रति मी.	328800.00	
12 ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन कर मुनारा निर्माण। (सामग्री सहित)।	50.00	—	5000	प्रति नग	250000.00	
13 क्षेत्र सफाई :						
(1) कटीली झाड़ी कटाई सफाई।	20	4.00	1096	प्रति हे.	21920.00	
(2) जड भण्डारण कार्य हेतु 20 से.मी. से कम की कटाई सफाई ड्रेसिंग।	20	4.00	1096	प्रति हे.	21920.00	
(3) लेन्टाना उन्मूलन। (सघन)।	15	22.00	6028	प्रति हे.	90420.00	
(4) लेन्टाना उन्मूलन। (मध्यम)।	20	12.50	3425	प्रति हे.	68500.00	
14 आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाइन सह निरीक्षण पथ निर्माण :						
(1) फेंसिंग के भीतर फायर लाइन सह निरीक्षण मार्ग 6 मी. चौड़ा।	7.500	25	6850	प्रति कि.मी.	51375.00	
(2) फेंसिंग के बाहर 3 मी. चौड़ाई पर फायर लाइन का निर्माण।	7.500	25	6850	प्रति कि.मी	51375.00	
(3) रोपण क्षेत्र के भीतर 5 मी. चौड़ा मार्ग।	2	25	6850	प्रति कि.मी	1370.00	
15 गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट 153600 :	153600	2.50	685	प्रति हजार	634.00	
2 मी. $\times$ 2 मी. = 76800						
4 मी. $\times$ 4 मी. = 76800						



रोपण	गहडा सुदाई कार्य 153600 :					
(1)	0.30×0.30 से.मी. में।	76800	3.00	822	प्रति सै.	631296.00
(2)	0.45×0.45×0.45 से.मी. में।	76800	5.00	1370	प्रति सै.	1052160.00
17	जैविक खाद क्रय एवं परिवहन।	750	—	850	प्रति किल.	275000.00
18	रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अधिक सहित।	168960	—	25	प्रति पौधा	4224000.00
19	अभियांत्रिकीय कार्य भू एवं जल संरक्षण :					
(1)	चेकडेम संख्या घ.मी।	300	1.00	274	प्रति घ.मी.	82200.00
(2)	कुआ निर्माण।	1	—	400000	प्रति नग	400000.00
(3)	रोपण क्षेत्र में पानी संग्रहण हेतु सीमेण्ट कंक्रीट के टैंक 5×5 फुट।	5	—	25000	प्रति नग	125000.00
(4)	पानी सिचाई हेतु इंजिन क्रय एवं पाईप लाईन आदि सामग्री क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	300000.00
20	पुराना तालाब मरम्मत एवं गहरीकरण।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	600000.00
21	वॉच टावर निर्माण।	5	—	—	—	1000000.00
22	हट निर्माण।	2	—	25000	प्रति नग	50000.00
23	लोहे का गेट क्रय एवं सीमेण्ट कंक्रीट से पिलर तैयार कर फिकिसंग सहित।	2	—	—	—	50000.00
24	अन्य व्यय सूचना पटल, चूना रससी बीज संग्रहण आदि।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	103458.00
					योग	12750600.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिष्कृत अधिकारी  
मालथौन

### द्वितीय वर्ष रोपण कार्य वर्ष 2018-2019 क्षेत्रफल - 96.00 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
	2	3	4	5	6	7
1	रोपण हेतु पौधा परिवहन 10 प्रतिशत अधिक सहित।	168960	—	1.25	प्रति पौधा	211200.00
2	काली उपजाऊ मिट्टी गड्डों में डालने हेतु क्रय एवं रथल तक परिवहन 50 प्रतिशत : 153600					
	(1) $0.30 \times 0.30 \times 0.30 / 2 = 0.013 \times 76800$	998.4	—	250	प्रति घ. मी.	249600.00
	(2) $0.45 \times 0.45 \times 0.45 / 2 = 0.045 \times 76800$	3456	—	250	प्रति घ. मी.	864000.00
3	गड्डों में मिट्टी बदलना एवं जैविक खाद भरना।	153600	1.50	452.10	प्रति सै.	694426.00
4	डंपिंग सेन्टर से वृक्षारोपण के अंदर 2 कि.मी. तक सिरबोझ से पौधा गड्डो तक ढुलाई करना।	153600	0.4	120.56	प्रति सै.	185180.00
5	पौधा रोपण कार्य :					
	(1) $0.30 \times 0.30 \times 0.30$	76800	1.50	452.10	प्रति सै.	347213.00
	(2) $0.45 \times 0.45 \times 0.45$	76800	1.80	542.52	प्रति सै.	416655.00
6	पौधों की निंदाई कार्य :					
	(1) प्रथम निंदाई।	153600	1.24	373.73	प्रति सै.	574049.00
	(2) द्वितीय निंदाई।	153600	0.90	271.26	प्रति सै.	416655.00
7	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय करना।	एल.एस.	—	एल.एस.		
8	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना :					
	(1) रासायनिक खाद गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना।	153600	0.50	150.70	प्रति सै.	231475.00
	(2) कीटनाशक छिड़काव करना।	153600	0.10	30.14	प्रति सै.	46295.00
9	पौधों की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	100000.00
10	पौधों की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	150000.00
11	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	30000.00
	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 9 = 18$ माह।	9 माह 4000 प्रति माह श्रमिक	—	8000	प्रति माह	72000.00
3	बजी छिड़काव / बीज संग्रहण / बीजा रोपण एवं अन्य व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	610960.00
					योग	5277008.00

वनमंडल अधिकारी  
तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिष्कार अधिकारी  
मालथौन

विवर 1/1 मृगावली

दर प्रति 331.54 मा.दि.

### तृतीय वर्ष 2019–2020

क्षेत्रफल – 96.00 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौधा रोपण हेतु 20 प्रतिशत पौधा क्रय। (कुल पौधा 153600)।	30720	—	25	प्रति पौधा	768000.00
2	रोपणी से पौधा स्थल तक पौधा परिवहन।	30720	—	1.50	प्रति पौधा	46080.00
3	डंपिंग सेन्टर से वृक्षारोपण के अंदर 2 कि.मी. तक सिरबोझ से पौधा गड्ढो तक ढुलाई करना।	30720	0.4	132.61	प्रति से.	40738.00
4	पौधों की निंदाई कार्य :					
	(1) प्रथम निंदाई।	153600	1.24	411.10	प्रति से.	631450.40
	(2) द्वितीय निंदाई।	153600	0.90	298.38	प्रति से.	45831.40
5	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय करना।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	100000.00
6	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना :					
	(1) रासायनिक खाद गुडाई कर मिट्टी में मिलाना।	153600	0.50	165.77	प्रति से.	254623.00
	(2) कीटनाशक छिड़काव करना।	153600	0.10	87.10	प्रति से.	135322.00
7	पौधों की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	125000.00
8	पौधों की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	175000.00
9	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	25000.00
10	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए। खंबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	50000.00
11	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 4000 प्रति माह श्रमिक	—	8000	प्रति माह	96000.00
12	अन्य व्यय।	—	—	—	योग	3212011.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेत्र अधिकारी  
मालथौन



वारा नंबर 1/1 मृगावली

दर प्रति 364.69 मा.दि.

## चतुर्थ वर्ष 2020-2021

क्षेत्रफल - 96.00 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौधा रोपण हेतु 10 प्रतिशत पौधा क्रय। (कुल पौधा 153600)	15360	—	25	प्रति पौधा	384000.00
2	रोपणी से पौधा स्थल तक पौधा परिवहन।	15360	—	1.50	प्रति पौधा	23040.00
3	डिपिंग सेन्टर से वृक्षारोपण के अंदर 2 कि.मी. तक सिरबोझ से पौधा गड्डो तक ढुलाई करना।	15360	0.4	145.87	प्रति से.	22406.00
4	पौधों की निंदाई कार्य :					
	(1) प्रथम निंदाई।	153600	1.24	452.21	प्रति से.	694595.00
	(2) द्वितीय निंदाई।	153600	0.90	328.22	प्रति से.	504146.00
5	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय करना।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	100000.00
6	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना :					
	(1) रासायनिक खाद गुडाई कर मिट्टी में मिलाना।	153600	0.50	182.34	प्रति से.	280074.00
	(2) कीटनाशक छिड़काव करना।	153600	0.10	36.46	प्रति से.	5600.00
7	पौधों की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	125000.00
8	पौधों की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	150000.00
9	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	25000.00
10	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए खंबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	100000.00
11	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 4000 प्रति माह श्रमिक	—	8000	प्रति माह	96000.00
12	अन्य व्यय।	—	—	—	—	202599.00
					योग	2762863.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागरउप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागरवन परिषेक अधिकारी  
मालथोन



वन मंडल 1/1 मृगावली

दर प्रति 401.15 मा.दि.

पंचम वर्ष 2021-2022

क्षेत्रफल - 96 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौधा रोपण हेतु 5 प्रतिशत पौधा क्रय। (कुल पौधा 153600)।	-	-	-	-	
2	रोपणी से पौधा स्थल तक पौधा परिवहन।	-	-	-	प्रति पौधा	
3	डंपिंग सेन्टर से वृक्षारोपण के अंदर 2 कि.मी. तक सिरबोझ से पौधा गड्ढो तक ढुलाई करना।	-	-	-	प्रति रो.	
4	पौधों की निंदाई कार्य :					
	(1) प्रथम निंदाई।	153600	1.24	497.42	प्रति सै.	764037.00
	(2) द्वितीय निंदाई।					
5	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक क्रय करना।	-	0.90	361.03	प्रति सै.	
6	रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना :	-	-	एल.एस.	-	
	(1) रासायनिक खाद गुडाई कर मिट्टी में मिलाना।	-	0.50	200.57	प्रति सै.	
	(2) कीटनाशक छिड़काव करना।	-	0.10	40.11	प्रति सै.	
7	पौधों की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	-	एल.एस.	-	100000.00
8	पौधों की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	-	एल.एस.	-	150000.00
9	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	-	एल.एस.	-	25000.00
10	चेनलिंक फेसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खेबे के स्थान पर नए खेबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	-	एल.एस.	-	100000.00
11	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 4000 प्रति माह श्रमिक	-	8000	प्रति माह	96000.00
12	अन्य व्यय।	एल.एस.	-	एल.एस.	-	104709.00
					योग	1339746.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेत्र अधिकारी  
मालथौन

वनस्पति नंबर 1/1 मृगावली

दर प्रति 441.26 मा.दि.

षष्ठम वर्ष 2022-2023

क्षेत्रफल - 96.00 हे.

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1 पौधों की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	80000.00	
2 पौधों की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	125000.00	
3 अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	30000.00	
4 चेनलिंक फॉसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए खंबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	70000.00	
5 सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 5000 प्रति माह श्रमिक	—	10000	प्रति माह	120000.00	
				योग	425000.00	

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेत्र अधिकारी  
मालथौन

खरारा नंबर 1/1 मृगावली

दर प्रति 485.38 मा.दि.

सप्तम वर्ष 2023—2024

क्षेत्रफल — 96.00 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	पौधो की सिचाई हेतु डीजल क्रय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	40000.00
2	पौधो की सिचाई मजदूरी व्यय।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	100000.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	30000.00
4	चेनलिंक फेसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए खंबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	50000.00
5	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 5000 प्रति माह श्रमिक	—	10000	प्रति माह	120000.00
					योग	340000.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेन्ट्र अधिकारी  
मालथौन

३५

खसरा नंबर 1/1 मृगावली

दर प्रति 533.91 मा.दि.

अष्टम वर्ष 2024–2025

क्षेत्रफल – 96.00 हे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	40000.00
2	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए खंबे लगाकर चेनलिंग की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	50000.00
3	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 5000 प्रति माह श्रमिक	—	10000 प्रति माह	प्रति माह	120000.00
					योग	210000.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
मालथौन

खसरा नंबर 1/1 मृगावली

दर प्रति 587.30 मा.दि.



नवम वर्ष 2025—2026

क्षेत्रफल — 96.00 हे

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	मा.दि.	दर प्रति इकाई	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्नि सुरक्षा कार्य।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	50000.00
2	चेनलिंक फेसिंग मरम्मत कार्य (टूटे खंबे के स्थान पर नए खंबे लगाकर चेनलिंक की मरम्मत करना)।	एल.एस.	—	एल.एस.	—	40000.00
3	सुरक्षा कार्य समिति मानदेय पर $2 \times 12 = 24$ माह।	12 माह 5000 प्रति माह श्रमिक	—	10000 प्रति माह	प्रति माह	120000.00
					योग	200000.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेक अधिकारी  
मालथौन

MP

## प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. मे.)	दर	वर्षवार व्यय राशि	प्रति हेक्टर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	2017-18	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	96.00	274.00	12750000.00	132812.00
2	2018-19	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	96.00	301.40	5277008.00	54969.00
3	2019-20	तृतीय वर्ष	96.00	331.54	3212011.00	33458.00
4	2020-21	चतुर्थ वर्ष	96.00	364.69	2762863.00	28780.00
5	2021-22	पंचम वर्ष	96.00	401.15	1339746.00	13956.00
6	2022-23	षष्ठम वर्ष	96.00	441.26	425000.00	4427.00
7	2023-24	सप्तम वर्ष	96.00	485.38	340000.00	3541.00
8	2014-25	अष्टम वर्ष	96.00	533.91	210000.00	2188.00
9	2025-26	नवम वर्ष	96.00	587.30	200000.00	2083.00
10	2026-27	दशम वर्ष	96.00	646.03	190000.00	1979.00
		योग	96.00		26706628.00	278193.00
11		आस्था मूलक कार्य		5 प्रतिशत	1335332.00	
12		मानव संसाधन विकास कार्य		01 प्रतिशत	267066.00	
13		मूल्यांकन एवं अनुश्रवण		04 प्रतिशत	1068265.00	
				योग	2670663.00	
				योग+कुल योग	29377291.00	306013.00

वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

उप वनमंडल अधिकारी  
उत्तर वनमंडल, सागर

वन परिषेक अधिकारी  
मालथौन

कापाणगढ़ वडा 10 सभा दि. २७.१.१६  
शास्त्री नवीन रामोदित

आदेश द्वारा श्री विकास करण वर्मा (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत, सागर  
**- आदेश -**

आदेश क्रमांक / व्यय / 3-18-1 / 2018 / 25

सागर दिनांक, 30/01/2018

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर के पत्र क्र/मा.चि/18/2018/93 दि. 30/1/2018 द्वारा प्रस्तुत सागर जिला की कड़ान मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 248.76 हैक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने के बदले रकवा 50 हैक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) योजना का प्रावक्लन (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2026-27 तक) अभिमत सहित प्रस्तुत करने के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- चयनित क्षेत्र का यूजर एजेन्सी से सीमांकन एवं भूमि को आधिपत्य में लेने का बोर्ड कलेक्टर आदेश सहित लगावे।
  - 2- कार्यों में मित्तव्ययता बरती जावे। कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांभ कराया जाये।
  - 3- क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन करें एवं जी.एस.टी. का तत्काल भुगतान करें।
  - 4- रोपण क्षेत्र में मानक स्तर के पौधों का रोपण कराया जावे। मृदा परीक्षण अनुसार रोपण हेतु पौधों की प्रजाति का चयन करें व कृषि उपकरण से सिंचाई करें।
  - 5- कराये जाने वाले वृक्षारोपण में मु.व.सं. (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क/भू-सर्व/बजट/10/1415 दि. 24.2.2004 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे।
  - 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 168 दि. 18.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं रोपण क्षेत्र, रोपित पौधों की औसत ऊंचाई एवं गोलाई व फोटो ग्राफ़्स, वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के साफ्टवेयर में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- आस्थामूलक कार्य हेतु प्रस्तावित राशि की विस्तृत डी.पी.आर. 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वीट का नाम	कार्य का नाम	खसरा नम्बर	रकवा हेठोंमें	तकनीकी स्वीकृति राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर सागर	-	वैकल्पिक वृक्षारोपण	37/2	50.00	1,00,81,500/- (रु. एक करोड़ इक्षासी हजार पाँच सौ मात्र)

उक्त स्वीकृति कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगी। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक NS-6 के अ.क्र. 62 पर दर्ज की गई है।

(ही.के.वर्मा)

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक  
सागर वृत, सागर

सागर दिनांक 30/01/2018

पृष्ठा.क्रमांक / व्यय / 3-18-1 / 2018 / 570

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3- वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क/मा.चि./2018/93 दि. 30.1.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रावक्लन अनुमोदन उपरांत आपकी ओर भेजी जा रही है। उक्त कार्य हेतु कैम्पा मद में राशि प्राप्त होने पर तत्काल कार्य प्रांभ कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्रावक्लन में उल्लेखित कार्य कैम्पा मद के अंतर्गत राशि प्राप्त होने पर तत्काल प्रांभ नहीं कराया जाता है और यदि कार्य कराने हेतु अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो उसके लिये वनमंडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्न - अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

4- मानचित्रकार शाखा प्रभारी, वृत्त कार्यालय, सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक/पदेन वनसंरक्षक  
सागर वृत, सागर

# मध्य प्रदेश शासन

## वन विभाग

परियोजना का नाम :— कडान परियोजना गेप प्लानटेशन

मसवारी ग्रंट

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष :— 2017-18 से 2026-27

कुल रकवा :— 50. हे

बीट :— चितौली

परिक्षेत्र :— उत्तर सागर

ग्राम :— मसवारी

तहसील :— सागर

खसरा नंबर :— 37/2

जी.पी.एस. रीडिंग :— N- 23°55'21" E-78°43'11"  
N-23°55'28" E- 78°93'11"

वन मंडल उत्तर सागर

वन वृत्त, सागर (म.प्र.)



## गेप प्लानटेंशन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

### भाग - 01 सामान्य विवरण

#### 01:- परियोजना का विवरण :-

(अ) परियोजना का नाम	:-	बंडल परियोजना
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	:-	
(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	:-	गेप प्लानटेशन
01. जिला	:-	रामगढ़
02. वनमण्डल	:-	उत्तर वनमण्डल लागर
03. परिक्षेत्र	:-	उत्तर रामगढ़
04. तहसील	:-	रामगढ़
05. विकासखण्ड	:-	रामगढ़
06. विधानसभा क्षेत्र	:-	वरयावली
07. ग्राम पंचायत	:-	नानीपुरा
08. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :-	:-	नसवारी
09. क्षेत्रीय परिक्षेत्र (बीट)	:-	नसवारी

#### 02:- स्थल विशेष जानकारी :-

01. ग्राम सुरक्षा समिति	:-	रानीपुरा
02. वन खण्ड एवं कक्ष क्र.	:-	राजस्व क्षेत्र
03. कूप का कुल क्षेत्रफल	:-	50 एकड़
04. कार्यवृत्त	:-	गेप प्लानटेशन मसवारी ग्रंथ
05. उपचार क्षेणी / पातन	:-	--
06. उपचार इकाई / कूप क्र. एवं डयू वर्ष	:-	--
07. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	7 किमी
08. कूप में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:-	निम्न



3.- प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण —

- (अ) योजना :— इस वर्ष योजना  
 (ब) वर्ष :—  
 (स) क्षेत्रफल :— 30 हेक्टेएर  
 (अ) प्रजाति अनु :— प्रजाति लोधा पोथा संख्या  
 निरक :— निरक :— निरक

(ब) वृक्षारोपण असफलता का कारण वर्ष :— निरक

(स) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :— निरक

01. गठित समिति का प्रकार :— ग्राम वन समिति  
 02. समिति का मुख्यालय :— रानीपुरा  
 03. समिति में सम्मिलित गाँव :— दीग  
 04. समिति के अध्यक्ष का नाम :— श्री रोहन सींग थांडव  
 05. परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम :— श्री गुकेश राजा वनपाल  
 06. परिक्षेत्र सहायक का नाम :— श्री गुलाब अंदिरवार वनपाल  
 07. संलग्न ग्राम के सदस्यों की जानकारी :—

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन कृषक			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी	6	1	7	1	0	1	15	2	1	—	—	—	22	3	25
हरिजन	3	1	4	0	0	0	4	2	1	—	—	—	7	3	10
पिछड़ा वर्ग	23	7	30	14	2	16	3	1	4	—	—	—	40	10	50
सामान्य	4	0	4	1	0	1	0	0	1	—	—	—	5	0	5
योग :—	36	9	45	16	2	18	22	5	27	—	—	—	74	16	90

4:- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौमि लेकर स्थन) :-

(अ)	टोपोग्राफी	:-	पहाड़ ढलान
(ब)	एस्पेक्ट	:-	चारों ओर
(स)	ढलान	:-	30 डिग्री
(A)	पानी निकासी		चारों ओर
(B)	भूक्षरण		से 40%
(C)	चट्टानों का विवरण		सेंड रटान
(D)	मिट्टी का प्रकार		दुमट, रेतीली
(E)	औसत वार्षिक वर्षा		75 मी. मीटर
(F)	नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)		50 प्रतिशत
(G)	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	40 प्रतिशत
(H)	पथरीली मिट्टी	:-	60 प्रतिशत

04:- वनक्षेत्र का विवरण :-

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज गिरिजा वन

संक्षिप्त विवरण :-

प्रजाति	20.से.मी. तक की सीधे एवं स्थापित पौधे	21. से.मी. से अधिक के वृक्ष
सागौन, सतकठा	--	--
(बी)	साईट क्वालिटी घनत्व	0.2 से 0.5
(सी)	पूर्ण वनवर्धन	निरक्षा

दृढ़ एवं गोलाई की गना

गोलाई

प्रजाति	20 से.मी. तक की आड़ी-टेढ़ी पौधे	21 से 30 से.मी.	31 से 45 से.मी.	46 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.	91 से 120 से.मी.	120 से ऊपर
योग :-	20 हें में सागौन एवं अन्य प्रजाति	-	-	-	-	-	-

(अ)	आशिक वन क्षेत्र	-	निरक्षण
(इ)	आशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	निरक्षण
(एफ)	खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	-	50 हेटर
(जी)	पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	15 हेक्टर
(एच)	चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	10 प्रायोगिक
(आई)	विकृत बांस का क्षेत्र	-	निरक्षण
(जे)	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	-	निरक्षण
(के)	प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	-	निरक्षण
(एल)	जैविक दबाव	-	प्रायोगिक

प्रकार	जैविक दबाव
वन्यप्राणी	नीलगाय, सुअर, खगोष, सियार
चराई	अनियंत्रित
मानव	अवैध वनअपराध

06. योजना का उद्देश्य :- ये प्लानिंग के माध्यम से  
 [प्रीपर] 1. वनाचार देकर वनसुरक्षा  
 एवं वन रावधन कार्य।
- क्षेत्रफल :- 100.00 हेक्टर
07. उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण :-
- कट बेक का क्षेत्र :- 25 हेटर
  - वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 90.00 हेक्टर
  - भू-क्षरण का क्षेत्र :- निरक्षण
  - लेन्टाना :- 10 हेटर
08. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जावेंगे:- अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सागर की  
 विभिन्न रोपणी।
09. रोपणी से रोपण स्थल की दूरी



(अ) एक / हेक्टर द्वारा	- 35 किमी (लगभग)
(ब) रियर वोझ द्वारा	- 1 से 2 कि.मी.
10. सिंचाई का विवरण	
(अ) जल स्रोत	- असिवित
(ब) वृक्षारोपण से दूरी	- निरंक
(स) सिंचाई से दूरी	- 03 कि.मी.
(द) बिजली उपलब्धता	- निरंक
11. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या	- 1600
(अ) प्रति हेक्टर सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	- निरंक
(ब) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से.मी. से अधिक)	- निरंक
(स) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 से.मी. से अधिक)	- निरंक
(द) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	- 30000 पौधों
<u>न्यूनतम 1600 पौधे प्रति हेक्टर से 50 हेक्टर हेतु कुल पौधों की संख्या 80000</u>	
12. योजना की अवधि	- वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक
13. (ए) योजना पर होने वाला संभावित व्यय	- ₹ २७९९५७१,५००४१५००.००
(बी) प्रति हेक्टर व्यय	- ₹ ५५९८८१,२०१६३०.००

## स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र उत्तर सागर वृत्त मसवारी की बाट मसवारी के अन्तर्गत खसरा नं. 37/2 रक्वा 50 है, का स्थल निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया, जो गेप प्लानटेशन के लिए उपयुक्त पाया गया।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

## स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र उत्तर सागर वृत्त मसवारी की बीट मसवारी के अन्तर्गत खसरा नं. 37/2 रक्वा 50 है, का स्थल निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया, जो गेप प्लानटेशन के लिए उपयुक्त पाया गया।

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित गेप प्लानटेशन स्थल का परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सागर एवं उप वन मंडल अधिकारी बण्डा द्वारा निरीक्षण किया गया गेप प्लानटेशन हेतु क्षेत्र उपयुक्त है गे उनके प्रतिवदन से सहमत हैं। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशासा की जाती है।

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वन मंडल सागर

भाग - 3

रक्षा 50. हे०

वित्तीय वर्ष 2017-18

व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
प्रथम वर्ष भूमि तैयारी

मजदूरी दर 274

(6)

कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	व.स.सा.दारा अनुमोदित दर मा.दि. में राशि	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में)
1 (अ) रेल एवं सीमाकन (हे०) (ब) लागि प्ररत मुनारो की मरम्मत (नये मुनारा निर्माण)	50 25	प्राते है प्रति	0.45 4500	22.50 00	6165 112500
2 (अ) लेवल सफाई लेण्टाना उन्मूलन मध्यम क्षेत्र	40	प्राते है	12.50	500	137000
3 घराच (लेवाई भी.में) चेनलिंग एवं फेसिंग 1.50 भी. ऊची आर.सी.सी. पोल साईज 50x50x6 मि.मी. ऊचाई 2.00 भी. अंतराल 2.50 भी. 30x30x45 से.मी. साईज के गड्ढो में 1x3x6 सी.सी. से गाडना, चैनलिंग जाली 3"x3" ऊचाई 1.80 भी. 8-SWG 4600 र.मी. चेनलिंग, 2300 पोल्स के जी. वारवेड वायर (13% वेट कर सहित) 2 पंक्तियों में तार फिक्स करना	0	0	0	0	
A चेनलिंग फैसिंग (4600x1.50=6900 वर्ग भी.)	6900	वर्ग भी	92	0	634800
B सीमेन्ट पोल्स 2 मीटर ऊचाई (2.5 मीटर अंतराल पर 20 पोल पर 2 सपोट पोल सहित)	2300	प्रति पोल्स	290	0	667000
C वारवेड वायर (2 लाइन में 4600 र.मी. =2044 k.g.)	2044	कि.ग्रा.	85	0	173740
D स्टेकिंग कार्य ( 2.5 x2.5mtr.)	2300		2.50	5.75	1576
E गढ़ा खुदाई (30x30x45 cm.) 2300 नग	2300	प्रति से.	5	115	31510
F सीमेन्ट कक्षीय मिश्रण डालना (1:3:6)  30x30x45 cm. =0.0405 Cum. 2300 Pits X 0.0405 = 93.15 Cum.(- ) Volume of poll = 0.10 X 0.10 X 0.45= 0.004 Cmt. 2300 Polls X 0.004=10.35 Cmt.					
Net Volume = 83.00	83.00	घ.मी.	3500	-	290500
g ट्रैकेवल प्याइट से सीमेन्ट पोल, जाली एवं वारवेड वायर को लगाने वाले मौका रथल पर पहुंचाना	2300	नग	0.036	82.80	22687
h बांधने हेतु तार कय, पोल गड्वाई, जाली एवं तार खिचाई तराई कार्य 2300 पोल्स	2300	पोल्स	0.179	411.70	112806
4 आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाइन सह निरीक्षण पथ निर्गाण	4	कि.मी.	20	80	22400
5 गढ़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलईमेट 3 x 2 मीटर					
4 x 4 मीटर					
6 बन बहन					
(ए) जल भण्डार विकास कार्य हेतु 20 से.मी. से	25 हे०		120		8220

मन लिपि दृतो विषय कुदो की कार्य (विकल्प) श्री श्री आ नाये प्राते १५०० वर १६०० पौधा	प्रति हेठो १६०० पौधा = ४००००				
(बी) पौधों का अग्रीकरण	६ हेठो प्रति हेठो १६०० पौधा = ९६००		१० पौधा		९६००
७ गेहूं ३० x ३० मडल स्थुदाई संख्या ए ३० x ३० x ३० समी. वा. ४५ x ४५ x ४५ सेमी.	३००००	प्रति सं	५	१०००	४११०००
सी. गड्ढो में उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन (५० प्रतिशत) १३६६ घ.मी.	१३६६	घ.मी.	३००	-	४०९८००
डी. गोद्वार खाद कथ	६०	घ.मी.	१०००	-	६००००
८ अभियांत्रिकरण कार्य (भू एवज ल संरक्षण कार्य) ए लफे डम संख्या घ.मी.	५००	घ.मी.	१	५००	१३७०००
९ हट निर्माण एवं झोपड़ी	१	नग	LS		३००००
१० रोपण हंतु पौधा कथ १० प्रतिशत अतिरिक्त	३३०००	पौधा	२५	-	८२५०००
११ कुआ निर्माण	१		४०००००		४०००००
१२ सीमेन्ट कंकरीट टेंक ५x५	४		२५०००		१०००००
१३ पानी शिवाई डेतु इंजन कथ एवं पाइप लाइन आदि सामग्री कथ	LS		LS		३०००००
१४ अन्य कथ (रस्सी, चूना कथ, औजार कथ, औजार पजवाई बोर्ड निर्माण आदि)					९६६९६
योग मानव दिवस :-				२९१०२५	५००००००
मजदूरी की दर -					२७४
कुल राशि -					५००००००
प्रति हेक्टेयर व्यय -					१०००००

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्रावकलन



वित्तीय वर्ष 2018-19	द्वितीय वर्ष	मजदूरी दर 301.40			
		मात्रा	इकाई	वसंत रात्रा दर	कुल मानव दिवस
				नाडि में राशि	व्यय राशि (ल.मे.)
1	(अ) फ्रीम गोल्डन ट्रक द्वारा 10 प्रतिशत अपेलिकेशन	330000	प्रति से	10	330000
	(ब) रिपर योडा द्वारा	330000	प्रति से	0.4	39785
2	सिचाई व्यवस्था				
	ए सम्बरोपल पंप (एल.एस) आदि	1.00	सख्ता	100000	100000
	बी पाइप (लवाई मी. मे)	500.00	मी.	200	100000
	सी सतही सिचाई व्यवस्था (कुआ निर्माण )	1.00	सख्ता	300000	300000
	डी विद्युत लाईन कनेक्शन हेतु (कुआ सिचाई हेतु विद्युत बनेक्शन )	1.00	सख्ता	10000	10000
	इ विद्युत बिल मासिक (08 माह हेतु) 3000/- प्रति माह 01 कुआ निर्माण	8.00	माह	30000	240000
	एक सतही सिचाई हेतु (01 श्रमिक 08 माह )	8.00	माह	26	208
3	प्रथम संपर्ण कार्य थाला बनवाई सहित				
2 x 2 मीटर					
3x 2 मीटर (30x30x30cm)					
3x2 मीटर (45x45x45cm)	30000	प्रति री	1.80	360	162756
कटूर ट्रैच					
5	प्रथम नियाई - पौधे संख्या एवं भूत पौधा को बदलना	30000	प्रति से	1.25	250
6	द्वितीय नियाई - पौधे संख्या	30000	प्रति से	1	200
7	खाद एवं मिट्टी नीम खली, हड्डी चूरा एवं एलिङ्गन पावडर गड्ढों में डालना	30000	प्रति री	1.50	300
8	यूरिया खाद प्रति पौधे 20 ग्राम प्रति पौधे हेतु कय	400	कि.मी.	1.5	15000
9	नील खली हड्डी चूरा मिश्रण एवं एलिङ्गन पावडर कय करना।	--	--	--	--
10	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4	कि.मी.	26	13.04
11	सुरक्षा 01 श्रमिक 12 माह	1	--	26	312
12	अन्य व्यय ( रससी, चूना कय, औंजार कय, औंजार पजवाई बोर्ड निर्माण आदि)				52726
	योग मानव दिवस :-				1723.04
	मजदूरी की दर -				301.40
	कुल राशि -				1850000
	प्रति हेक्टेयर व्यय -				37000

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन नियन अधिकारी  
वण्डा

वित्तीय वर्ष 2019-20

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
तृतीय वर्ष



मजदूरी दर - 331.54/-  
व स सांचा कुल मानव व्यय राशि (रु.प.)  
क्रमांकिते दर दिवस गाड़ि में राशि

कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई				
1 सेप्टो लग (1) प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु रोपण कार्य	3000	प्रति पौधा	10	-	30000	
2 पुनरोपण हेतु पौधों का रापण स्थल तक परिवहन (3 से 35 किमी)	3000	प्रति पौधा	10	-	30000	
3 पराव नरमत कार्य (मीटर) सी.पी.टी. / सी.पी.डब्ल्यू/ लार पौधेय 10 प्रतिशत	460	रुपये	LS	-	40000	
4 प्रथग लिंदाई (मृत पौधों को बदलने सहित) 3x 2 मीटर (30x30x30cm) (45x45x45cm)	30000	प्रति री.	125	250	124328	
5 द्वितीय निराई (हे./संख्या) 3x 2 मीटर (45x45x45cm) 4x 4 मीटर (45x45x45cm) कटूर ट्रैक	30000	प्रति री.	1	200	99462	
6 सिंचाई व्यवस्था अ. मासिक विजली बिल (08 माह हेतु) 3500/- प्रतिमाह	8.00	माह	3500	82.60	28000	
ब. सतही सिंचाई हेतु (01 अक्टूबर 08 माह)	8.00	माह	26	208	68960	
7 प्राकृतिक रूप से उगे पौधों का अंगीकरण	0.00		7 000	0.00	0.00	
8 आम सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4.00	कि.गा	3.26	13.04	4420	
9 (ए) पौधों का अंगीकरण  (बी) जड भण्डार विकास कार्य हेतु 20 से.मी. से कम जीवित ढूठों, विकृत वृक्षों की कटाई (क्षेत्रफल) सी.बी.ओ. कार्य प्रति हेक्टेयर 1600 पौधा	6 हेट प्रति हेट 1600 पौधा = 9600  25 हेट प्रति हेट 1600 पौधा = 40000		12 ग्रामी।  1.20		9600  9946	
10 सुरक्षा (द्वाम बन समिति द्वारा ) 12 माह	1.00	संख्या	26	312	103440	
11 अन्य व्यय ( मार्ग मरम्मत, औजार पञ्चाई सिंचाई व्यवस्था मरम्मत)					51844	
योग मानव दिवस :-				1065.64	600000	
मजदूरी की दर -					331.54	
कुल राशि -					600000	
प्रति हेक्टेयर व्यय -					12000	

वन परिकल्पना अधिकारी  
उत्तर सागर

वन परिकल्पना अधिकारी  
बफला



पित्तीय वर्ष 2020-21

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्राककलन  
चतुर्थ वर्ष

कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मजदूरी दर - 364.69/-		
			व.स.सा.द्वारा अनुमोदित दर मा.दि. में राशि	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.मे.)
1 निर्दाइ (हो संख्या) 3x 2 मीटर (45x45x45cm)	30000	प्रति रो	1.25	250	136759
4x 4 मीटर (45x45x45cm)	-	-	-	-	-
कंटूर ट्रेच अंगीकृत पौधों की निर्दाइ	-	-	-	-	-
2 सिंचाइ व्यवस्था					
अ. सतही सिंचाई हेतु (01 श्रमिक 08 माह)	8.00	माह	26	208	75853
ब. मासिक बिजली बिल (08 माह हेतु) 4000/- प्रतिमाह	8.00	माह	4000	-	32000
3 अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4.00	किमी	3.26	13.04	4864
4 सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा) 12 माह	1	संख्या	26	312	113783
5 अन्य व्यय (मार्ग मरम्मत, औजार पर्जवाई सिंचाई व्यवस्था नरम्मत)					36741
योग मानव दिवस :-				783.04	400000
मजदूरी की दर -	-				364.69
कुल राशि -	-				400000
प्रति हेक्टेयर व्यय -					8000

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
बृष्णा



भाग - 3

पंचम वर्ष

वित्तीय वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मजदूरी दर - 401.15/-		
				व.स.सा.द्वारा अनुमोदित दर मा.दि. में राशि	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में)
1	सिंचाई व्यवस्था अ. सतही सिंचाई हेतु (01 श्रमिक 08 माह) ब. विद्युत विजली बिल मासिक (08 माह हेतु) 4500/- प्रतिमाह	8.00 8.00	माह माह	26 4500.00	208	83439 36000
2	सिंगलिंग कार्य					
3	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4.00	कि.मी.	3.26	13.04	5346
4	सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा ) 12 माह	1	सरख्या	26	312	125159
5	फेसिंग मरम्मत कार्य कुल लंबाई का 10 प्रतिशत	460	र.मी.	1s	-	50000
6	अन्य व्यय ( मार्ग मरम्मत, औजार पजवाई सिंचाई व्यवस्था मरम्मत)					10056
	योग मानव दिवस :-				533.04	310000
	मजदूरी की दर -					401.15
	कुल राशि -					310000
	प्रति हेक्टेयर व्यय -					6378

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

गितीय वर्ष 2022-23

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
षष्ठम वर्ष

कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मजदूरी दर -- 441.26/-		
			व.स.सा.	कुल	व्यय राशि
			द्वारा	मानव	(रु.में)
1	सिंचाई व्यवस्था	4	क.गी	3.26	13.04
2	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	1	राख्या	26	312
3	सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा) 12 माह				137673
4	अन्य व्यय ( मार्ग मरम्मत, औजारि पञ्चाई सिंचाई व्यवस्था मरम्मत )				6587
	योग मानव दिवस :-				325.04
	मजदूरी की दर -				150000
	कुल राशि -				441.26
	प्रति हैंकटेयर व्यय -				150000
					2669.70

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

४५

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्रावकलन  
सप्तम वर्ष

पितीय वर्ष 2023-24

मजदूरी दर - 485.38/-

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	व.स.सा.द्वारा अनुमोदित दर मा.दि. में राशि	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में)
1	सिंचाइ व्यवस्था	--				
	बंस भिरों की सफाई एवं मिट्टी चढाई	--				
2	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4	कि.मी	3.26	13.04	6329
3	सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा ) 12 माह	1	लख्या	26	312	151439
4	धेराव का सुधार (लंबाई मी.में) सी.पी.टी / तार फेसिंग 10 प्रतिशत कुल लंबाई का	400	र.मी.	--	--	50000
4	अन्य व्यय ( मार्ग मरम्मत.)					2232
	योग मानव दिवस :-				325.04	210000
	मजदूरी की दर -					485.38
	कुल राशि -					210000
	प्रति हैक्टेयर व्यय -					4157.59

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

८५

भाग - ३  
 व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
 अष्टम वर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-25

मजदूरी दर - 533.91/-

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	व.स.सा.द्वारा अनुगोदित दर मा.दि. में राशि	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में)
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)	4	कि. मी.	3.26	13.04	6962
2	सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा ) 12 माह	1	संख्या	26	312	166580
3	अन्य व्यय ( मार्ग मरम्मत )					6458
	योग मानव दिवस :-				325.04	180000
	मजदूरी की दर -					533.91
	कुल राशि -					180000
	प्रति हेक्टेयर व्यय -					3563.65

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 उत्तर सागर

उप वन मंडिल अधिकारी  
 ४४७।

वित्तीय वर्ष 2025-26

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
नवम वर्ष



कार्य का विवरण

		मात्रा	इकाई
1	आगं सुरक्षा कार्य (एकजाइ)	4	पैसे में
2	सुरक्षा (ग्राम बन समिति द्वारा) 12 माह	1	पैसे
3	अन्य व्यय (मार्ग नरमत.)		
	योग मानव दिवस :-		
	मजदूरी की दर -		
	कुल राशि -		
	प्रति हेक्टेयर व्यय -		

बन परिष्कार अधिकारी  
उत्तर सागर

मजदूरी दर - 587.30/-	व.स.सा.द्वारा	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में.)
अनुमोदित दर मार्दि में राशि			
3.26		13.04	7658
26		312	183238
			9104
		325.04	200000
			587.30
			200000
			3959.61

एप बन मड्ल अधिकारी  
वर्णन

वार्षिक वर्ष 2026-27

भाग - 3  
व्यय का विस्तृत प्राक्कलन  
दशम वर्ष



कार्य का विवरण			मात्रा	इकाई	मजदूरी दर - 646.03 / -	कुल मानव दिवस	व्यय राशि (रु.में)
			व.स.सा.द्वारा अनुगोदित दर मा.दि मेराशि				
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाइ)		4	10 मी.	3.26	13.04	8424
2	सुरक्षा (ग्राम वन समिति द्वारा) 12 माह	1		संख्या।	26	312	201561
3	धेराव का सुधार (लंबाई मी.में सी.पी.टम. / तार फेंसिंग (10 प्रतिशत लंबाई)	400		मी.			50000
4	अन्य व्यय (मार्ग मरम्मत.) योग मानव दिवस :-						5051
	मजदूरी की दर -					325.04	265000
	बुल राशि -						646.03
	प्रति हेक्टेयर व्यय -						265000
							5246.48

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

उप वन मंडल अधिकारी  
यण्डा

भाग - 4  
प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा (26.5.1 है)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कुल मानव दिवस	महायोग दर	राशि ल.0	प्रति ल.0 व्यय
1	2017-2018	भूमि तैयारी	2910.25	274	5000000	100000
2	2018-2019	रोपण	1723.04	301.40	1850000	37000
3	2019-2020	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	1065.64	331.54	600000	12000
4	2020-2021	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	783.04	364.69	400000	8000
5	2021-2022	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	533.04	401.15	310000	6378
6	2022-2023	रोपण के पश्चात् चतुर्थी वर्ष का रखरखाव	325.04	441.26	150000	2669.70
7	2023-2024	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325.04	435.39	210000	4157.58
8	2024-2025	रोपण के पश्चात् पाष्टम वर्ष का रखरखाव	325.04	533.91	180000	3563.65
9	2025-2026	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	325.04	537.80	200000	3959.61
10	2026-2027	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव योग मानव दिवस :-	325.04	646.05	265000	524648
11	रोपण का 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास कार्य		8640.21		9165000	
12	रोपण का 5 प्रतिशत आरथा मूलक कार्य				91650	
13	रोपण का 4 प्रतिशत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण				458250	
		योग- कुल योग -			366600	
		रोपण का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क			10081500	201630
		महायोग -				

वन परिक्षेत्री अधिकारी  
उत्तर सागर


लम वन मंडल अधिकारी  
बैठडा

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा के साथ प्रेषित है।

दन मंडल अधिकारी  
उत्तर वन मंडल सागर

मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

station (in Ha.) = 5000



J. O. (N) Sargam

97/12

कर्मसुख  
प्रतिवेदन

## स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र उत्तर सागर वृत्त मसवारी की वीट चितौली के अन्तर्गत खसरा नं. 37/2 रकवा 50 हे. का स्थल निरीक्षण दिनांक 7/12/17 को किया गया, जो गेप प्लानटेशन के लिए उपयुक्त पाया गया।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
उत्तर सागर

## स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र उत्तर सागर वृत्त मसवारी की वीट चितौली के अन्तर्गत खसरा नं. 37/2 रकवा 50 हे. का स्थल निरीक्षण दिनांक 19/12/17 को किया गया, जो गेप प्लानटेशन के लिए उपयुक्त पाया गया।

उप वन मंडल अधिकारी  
बण्डा

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित गेप प्लानटेशन स्थल का परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सागर एवं उप वन मंडल अधिकारी बंडा द्वारा निरीक्षण किया गया गेप प्लानटेशन हेतु क्षेत्र उपयुक्त है मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ। प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मंडल अधिकारी  
उत्तर वन मंडल सागर

Ann-6

Annexure-VII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the additional amount of Net Present Value (NPV) at the prevailing rate, if so determined shall be paid by the user agency as per the final decision of the Hon'ble supreme Court of India.



Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

## **UNDERTAKING**

The State Forest Department undertakes that the all fund received from the user agency under the project shall be deposited to Ad-hoc CAMPA only through E portal.



Project Administrator  
Bina P.M.U Water Resources  
Department - Sagar (M.P.)



*Annexure 7*  
Page 1 to 13  
Ann-7

**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change)



Environmental Planning Coordination Organization (EPCO)  
Paryavaran Parivar, E-5, Arera Colony

Bhopal-462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax: 0755-2462136

No: 1462 /SEIAA/2019

Date:

03.7.19

To,  
Executive Engineer,  
Water Resources Department,  
Water Resources Division No. 1,  
Sagar, (M.P.)-470001

- Sub:- Case No. - 5583/2017: Prior Environment Clearance for Kadan Medium Irrigation Project at Village Ekpana Basona, Distt. - Sagar, (M.P.) CCA – 9990 ha Gross Command area: 13500 ha; Live storage capacity - 40.05 MCM; Gross Storage- 42.66 Mcum; Submergence due to Project- 754.78 ha; Catchment Area up to Dam site- 181.25 sq km; by Executive Engineer, Water Resources Department, Water Resources Division No.1, Sagar, (M.P.) Ph- 07582-223809 Email: [eewrdno1sgr@gmail.com](mailto:eewrdno1sgr@gmail.com) Envt. Consultant: - R.S. Envirolink Technologies Pvt.Ltd., Gurgaon

**Ref:** Your application dtd. 10.07.17 received in SEIAA office on 30.10.2017

With reference to the above, the proposal has been appraised as per prescribed procedure & provisions under the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14<sup>th</sup> September 2006 and its amendments, on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., Form I, pre-feasibility report, ToR, EIA Report, ppt. and additional clarifications furnished in response to observations by the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.

- (i) The project proposes construction of a 23.70m high dam across Kadan River in Dhasan Ken Basin near Ekpana Basona village and planned to cater irrigation water to 9,990 ha of CCA in 49 villages of Sagar, Malthon and Rahatgarh tehsils of Sagar district.
- (ii) The total catchment area of the project is 181.25 sq.km. The project is envisaged to have a live storage capacity of 40.05 MCM, of which, 0.5 MCM is reserved for drinking water and 0.5 MCM is reserved for e-flow.
- (iii) The project pertains to Item No. 1(c) category 'B' of the EIA Notification 2006 schedule and in terms of Notification dated, 25<sup>th</sup> June, 2014, as the CCA of the project is less than 10000 ha.
- (iv) The project has a command area of 9,990 ha, therefore as per EIA notification of September 2006 and a recent amendment (August 14, 2018), it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha). And Being a B2 Category project, it does not require an EIA report and is exempt from

Public Hearing; it require submission of EMP only However, Scoping Clearance of the project was taken as Category B1 (prior to August 2018 amendment).

- (v) There is no wildlife sanctuary, National park (DFO letter dtd. 26.05.17) or interstate boundaries (PWD letter dtd. 19.05.17) within 10 km of the project area hence general conditions are not attracted.
- (vi) The total land requirement for proposed project is 754.78 ha; out of which, 439.32 ha is culturable land (private land), 248.76 ha is forest land and 66.70 ha is revenue land.
- (vii) For diversion of forest land 248.76 ha PP has obtained Stage I Forest Clearance from MoEF&CC vide their Letter No. F. No. 8-11/2018-FC dated 18/06/2018 .Entire 248.76 ha of forest land is Reserve Forest.

All the vegetation on 248.76 ha land will be cleared for construction of project component. Against the diversion of forest land PP has proposed 1832 trees will be felled.

This is a permanent impact and can only be compensated by Compensatory Afforestation, which an already been approved as part of Stage I Forest Clearance.

#### **Private Land Acquisition Status - Copy of Notification u/s 19, 21 & 24 -**

- For acquisition of private land, notification u/s 11, 19 and 21 has been issued for entire private land of 439.32 ha covering 9 villages
- Section 24 award is completed for 5 out of 9 villages
- An amount of Rs. 89 crore has already been deposited with the government by project authorities.

(viii) Total 9 villages are coming under submergence, of which, 1 village named Khanpur is coming under full submergence.

(ix) There are 216 project affected families (527 PAPs), who are identified as the families whose land and/or houses will be acquired for the project. 5 ha land area is identified near village Silera for resettlement. 204 families from 5 villages will be resettled in the pre-identified location near village Silera, whereas, 12 families are those who have constructed house for looking after their agricultural fields and are residing at some other location, therefore, these 12 families will not be resettled. The rehabilitation and resettlement plan for the project affected families has been formulated as per the provisions of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCT\_LARR). Financial requirement for implementation of the Rehabilitation and Resettlement plan and infrastructural facilities is Rs 6.01 Crore.

S. No.	R&R Components	Cost (Rs in crore)
1	Rehabilitation Grant	2.4639
2	Infrastructure in Resettlement Area	3.0500
3	Monitoring and Evaluation	0.5000
	Total	6.0139

The Resettlement and Rehabilitation plan of the proposed Kadan Medium Irrigation project has been approved by the Commissioner, District Sagar.

(x) Since the project will benefit 49 villages therefore in interest of large scale benefit to the neighbouring as well as adjoining villages, people from project affected villages are willing to relocate.

They will be relocated outside the submergence area in one of the affected village i.e. Silera. Therefore, they will not be moving at a far distance and therefore, there won't be much of a change in their livelihood or surrounding environment.

Affected villagers are expecting that there will be much better infrastructural facilities like, drinking water, drainage system, education, health care etc. in the rehabilitated site.

Most of the affected villages indulge in dairy farming and have good number of livestock population therefore they expect sufficient area for not only construction of house but construction of animal shed as well.

- (xi) The crop intensity has been adopted as 100% during Rabi season only, with 3.5 cumec design discharge.
- (xii) Agriculture is the main occupation in the area and they have very fertile soil but due to limited extraction of ground water and low rainfall, there is acute shortage of water especially during Rabi season. Lack of irrigation facility results in low income from crop production.
- (xiii) The major sources of air pollution during construction phase are: Pollution due to fuel combustion in various equipment, emission from various construction plants, fugitive emissions from material handling and transportation. During operation phase, no major impacts are envisaged on air quality. For control of air pollution PP has proposed as follows:
  - For all major construction activities, curtaining of the site will be done to protect the surrounding areas from dust emissions.
  - In addition, regular sprinkling of the water will be done on construction sites for dust suppression.
  - All construction equipment/machinery will be properly maintained and tuned to minimize emissions.
  - Mobile DG sets shall be used for lighting only during construction phase and they should meet emission and noise standards as per guidelines/standards issued by CPCB.
  - The entire contractor's vehicle should have valid PUC certificate and same condition may be enforced on transporters bringing in material for construction.
  - Road damage caused by sub-project activities will be promptly attended to with proper road repair and maintenance work.
  - Excessive soil on paved areas will be sprayed (wet) and/or swept and unpaved areas will be sprayed and/or mulched.
  - All the construction workers and other staff, who get directly exposed to dust, should necessarily be provided with dust masks.
  - In addition, the project authorities will work closely with representatives from the community living in the vicinity of project area to identify areas of concern and to mitigate dust-related impacts effectively.
- (xiv) Sources of noise will be the vehicles and equipment for excavation and construction. Impacts will remain limited to the work area mainly where large-scale construction activity will progress. Impact will not be significant for the locals as they are generally sufficient distance away from the work area and noise will attenuate substantially at their locations. During operation phase, no major impacts are envisaged. Following mitigation measures will be implemented to minimize the impact of high noise:
  - Contractors will be required to maintain proper functioning of equipment and comply with occupational safety and health standards. DG sets will have a valid Type Approval Certificate and Conformity of Production certificate as per CPCB guidelines.
  - All the construction equipment will be required to use available noise suppression devices and properly maintained mufflers.

- Workers in high noise area will be provided with ear muffs and their use will be monitored. Workers exposure (time duration) to high noise will also be controlled.
- Minimize the use of noise producing equipment during night hours to avoid the disturbance to locals and wild animals of surrounding area.
- Monitoring of noise levels will be conducted during construction phase of the project. In case of exceeding of pre-determined acceptable noise levels by the machinery; will require the contractor(s) to stop work and remedy the situation prior to continuing construction.
- Vehicles to be equipped with mufflers recommended by the vehicle manufacturer.

**(xv) Impact due to runoff from construction sites are as follows:**

- Water used in construction activities leads to wastewater generation with high suspended solids.
- Effluents due to washing from truck or equipment etc. would have high concentration of oil and grease.
- Quantum of wastewater from such activities can impact the nearby water bodies if surface run off with high suspended solid is washed into them.
- However, keeping in view the type of project, only small quantity of water would be used in the construction activities as work mainly pertains to the laying of pipeline.

**(xvi) Mitigation Measures for runoff from construction sites:**

- Conservation of water should be implemented at construction sites to minimize the generation of wastewater.
- Adequate care should be taken so that excess suspended solids in the wastewater are removed before these are disposed into water body or over land.
- However, keeping in view the type of project, only small quantity of water would be used in the construction activities as work mainly pertains to the laying of pipeline.

**(xvii) No adverse impact on any downstream users is expected as sufficient discharge will be available downstream of dam.**

**(xviii) Total excavated surplus material requiring disposal is estimated as 1121403.01 m<sup>3</sup>. For construction of the earthen dam, material will be sought from Borrow areas located under proposed submergence area; surplus muck will be used for refilling and reclamation of land of borrow sites. Additional muck, if any, requiring disposal will be put in suitable low lying areas in the surrounding. The extra muck shall be laid in the undulating area of the connected villages with the consent of concerning Gram-panchayat or Janpad Panchayat.**

**(xix) Construction activities are associated with 3 types of waste generation: Construction and Demolition Waste, Hazardous Waste, Municipal Solid Waste from labour camp s/colonies etc. Following mitigation measures has been proposed for waste management:**

- Collection of Municipal Solid Wastes.
- Segregation of Municipal Solid Wastes.
- Storage of Municipal Solid Wastes.
- Transportation of Municipal Solid Wastes.
- Processing of Solid Wastes.
- Disposal of Municipal Solid Wastes.

**(xx) CAT Plan has been formulated for the catchment of Kadan river from its source till the diversion site of Kadan medium irrigation project. The catchment area is 181.25**

**sq km.** Silt Yield Index (SYI) method has been used for the preparation of CAT plan. Various data used for the study are slope, soil, land use/ land cover, drainage and current management practices. Under the plan, various biological and engineering treatment measures has been suggested for severe and very severe erosion prone areas. The estimated cost of implementation of CAT plan is Rs. 78.50 lakh

- (xxi) Disaster Management Plan has been prepared to deal with dam break event; with a budget of Rs. 60.00 lakh to cover the cost of alert system, communication system, emergency response organization, public information system, maintenance period, etc
- (xxii) Agriculture is the main occupation in the area and they have very fertile soil but due to limited extraction of ground water and low rainfall, there is acute shortage of water especially during Rabi season. Lack of irrigation facility results in low income from crop production. In search of livelihood and better job opportunities people migrate towards the cities of Madhya Pradesh and Gujarat.
- (xxiii) The green belt is proposed to be developed within the project area around reservoir periphery, along the network of approach roads, residential areas and other working areas like crushing and aggregate processing plant, batching plant and workshops.
- (xxiv) Area estimated for green belt development in different patches is about 50 ha and a total of about 45000 saplings will be planted. Plantations work will be completed in 2 years time (30000 in first year and 15000 in second year including causality replacement) and will be maintained for five years by project authorities.
- (xxv) **Benefit of the project:** Control flood waters to protect people and property. Adequate supply of water for irrigation and house hold consumption during dry spells in Saga region. Improve crop production by providing irrigation to crop land. Agriculture extension and horticulture development. Permanent waterfront for wildlife. Recreation like fishing, camping and water sporting in the reservoir.

Based on the information submitted at Para i to xxv above and others, the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 556<sup>th</sup> meeting held on 13.06.2019 and decided to accept the recommendations of 373<sup>rd</sup> SEAC meeting held on dtd. 24.05.19.

Hence, Prior Environmental Clearance is accorded under the provisions of EIA notification dtd. 14<sup>th</sup> September 2006 & its amendments for the proposed **Kadan Medium Irrigation Project at Village Ekpana Basona, Distt. - Sagar, (M.P.) CCA – 9990 ha Gross Command area: 13500 ha; Live storage capacity - 40.05 MCM; Gross Storage- 42.66 Mcum; Submergence due to Project- 754.78 ha; Catchment Area up to Dam site- 181.25 sq km; by Executive Engineer, Water Resources Department, Water Resources Division No. 1, Sagar, (M.P.)** subject to the compliance of the Standard Conditions and the following additional Specific Conditions as recommended by SEIAA & SEAC in its meetings.

#### **A. Specific Conditions as recommended by SEIAA**

1. The inputs given by the participants during Public hearing should be properly redressed. All the promises and assurances made during the public hearing shall be fulfilled completely by the water resources department GoMP. The implementation of R & R Plan to be closely monitored to ensure that all project affected families (PAFs) get adequate & timely compensation.
2. Besides the agricultural land, the rehabilitation of public buildings, infrastructures, monument etc. falling in the submergence area should also be included in the rehabilitation plan.

3. It was observed by the authority the calculated compensation under R/R seems inadequate hence authority advised WRD to look into the matter and explore the possibility of giving compensation to affected people equivalent to their properties so that proper justice can be given.
4. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which must include representatives of project affected persons including form SC/ST community and at least a woman beneficiary.
5. A grievances redress mechanism is to be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.
6. The implementation of Local Area Development Plan (LADP) to be closely monitored.
7. This being a seasonal stream/ river, a minimum environmental flow of 30 % in monsoon season should be released for downstream users.
8. Proposed Compensatory Afforestation programme in 50ha shall be taken-up in consultation with State Forest Department. The allocated grant for this purpose shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose. For compensatory afforestation programme, preference shall be given to native species.
9. Proposed Bio-diversity Conservation & Management Plan in EMP report should be implemented with State Forest Department. The allocated budget for this purpose shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose.
10. For prevention of soil erosion PP has proposed The catchment Area Treatment (CAT) Plan in EMP report shall be strictly implemented in consultation with Madhya Pradesh State Forest Department. Major works shall be completed before impounding of reservoir. The financial allocation for CAT Plan implementation shall be fully utilized and not to be diverted for any other purpose. Catchment Area Treatment Plan as has been proposed should be completed in five years.
11. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, greenbelt, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in 20 ha of area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilised and not to be diverted for any other purpose.
12. Fishery conservation & management plan as proposed shall be implemented in consultation with the Fisheries Department, Government of Madhya Pradesh.. The stocking density of the reservoir shall be around 300 fingerlings per ha. Allocated grant for this purpose shall be fully utilised and not to be diverted for any other purpose.
13. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.
14. If the water of reservoir is used for drinking water supply, it should be done after conventional treatment.

15. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.
16. Conjunctive use of surface water shall be planned to check water logging as well as to increase productivity.
17. Consolidation and compaction of the generated muck should be carried-out in the muck dumping site. The entire muck should be utilized for service road and inspection path, formation of embankment, filling trenches, land levelling and construction of CD works etc. The muck disposal sites shall be reclaimed /restored with vegetation once the capacity is utilized.
18. The periodical soil health shall be verified in command area during operation phase to ensure the maintenance of soil fertility.
19. PP should ensure to compliance the condition laid down the forest clearance approval issued by MoEF & CC, Gol.
20. PP should ensure to submit half yearly compliance report and CSR activity report with photographs of plantation in MP-SEIAA. If PP is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC,Gol,Bhopal) than prior environmental clearance issued to PP will automatically be treated as cancelled/ revoked as per OM No. 930/SEIAA/2019 dated 30.05.2019 issued by MPSEIAA.

## **B. Specific Conditions as recommended by SEAC**

### **(A) PRE-CONSTRUCTION PHASE**

21. During any construction/plant erection activity, curtaining of site should be carried out to protect nearby areas.
22. Adequate arrangement to prevent incidence of any endemic health problem due to water /soil borne diseases shall be provided.
23. Adequate provisions for re-vegetation, dressing, resurfacing of burrow pits etc. should be ascertained for protecting soil erosion due to runoff during rain.
24. Burning of firewood/fuel by the construction workers for their cooking may have minor impact on the local air quality, which however can be avoided with provision of alternate cooking fuel such as kerosene or LPG gas.
25. For dust mitigation measures following measures shall be adopted:
  - Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads).
  - No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place.
  - No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered.
  - Wind-breaker of appropriate height minimum 03 meters shall be provided.
  - Water sprinkling system shall be put in place.
  - Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing.
  - Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited.

- No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be permitted.
  - Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site.
26. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
27. Provisions shall be made for the housing of construction/plant erection labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structure to be removed after completion of the period.

**(B) CONSTRUCTION PHASE**

28. PPE's such as helmet, welding shield, ear muffs etc should be provide to the workers during construction/plant erection activities.
29. Fire extinguishers should be provided on site during construction/ plant erection period.
30. Water sprinkling arrangements shall be made to suppress the fugitive emissions and shall ensure that the ambient air quality is well within the prescribed norms by MoEF & CC / CPCB/MPPCB.
31. All the electrical appliances and digging should be minimum 15 meters away from any permanent structure. Properly tuned construction machinery and good condition vehicles with mufflers (low noise generating and having PUC certificate) should be used and turned off which not in use.
32. Properly tuned construction machinery and good condition vehicles with mufflers (low noise generating and having PUC certificate) should be used and turned off which not in use.
33. DG sets shall be provided with acoustic enclosures to maintain the noise level within the prescribed limits.
34. Waste construction material should be recycles as far as possible and remaining should be disposed off at a designated place in consultation with the local authority.
35. Plantation in patches in suitable land all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
36. MSW of various labors generated during construction/plant erection activities should be disposed off at a designated place in consultation with the local authority.
37. Waste oil & grease generated from the pumps and standby DG sets should be disposed off in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 after obtaining authorization.
38. The soil removed during the excavation will be stacked separately and will be used for the green belt development only.
39. It is proposed by PP that plantation in 10 hectare in several patches in non forest waste land will be done subject to availability of suitable land.

**(C) POST CONSTRUCTION/OPERATIONAL PHASE**

40. Plantation shall be carried out by the PP as per submitted plan in the command area or on available degraded land, muck disposal site, Rehabilitaion areas, park at camp, reservoir rim and in the compensatory afforestation at Village Fulwari and Shahgarh.

41. In the post-irrigation phase, farmers tend to use more fertilizers and pesticides these may result in soil and water pollution. Hence, it should be essential to use the fertilizers and pesticides in a judicious manner without causing soil and water pollution.  
Awareness program shall be conducted and experts should interact with the local people who will guide them on the quantity and proper application of fertilizer and Pesticides.
42. Efficient irrigation systems should be promoted in the command area as Social Responsibility by the trained staff of the department.
43. Periodic soil/water testing shall be carried out in the command area and report to be submitted to Ministry of Agriculture with essential remarks.
44. Use of Solar Energy with LED light arrangement in the pump house, site, office building should be promoted in the project area where ever possible.
45. An energy audit for energy conservation can be performed in pump site, office building, to reduce energy expense and carbon footprints.
46. All leakages will be cleaned out in the pump house to prevent wastage of water with the prescribe procedures in the regular intervals.
47. The public toilets should be made in optimum numbers so that entire command area and site should be open defecation free (ODF).
48. The project authorities should comply with the provisions made in the Water (Prevention & control) of Pollution Act 1974, and amended, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, etc.
49. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
50. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
51. The project authorities should comply following provisions/ conditions made in the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

#### **(D) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT**

52. A budgetary provision of Rs. 6257.00 Lakhs is made for Environmental Management Plan out of which Rs 26.00 lakhs has made for Green Belt Development Plan in the EMP.
53. A Budget of Rs. 40.00 Lakhs is made for Biodiversity Conservation Plan in the EMP.
54. No muck disposal shall be done outside of the project site. Rs. 300.00 Lakh is made for Muck Management Plan in EMP.
55. For Catchment Area Treatment Plan Rs 78.50 Lakhs and Rs 62.50 Lakhs is made for Fisheries Management Plan in EMP.
56. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
57. All commitments pertaining to public hearing shall be mandatory on part of PP.
58. The environment policy should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be complied and monitored through monitoring cell. In case the allocated

EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

59. As proposed, the green belt development / plantation activities should be completed within the first three years of the project and the proposed species should also be planted in consultation with the forest department.
60. In case of any, change in scope of work, technology, modernization and enhancement of capacity/ built-up area/ project area shall again require prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
61. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
62. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity/ built-up area/ project area, addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed project shall require a fresh Environment Clearance.

#### **Standard Conditions:**

1. Adequate arrangements for providing free fuel like kerosene/wood/LPG shall be made at the project cost for the labors engaged in the construction work so that indiscriminate felling of trees is prevented.
2. Consolidation and compilation of the muck should be carried-out in the muck dump sites and the dump sites should be above high flood level. Restoration of construction area including dumping sites of excavated materials shall be ensured by leveling, filling up of borrow pits, landscaping etc. The area should be properly treated with suitable plantation.
3. The Regional Office of MoEF, Gol, Bhopal & MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and Monitoring Plan should be given to Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal & MPPCB. The project proponent shall provide full cooperation during their inspection and all required documents/data to the officials.
4. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during public hearing consultation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal, MPPCB within six months.
5. The responsibility of implementation of environmental safeguards and RR plan rests fully with the Water Resources Department GoMP and Government of Madhya Pradesh. The WRD Government of Madhya Pradesh should also monitor implementation of EMP at regular intervals preferably at the level of Principal Secretary.
6. Necessary livelihood plan for oustees is to be prepared, if found necessary, in consultation with State Government Departments concerned. The Water Resources Department Government of Madhya Pradesh should submit compliance on this components & also while submitting six monthly compliance report to MoEF, Gol, Regional Office, Bhopal.
7. PP should ensure implementation of all activities / mitigative measures / safeguards proposed in the Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental

- Management Plan (EMP) approved by SEAC and other reports from time to time must.
8. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically.
  9. The monitored data for criteria pollutant levels, namely; SPM, RSPM, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the dam site in the public domain.
  10. The sewage or waste water should be properly collected, treated so as to conform to the standards prescribed by MoEF & CPCB. The treated effluents conforming to the prescribed standards shall be re-circulated and reused for horticulture / plantation.
  11. The equipment likely to generate high noise levels during construction period or otherwise shall have to meet the ambient noise level standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 as amended from time to time under the Environment Protection Act (EPA), 1986. Workers shall be provided with ear plugs / muffs.
  12. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated terms and conditions in the Prior Environmental Clearance, including the results of monitored data in hard and soft copy to the Regulatory Authority, respective Zonal Office of CPCB and the SPCB and Regional Office of MoEF, GoI at Bhopal on 1st June and 1st December of each calendar year.
  13. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
  14. Adequate financial provision should be made in the total budget of the project for implementation of the above suggested safeguard measures. The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall be fully utilized for the said purpose and not to be diverted for other purpose. Year wise expenditure shall be reported to the MoEF, GoI, Regional Office located at Bhopal, CPCB & MPCB. In case of revision of the project cost due to price level change the cost of EMP shall also be updated proportionately and revised upwardly.
  15. Water User Associated (WUA) Co-operative should have to be formed for efficient water use. Involvement of the community for disciplined and wise use of available waters should be ensured through training programme / effective interactive sessions.
  16. On-farm development (OFD) works are to be completed by the project proponent simultaneously and before the commencement of irrigation. WUA's (Water Users Associations) should be made functional to undertake the OFD works. Special & critical monitoring of progress to be undertaken by the Water Resources Department GoMP to ensure that OFD works are completed along with main canal networks.
  17. Details of land holding of project affected persons whose land is being acquired shall be submitted to MoEF&CC, GoI, Regional Office. The R & R benefits for the land losing households will be as per the National Rehabilitation and Resettlement Policy, 2007 or as per the State Rehabilitation and Resettlement Policy, whichever is more beneficial to the project affected villages. The R & R issues shall be completed before

commissioning of the project. In case latest Act of 2014 is applicable, the same Act is to be followed.

18. The MP SEIAA or any other competent authority reserves the right to alter/modify or add additional, safeguard measures subsequently, if found necessary and to take action, including revoking of the clearance under provisions of the environment (Protection) Act 1986 to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
19. The Prior Environmental Clearance letter is valid for a period of 10 years from the date of issue of this letter for commissioning of the project.
20. A copy of the Prior Environmental Clearance issued by MP SEIAA shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat / Zila Parishad / Municipal Bodies as applicable, local NGO, if any, in addition to the associated Government Department from whom any suggestion / representations were received while processing the proposal and those responsible for controlling the proposed project, who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt. The clearance letter shall also be put on website by the project proponent.
21. State Pollution Control board / committee shall display a copy of the clearance letter at the regional office, district industries centre and collector's/tehsildar's office for 30 days.
22. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) website at [www.mpseiaa.nic.in](http://www.mpseiaa.nic.in) and copy the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF&CC, Gol, Bhopal.
23. After 5 years of the commissioning of the project a study shall be undertaken regarding impact of the project on the environment and downstream ecology. The study shall be undertaken by an independent agency to be decided in consultation with the Ministry / authority.
24. A multi disciplinary committee (MDC) for monitoring the implementation of environmental safe guards during construction shall be constituted by the project proponent (PP) in consultation with the state environment ministry as early as possible. A panel may be proposed by the PP and submitted to ministry. The Project Proponent shall organize six monthly meetings of the committee and submit the monitoring report to the ministry.
25. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to water borne diseases shall be carried out. Periodic monitoring for the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.

26. The Project Proponent shall provide proper arrangement for the disposal of hazardous waste (if any) and obtain authorization under Hazardous Waste (Management Handling & Transboundary Movement) Rules from MPPCB.
27. The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with amendments and rules.
28. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
29. Any other clearance required from any other organization / department should be obtained before commencement of works and commissioning of the project, as applicable.
30. Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
31. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days from the date of issue, as prescribed under Section 10 of the National Green Tribunal Act 2010.

Endt No. / SEIAA/ 2019 Dated  
 Copy to:-

- (1). Principal Secretary, Urban Development & Environment Deptt. 3<sup>rd</sup> Floor, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal.
- (2). Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016.
- (3). Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016.
- (4). The Collector, Distt- Sagar (M.P.).
- (5). The Principal Chief Conservator of forest, Ground floor Satpuda Bhawan, Bhopal (M.P)
- (6). Shri Rajiv Kumar Sukalikar Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Tulsi Nagar, Bhopal, MP
- (7). Director, I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF, Gol, Ministry of Environment & Forest Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
- (8). Director (S), Regional office of the MOEF, (Western Region), Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3, Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
- (9). Guard file.

**(Dr. Sanjeev Sachdev)  
Officer-in-Charge**

Annexure-XII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the afforestation shall be done along the periphery of the reservoir.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-9

Annexure-XIII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the water shall be provided free of cost for the forestry related projects.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-10

Annexure-XIV

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-11

Annexure-XV

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that no labour camp/huts shall be established on the forest land.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-12

Annexure-XVI

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the forest land specified in the proposal shall not be used for any purpose and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

*Ano*

Annexure-XVI

**UNDERTAKING**

The State Forest Department undertakes that Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department

  
Project Administrator  
Bina P.M.U.Water Resources  
Department - Sagar (M.P.)

Ann-13

Annexure-XVII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

User Agency undertakes that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Annexure-XIX**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER RESOURCES DEPARTMENT SAGAR (M.P.)****UNDERTAKING**

The user Agency undertakes to create and maintained the alternate habitat/home for the avifauna, whole nesting tress area to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the projects with the consultation of State Forest Department;



Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No 3065.A/FRA/2016-17/Sagar

Dated 23.12....

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **248.76 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **WRD Div. No. 1 Sagar** (name of user agency) for **Construction of Kadan Medium Project** (purpose for diversion of forest land) in **Sagar** District falls within jurisdiction of **Ekapna-Basona and Berkheri Suvansh** village (s) in **Sagar** tehsils. It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **248.76 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s); Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure- I to annexure-21
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Ekapna-Basona and Berkheri Suvansh** villages (s) in enclosed as annexure- I to annexure-21
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

*(Vikash Narwal)*

Collector

Sagar (M.P.)

COLLECTOR  
SAGAR

Ann-16

Annexure-XXI

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes to provide the alternate fuels to the labourers and working staff.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-17

Annexure-XII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user Agency undertakes that the character of the project shall be maintain as an irrigation projects and ensure continued benefit to the farmers in the command area and no any diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-18

Annexure-XXII

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user agency undertakes that Any other condition that the concerned Regional Office of MoEF may stipulate, from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife will be complied by user agency.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-19

Annexure-XIV

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMEMT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user agency undertakes that the self-compliance report shall be submitted annually at the end of March of every year regularly in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and MoEF.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)

Ann-20

Annexure-XCV

**OFFICE OF THE PROJECT ADMINISTRATOR BINA P.M.U, WATER  
RESOURCES DEPARTMENT SAGAR (M.P.)**

**UNDERTAKING**

The user agency undertakes to ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.

  
Project Administrator  
Bina P.M.U. Water Resources  
Department Sagar (M.P.)